खण्ड-282, अंक-6
मंगलवार, 22 वैशाख, शक संवत् 1892
(12 मई, 1970 ई0)

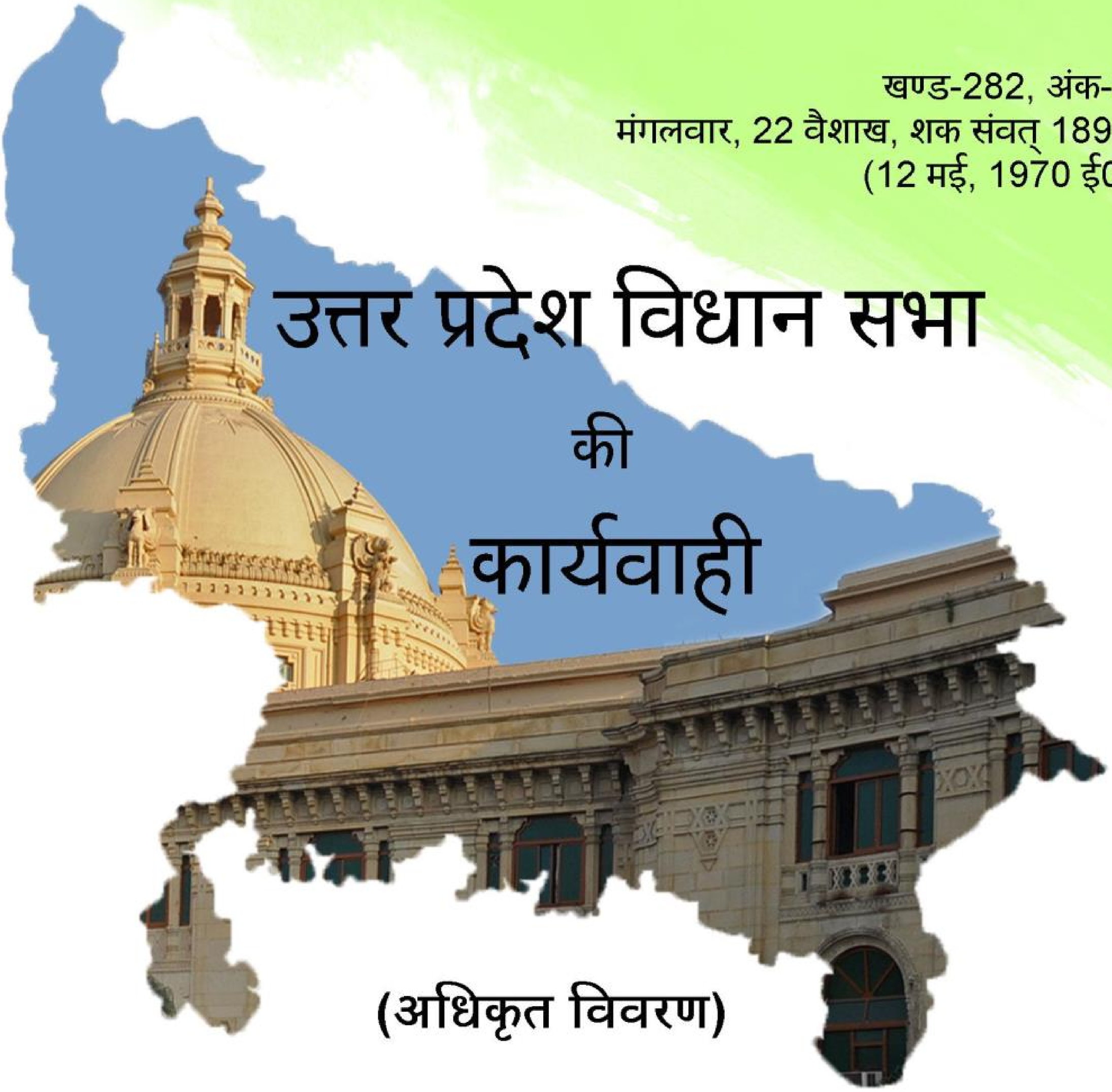

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 282 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	६५९–६६३
श्री कन्हैया लाल सोनकर द्वारा उनको कल नियम ५१ पर बोलने का अवसर न देने पर श्री अध्यक्ष पर भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का आरोप (जारी) ..	६६३
सदन में बिजली फेल होने के कारण कार्यवाही का स्थगन	६६३
श्री कन्हैया लाल सोनकर द्वारा उनको कल नियम ५१ पर बोलने का अवसर न देने पर श्री अध्यक्ष पर भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का आरोप ..	६६३-६६४
लाउडस्पीकरों की अव्यवस्था, दारुलशफा डिस्पेन्सरी में डाक्टर न होना तथा मेन गेट पर खस की टट्टी न लगने के सम्बन्ध मे शिकायत	६६४
सदन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व व्यवस्था के प्रश्न उठाने पर आपत्ति ..	६६४-६६५
प्रश्नोत्तर	६६५–६९०
सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	६९०
श्री अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी) ..	६९०-६९१
नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में जानकारी ..	६९१
श्री उपाध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	६९१-६९२
श्री अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	६९३–६९५
दारुलशफा डिस्पेन्सरी में डाक्टर न होने के सम्बन्ध में शिकायत ..	६९५
५ अगस्त, १९६९ को श्री कृष्ण स्वरूप द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ पर श्री कृष्णस्वरूप द्वारा अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	६९६
स्टेट आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में छात्रों द्वारा हड़ताल किये जाने के विषय में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	६९६–७०१
काकोरी में एक आतिशबाज के घर आग लगने से ४ व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	७०२-७०३
कानपुर जिले की बिल्हौर तहसील के बकीठी गांव में बिजली के तारों से आग लगने से किसानों के खलिहान जलने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	७०३
लखनऊ विश्वविद्यालय में अव्यवस्था के कारण परीक्षाओं के स्थगित ही जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	७०३–७०८
१९७०–७१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	७०९-७३४
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	७३४–७३८
१९७०–७१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	७३८–७४६
७,५०० रु० तक की आमदनी वालों को पेशाकर से मुक्त करने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा	७४७–७५२
नत्थियां	७५३–७५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १२ मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डल, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्दखेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३३

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपालसिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री

गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनरायन, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनरायणमणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री

बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सरांय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पान्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल राही, श्री

रामविलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
बासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकैलाश, श्री
शिवपालसिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरअली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्यामकिशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छम्मू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्मसिंह श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

श्री कन्हैया लाल सोनकर द्वारा उनको कल नियम ५१ पर बोलने का अवसर न देने पर श्री अध्यक्ष पर भेद-भाव पूर्ण नीति अपनाने का आरोप

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कल आपने इलाहाबाद में ओला गिरने के संबंध में, माननीय सदस्यों को बोलने में भेदभाव की नीति अपनाई है। मैं आपके कारण अपने जिले की स्थिति को सरकार के सामने नहीं रख पाया हूं। आपने बराबर किसी-किसी सदस्य को ३-३ और ४-४ बार बोलने का मौका दिया लेकिन मुझे मौका ही नहीं दिया गया। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ और दिल में बड़ी ठेस पहुंची। इस कारण मैं २ मिनट के लिये अपने स्थान पर अपनी भावना व्यक्त करने के लिये खड़ा हूं ताकि आप भविष्य में किसी माननीय सदस्य के साथ भेदभाव न बरतें। (सदन में बिजली फेल होने के कारण माननीय सदस्य की आवाज स्पष्ट नहीं सुनायी दे रही थी)।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, इन्होंने आपके प्रति यह कहा है कि आप भेदभाव की नीति बरतते हैं। क्या उनका यह कहना सही है ?

सदन में बिजली फेल होने के कारण कार्यवाही का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

यहां पर रोज-बरोज ए० सी० करेन्ट फेल हो जाता है जिसके कारण सदन के कार्य में बाधा होती है। मैं चाहूंगा कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री सदन के लिये एक सेपेरेट कनेक्शन करा देंगे। इसलिये मैं हाउस को दस मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय ११ बज कर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ११ बजकर १५ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कन्हैयालाल सोनकर द्वारा उनको कल नियम ५१ पर बोलने का अवसर न देने पर श्री अध्यक्ष पर भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का आरोप—(क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी एक माननीय सदस्य ने २ मिनट का मौन धारण किया और आपके ऊपर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का लांछन लगाया। बदकिस्मती से सदन के अन्दर एक परम्परा पड़ सी गयी है कि लगातार आप पर आक्षेप लगाये जाते हैं। आप माननीय सदस्य से कहें कि वे अपने शब्द वापस लें अन्यथा उनके विरुद्ध सदन के अवमान का मैं नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

उस वक्त माइक फेल हो गया था और मुझे सुनाई नहीं दिया कि माननीय सदस्य ने क्या कहा। वे चुप हो गये, इससे यह समझा गया कि वे मौन हैं। यह कायवाही में होगा, मैं उसको देखकर ही बता सकूंगा। अपने नोटिस दे दिया है, अब आगे की कार्यवाही हो।

लाउड स्पीकरों की अव्यवस्था, दारुलशफा डिस्पेंसरी में डाक्टर न होना तथा मेन गेट पर खस की टट्टी न लगने के संबंध में शिकायत

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, लाउड स्पीकरों की व्यवस्था ठीक होना चाहिये। इसके अलावा ८ दिन से दारुलसफा में वहां की डिस्पेन्सरी में डाक्टर नहीं है। तीसरी चीज यह कि मेन गेट पर खस की टट्टी नहीं लगी है जिससे बड़ी असुविधा हो रही है। इस तरफ भी आप ध्यान दें, यह कार्य भी कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

यह चीज यहां नहीं आनी चाहिये, वैसे इसके लिये भी मैं देखूंगा। निर्माण मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वे जानकारी हासिल करके एक वक्तव्य दें। वे पता लगायें कि आखिर बिजली क्यों फेल होती है। मैं चाहूंगा कि वे हाउस के लिये एक सेप्रेट कनेक्शन प्राप्त कर लें।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

अब आगे की कार्यवाही शुरू होने दीजिये।

श्री (त्रिवेणी जिला आजमगढ़)—

लाउड स्पीकर यहां के ठीक कराइये।

एक सदस्य—

लाउड स्पीकर ठीक कराइये, चाहे एक-दो दिन के लिये सदन स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसके लिये कह दिया है।

सदन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व व्यवस्था के प्रश्न उठाने पर आपत्ति

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

मेरी आपत्ति के संबंध में आप कृपया अपनी व्यवस्था दें। जब सदन की कार्यवाही चल रही हो तभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। यहां एक नयी प्रथा यह चल गयी है कि कार्यवाही शुरू होने से पूर्व ही व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया जाता है। तो आप इस पर कृपया व्यवस्था दें कि क्या कार्यवाही शुरू होने से पूर्व भी व्यवस्था का कोई प्रश्न उठाया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—

मेरी व्यवस्था तो यह है कि कार्यवाही सदन की जब आरम्भ न हुई हो तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि बोलने वाले लोग बोलते चले जाते हैं तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है कि जो बोलते चले जाते हैं उसके खिलाफ

क्या कार्यवाही करूं ? जब कोई कहने से नहीं रुकता है, व्यवस्था नहीं मानता है तो मेरे आगे एक ही उपाय रहता है कि हम उसे हटा दें, लेकिन हटाने से मैं कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करना चाहता हूं ।

फिर भी माननीय सदस्यों को मैं पुनः आगाह कर देना चाहता हूं कि यहां पर सभी लोग समझदार हैं जो कभी मंत्री भी हो सकते हैं, जिसको अनुशासन का पालन करना पड़ता है और कराना भी पड़ता है, ऐसी हालत में वे समझदारी के काम लें, तो जब सदन की कार्यवाही प्रारम्भ न हुई हो कोई व्यवस्था का प्रश्न न उठाया करें । पहले से व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे तो जो कार्यवाही सामने है उसमें बाधा पड़ जाती है ।

श्री रघुनाथ सिंह--

आप मेरे प्रश्न पर व्यवस्था तो दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया, जो कहना था ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १२ मई, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

एस०डी० ओ०, हाइडिल उरई के विरुद्ध जांच का आश्वासन

**१--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ), श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी), तथा श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि एस० डी० ओ०, हाइडिल उरई, जिला जालौन के स्थानान्तरण के शासन के आदेश दिनांक १७ अप्रैल, १९७० को कार्यान्वित न करके अब की चौथी बार इन एस० डी० ओ० का उरई से स्थानान्तरण रोका जा रहा है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ?

विद्युत् उप मंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)--

जी नहीं, अमुक एस० डी० ओ० के उरई से तबादले के आदेश दिये जा चुके हैं तथा अमुक सब डिवीजन का चार्ज प्रथम बार दिनांक २०-४-१९७० को अन्य एस० डी० ओ० द्वारा लिया गया तथा अब एक अन्य एस० डी० ओ० द्वारा दिनांक ७-५-१९७० को चार्ज ग्रहण किया गया है ।

श्री मंजूर अहमद--

मंत्री जी ने कहा कि पहली बार २० अप्रैल को एस० डी० ओ० से दूसरे एस० डी० ओ० ने चार्ज ले लिया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिसने चार्ज ले लिया उसको क्यों हटा दिया गया और दूसरे को चार्ज क्यों दिया गया ?

श्री राम प्रसाद देशमुख--

जिसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा था, इस से तो चार्ज लेना ही था, क्योंकि उसके खिलाफ शिकायत थी ।

श्री मंजूर अहमद—

मेरे सवाल का ठीक जवाब नहीं आया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों आदमियों को हटाने में सरकार का कितना खर्चा हुआ और इसका कारण क्या था कि इतनी जल्दी-जल्दी हटाया ग ा ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

बात यह है कि जिस आदमी के खिलाफ शिकायत थी उसको हटाने के लिये दूसरे आदमी को तो हटाना ही पड़ता है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उक्त अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारियों ने सरकार के यहां यह शिकायत की है कि उस अधिकारी ने एक लाइन-इंस्पेक्टर को पीटा और एक चपरासी को पीटकर, उसका मुंह काला कर उसे पूरे डिवीजन में घुमाया ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

पीटने की शिकायत मिली थी और उसी आधार पर उसका तुरन्त तबादला किया गया।

श्री रामधारी शास्त्री—

जो शिकायत थी, उसके संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

उसकी जांच हो रही है।

श्री मंजूर अहमद—

किसी कर्मचारी को पीटा गया है और मुंह काला कर के घुमाया गया है और मंत्री जी इतनी गम्भीर बात पर कह रहे हैं कि जांच हो रही है, इसमें इस तरह से छुटकारा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

अब बता तो दिया।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि···

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

जो शिकायत हमारे माननीय मित्र कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने जांच की है, क्या इस बात की भी जांच हुई है कि घटना हुई भी या नहीं हुई ? ऐसा तो नहीं है कि किसी छोटे कर्मचारी ने कल्पना करके लिखवा दिया हो क्योंकि मेरी कांस्टीट्यूयेंसी की बात है, यह घटना बिलकुल असत्य है, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर राजाराम सिंह के खिलाफ चोरी का केस है उसको छिपाने के लिए यह कार्यवाही की गयी है, क्या इस बात की जांच सरकार ने की है ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

हमारी जांच सही है इस मारपीट की। उसी के आधार पर तुरन्त २४ घंटे में आदेश दिया कि उनको हटा दिया जाय। इस बात का निश्चय करके कि वास्तव में कांड किया है, दंड दें या क्या करें, इसके लिए सोचा जा रहा है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री को सूचना है कि वहां के कर्मचारियों ने अत्याचार से ऊब कर यह फैसला किया है कि ४ मई से अपनी हाजिरी उरई में न देकर झांसी में दिया करेंगे क्या इसकी भी सूचना सरकार को दी है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

इसके लिए नोटिस की जरूरत है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उक्त इंजीनियर ने एक लाइन इंस्पेक्टर को आधा जमीन में गाड़ कर पिटाया, मैंने खुद उस स्थान को जा कर देखा है, क्या इस बात की जानकारी है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

कई वर्जन आ गये । यही सब जानकारी में लाने के लिये जांच हो रही है कि कौन सी बात ठीक है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

यह दूसरी घटना है ।

श्री रामप्रसाद देशमुख—

सभी की जांच कर रहे हैं । कोई कहता है कि पिटाई की, कोई कहता है कि मुंह काला किया, आप कहते हैं गाड़ दिया ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

वह तो दूसरी घटना है मारने की । यह दूसरी घटना है कि एक आदमी को जमीन में गाड़ कर पिटाया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

व्यवस्था का प्रश्न है । एक प्रश्न पर आप कितने सप्लीमेंटरीज की इजाजत देंगे वरना औरों का नम्बर ही नहीं आयेगा ।

श्री रामधारी शास्त्री—

अभी केवल चार सप्लीमेंटरी हुये हैं । एक और पूछ सकते हैं । पांच की आपने व्यवस्था की है ।

एक ही मांग-पत्र में कई शिकायतें की हैं, वह माननीय मंत्री जी के यहां लिखकर दिया है, उसमें दोनों घटनायें हैं, ४ मई से हाजिरी उरई के बजाय झांसी में देने की, और चपरासी और इंस्पेक्टर की पिटाई तथा चपरासी का मुंह काला करके घुमाने की शिकायत की है, अगर ये हैं, तो निष्पक्ष जांच हो सके, इस बात को ध्यान में रखकर सरकारी कर्मचारी को अविलम्ब मुअत्तल करने की कृपा करेंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जो भी आप बता रहे हैं उसकी पूरी जांच करेंगे और दंड देने की कोशिश करेंगे, यह हमने पहले ही कह दिया ।

ग्राम पंचायत औरंगाबाद जागीर, जिला लखनऊ के उप प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

****२—श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं) तथा श्री मंजूर अहमद —**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पंचायत औरंगाबाद जागीर, जिला लखनऊ के उपग्राम प्रधान के विरुद्ध व्याप्त भ्रष्टाचार ग्राम सभा की जमीन पर नाजायज कब्जा करने आदि की कोई शिकायतें उक्त ग्रामवासियों द्वारा सरकार को हाल में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उपग्राम प्रधान के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

जी हां । ग्रामवासियों की ओर से कथित शिकायती पत्र शासन को दिनांक १६-३-७० को प्राप्त हुआ था जिस पर निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही करने तथा की गई कार्यवाही से शासन को अवगत कराने को कहा गया है ।

श्री मंजूर अहमद—

माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मंत्री जी ने जो कहा है कि डाइरेक्टर को जो शिकायती-पत्र मिला था, उसकी जांच स्वयं डाइरेक्टर कर रहे हैं, या कोई और ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

संभवतः उसकी जांच जिला अधिकारी के पास भेजी गयी है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है उसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और जिलाधिकारी के पास वह पत्र जांच के लिए भेज दिया गया है या नहीं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जिलाधिकारी के पास जांच के लिए शिकायती-पत्र भेज दिया गया है और मुख्य-मुख्य शिकायतें ये हैं : उप-प्रधान के विरुद्ध सम्पत्ति का दुरुपयोग, पंचायत धन का अपहरण, भूमि को अपने मित्रों व हितैषियों को देने तथा फरजी कार्यवाही करने के आरोप हैं ।

श्री मंजूर अहमद—

चूंकि लाखों रुपये की सम्पत्ति को हड़प करने के आरोप उप प्रधान पर लगाये गये हैं तो क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि उसके खिलाफ कि सारे कागजात उनसे ले लिये जायं और ४०९ दफा के अन्तर्गत गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया जाय ।

श्री जगन प्रसाद रावत—

जिलाधिकारियों को ये आदेश दिये गये हैं कि वह जांच भी करें और आवश्यक कार्यवाही भी करें । आवश्यक कार्यवाही में कागजात तथा फाइलों को अपने कब्जे में करना आदि सभी आता है और अगर वह आवश्यक समझेंगे तो ऐसा करेंगे ।

श्री रामधारी शास्त्री—

उक्त उप प्रधान मुअत्तल किया गया या नहीं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

मुअत्तल करने की कोई सूचना अभी तक सरकार के पास नहीं आई है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

स्वच्छ प्रशासन के लिए जरूरी है कि गबन की शिकायतों का निपटारा जल्दी से जल्दी हो तो क्या सरकार ऐसे आदेश प्रसारित करेगी कि गबन तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों का निपटारा निश्चित मियाद के अन्दर कर दिया जाय ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

अगर कोई एक घटना की शिकायत हो तो उसका निपटारा तुरन्त किया जा सकता है लेकिन यह शिकायत ६० से ७० घटनाओं को लेकर है, लिहाजा इसमें कुछ थोड़ा समय लगना आवश्यक है।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

जब लाखों रुपये का गबन बताया जाता है तो जिस अधिकारी के पास शिकायती-पत्र जांच के लिए भेजा गया है उसने संबंधित कागजात को अपने कब्जे में कर लिया है या नहीं ताकि कोई हेराफेरी न हो ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

मैंने अभी निवेदन किया कि मेरे पास कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है कि क्या कार्यवाही उन्होंने की है। मैं निवेदन कर चुका हूं कि अगर आवश्यक समझा होगा तो कागजात ले लिये होंगे या ले लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह (टिहरी गढ़वाल)---

जो शिकायती-पत्र सरकार को मिला है उसमें किस-किस के दस्तखत हैं और कब तक जांच पूरी हो जायगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

उनको आदेश हैं कि जल्दी से जल्दी जांच पूरी करें और उनको दुबारा याददिहानी के लिये पत्र लिख दिया गया ताकि हमारे पास जल्दी रिपोर्ट भेज दें।

थाना मऊ, जिला आजमगढ़ में बसन्त की हत्या की रिपोर्ट

**३---श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री भाभी (जिला आजमगढ़)---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि २५ अप्रैल, १९७० की रात्रि में आजमगढ़ जिला अन्तर्गत मऊ रेलवे स्टेशन के निकट किसी अज्ञात व्यक्ति की छूरा मारकर हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो वह लाश किसकी थी और पुलिस ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

इस आशय की एक रिपोर्ट थाना मऊ, जिला आजमगढ़ में दिनांक २६ अप्रैल, १९७० को लिखाई गई। इस पर धारा ३०२ भा०दं०वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई। विवेचना से लाश श्री बसन्त, पुत्र श्री छेदीराम सागसईद नाका, थाना रामनगर, जिला वाराणसी की मालूम हुई। अपराधियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

श्री भाभी---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि थाने में जो रिपोर्ट दी गई है उसका विवरण क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

थाने में जो रिपोर्ट दी गई है उसे मैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में बता दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह जबानी वादी रिपोर्ट है, राम औतार पांडे, पुत्र श्री इंद्रदेव पांडे जो मऊ का निवासी है जो ५ बजे स्टेशन की तरफ से आ रहा था । उसे एक लाश वहां पर पड़ी दिखाई दी । तब उसने साढ़े ५ बजे रिपोर्ट की ।

श्री श्याम लाल —

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच किसके द्वारा कराई जा रही है और इस जांच में विलम्ब होने के क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह जांच एक सब-इन्सपेक्टर कर रहे हैं और इसमें कोई विलम्ब की बात नहीं है । यह घटना अभी २५ अप्रैल की है ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या माननीय गृह मंत्री कृपया बतयेंगे कि रिपोर्ट लिखाने वाले व्यक्ति भी इससे संबंधित हैं इस तथ्य की भी जांच करवायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा मैंने निवेदन किया सारे तथ्यों की जांच हो रही है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभी तक किसी अभियुक्त का पता लगा है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस मामले की सी० आई० डी० द्वारा जांच करवायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अभी तक किसी अभियुक्त का पता नहीं लगा है और सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की कोई आवश्यकता अभी प्रतीत नहीं होती ।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में आये दिन डकैती की घटनायें हुआ करती हैं ? लोगों की जानें असुरक्षित हैं ? क्या इस मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी सी०आई० डी० द्वारा जांच करवा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा मैंने निवेदन किया उसमें जांच हो रही है और अभी सी०आई० डी० द्वारा जांच करने की आवश्यकता नहीं है । उसमें जांच जारी है ।

श्री भाभी—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि बसंत नामक जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वह मऊ में तम्बाकू का एजेंट था और वह बराबर वहां आया करता था । पुलिस को भी इसकी जानकारी थी । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सी०आई०डी० द्वारा जांच कराने में उन्हें क्या आपत्ति है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जैसा मैंने निवेदन किया इसकी जांच हो रही है और यदि कोई शिकायत वहां की पुलिस के विरुद्ध हो तो माननीय सदस्य हमें लिखकर बतायें उस संबंध में भी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भाभी--

जिसका कत्ल हुआ है यह शख्स तम्बाकू का एजेंट था और रोजाना मऊ जाता-आता था । पुलिस उसको भली भांति जानती थी--पुलिस इस मामले में लीपापोती करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती इस आधार पर सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने में मंत्री जी को क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि आप उनको लिखकर दे दीजिये, वे उसको देख लेंगे ।

श्री डूंगरसिंह विष्ट (जिला नैनीताल)--

क्या उस लाश का पोस्ट-मार्टम कराया गया था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हां ।

५ बीघा तक लगान की माफी

**४--चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ५ बीघा तक के किसानों के लगान को कब से समाप्त किया जायगा ?

राजस्व उपमंत्री (श्री रामकिंकर)--

पहली जुलाई, १९७० से प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष से ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार ने सवा छः एकड़ लगान को इसी फसल से माफ करने की व्यवस्था की थी फिर इस सरकार को ५ बीघा तक के लगान को इसी रबी की फसल से खत्म करने में क्या कठिनाई है?

श्री रामकिंकर--

मान्यवर, कृषि वर्ष का प्रारम्भ जुलाई से होता है इसलिये जुलाई से ही माफी करने की सोच रहे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सरकार के पास इस प्रकार के कागजात हैं जिनमें सवा छः एकड़ तक लगान माफी के आंकड़े हैं, जो १० बीघा के बराबर होता है । उसका आधा पांच बीघा होता है । उस आधार पर उसका आधा लगान माफ करने का शीघ्र फैसला लेने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने तो इसके लिये 'नहीं' कह दिया ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या राजस्व मंत्री जी को मालूम है कि इसी लगान माफी में देर करने के कारण संविद सरकार फेल हो गयी, तो इस लगान माफी में देर का नतीजा क्या होगा ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मानीय मंत्री जी इसके बारे में आश्वासन देंगे कि इसके लिये वे कोई बिल इसी सत्र में ला रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो बता दिया कि वे जुलाई से माफ कर रहे हैं ।

श्री गोविंद सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को आश्वासन देंगे कि इसी सत्र में वे कोई बिल इसके बारे में सदन में ला रहे हैं ?

श्री रामकिंकर—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में संस्तुति दे दी गई है । इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही भी हो चुकी है और कुछ ही दिनों में इसके बारे में विधेयक भी आ जायगा ।

श्री गोविंद सिंह—

प्रश्न साफ है कि क्या इसी सत्र में सरकार इस सम्बन्ध में कोई बिल लायेगी ?

श्री रामकिंकर—

इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है और जैसा कि मैंने बतलाया कि कुछ ही दिनों में यह विधेयक पेश होगा ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्रीजी बतलायेंगे कि ५ बीघा तक लगान माफ करने पर प्रदेश में कितने किसान लाभान्वित होंगे ?

श्री रामकिंकर—

यह अनुमान है कि कोई ८२ लाख जोत वालों को फायदा होगा ।

श्री रियासत हुसैन—

जैसा कि बजट में अलाभकर जोत के नाम से ५ बीघा तक की जमीन का लगान माफी का प्राविधान किया गया है , क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अलाभकर जोत को ५ बीघा तक मानने का क्या आधार है ?

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है ।

चौधरी रामपालसिंह यादव—

जैसा कि पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि ५ एकड से ऊपर साढ़े १२ एकड़ तक वालों का आधा लगान माफ करेंगे, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह ऐसा कर रहे हैं ?

श्री रामकिंकर—

इसके लिये नोटिस चाहिये ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये प्रश्न]

सोरांव में अस्पताल खोलने की मांग

*१—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के स्थान सोरांव में आवश्यकता को देखते हुए सरकारी जच्चा-बच्चा व पुरुष अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्म दत्त)—

सोरांव में एक शिशु कल्याण केंद्र विद्यमान है अतः दूसरा और खोलना आवश्यक नहीं है ।

सोरांव में जिला परिषद् द्वारा संचालित एक एलोपैथिक अस्पताल भी चल रहा है । इसके अतिरिक्त सरकार ने वहां पर एक प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र की भी स्वीकृति दी है, जिसकी स्थापना तभी होगी जब उपर्युक्त जिला परिषद् का अस्पताल कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित हो जायगा, जिसके लिए बराबर पत्र-व्यवहार चल रहा है।

श्री रामपूजन पटेल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के स्थान सोरांव में शिशु कल्याण केंद्र में कोई महिला डाक्टर है और बच्चों तथा महिलाओं को उचित उपचार हेतु कोई दवायें भी दी जाती हैं ?

श्री धर्मदत्त—

इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि इलाहाबाद जिले के किसी जनाने अस्पताल में लेडी डाक्टर नहीं हैं और यह सूचना मैं आपको लिखित रूप से बहुत पहले दे चुका हूं, तो क्या अब लेडी डाक्टर्स की व्यवस्था कर दी जायगी ?

श्री धर्मदत्त—

महिला चिकित्सकों का अभाव है और माननीय सदस्य की जानकारी पर यथाशीघ्र उसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया जायगा ।

श्री रामपूजन पटेल—

क्या माननीय मंत्री जी सोरांव में जो जिला परिषद् द्वारा चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है उसको हटा कर वहां प्राथमिक चिकित्सालय स्थापित करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त—

उत्तर में यह कहा था कि उसके लिए बराबर कार्यवाही की जा रही है। ९ मई को इस आशय की सूचना मिल गयी है कि जिला परिषद् का वह चिकित्सालय वहां से स्थानान्तरित किया जा रहा है ।

मुरादनगर ब्लाक में तहसील गाजियाबाद में नलकूप तथा पंपिंग सेट्स के लिये सब्सिडी

*२---श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादनगर ब्लाक, तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ में सन् १९६८-६९ में कितने लोगों को निजी नलकूप तथा पंपिग सेट हेतु सब्सिडी स्वीकृत की गई ? यह स्वीकृत सब्सिडी किसानों को कब दी गई ?

कृषि उपमंत्री (श्री शिवबक्ष सिंह राठौर)---

मुरादनगर ब्लाक, तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ में सन् १९६८-६९ में १० लोगों को केवल पंपिंग सेट पर सब्सिडी स्वीकृत की गई । यह स्वीकृत सब्सिडी ४ किसानों को दिनांक १५-३-६९ को व ६ किसानों को १९-३-६९ को दी गई । निजी नलकूपों पर वर्ष १९६८-६९ में कोई सब्सिडी स्वीकृत नहीं की गई ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी---

जिन काश्तकारों ने इस अवधि पर नियमानुसार सब्सिडी के लिए प्रार्थना-पत्र दिये थे और उनकी स्वीकृति हो चुकी थी उन्हें किस कारण से सब्सिडी अभी तक नहीं दी गयी ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

अस्वीकृति के कारण विभिन्न हैं । आप इजाजत दें तो मैं बयान कर दूं । प्रश्नगत विकास खंड में २२ कृषक ऐसे थे जिनके प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड थे परन्तु उनको सब्सिडी देने के प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हो गये और उसका कारण इस प्रकार से है । १३ कृषक ऐसे थे कि जिन्होंने निर्धारित अवधि पार करने के बाद भी अपने कार्य को पूर्ण नहीं किया ।

१-४-६९ को ४० कार्य अवशेष रह गये थे जिनका निस्तारण निम्न प्रकार हुआ :---

(अ) जिन पर १९६९-७० में अनुदान दे दिया गया	..	१३ कार्य
(ब) जिन पर १९७०-७१ में अनुदान स्वीकृत किया जाय	..	५
	योग	१८

(स) अस्वीकृत कार्यों की संख्या :---

(१) निर्धारित अवधि पार करने के बाद भी पूर्ण नहीं हुये ।	..	१३
(२) १-१-६८ के बाद पंजीकृत किये गये परन्तु ५ अश्वशक्ति से अधिक होने के कारण ।		१
(३) ५ एकड़ से अधिक भूमि होने के कारण १-१-६८ के बाद ।	..	४
(४) पंजीकरण के पूर्व ही कार्य पूर्ण होने के कारण ।	..	३
(५) स्वीकृत मेक का पंपिंग सेट न होने के कारण ।	..	१
	योग	२२

श्रीमन्, इसी प्रकार ११ कृषक ऐसे हैं जिनके निजी नलकूप बनाने के प्रार्थना-पत्र रजिस्टर हो गये थे ।

श्री अध्यक्ष---

पूरे ब्योरे की क्या आवश्यकता है ?

श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ काश्तकारों को नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट न आने के कारण सब्सिडी नहीं दी गई ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, यह बात सही है ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिनके आ गये हैं फिर भी उनको सब्सिडी नहीं दी गई है ?

श्री शिवराज सिंह—

ऐसा नहीं है । नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट के अलावा कुछ और शरायत भी पूरी करनी होती हैं और उनके न पूरा होने पर सब्सिडी नहीं दी जाती ।

श्री मंजूर अहमद—

क्या माननीय कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने कर्मचारियों से सांठगांठ कर ली और नलकूप नहीं लगाया और सब्सिडी ले ली ?

श्री शिवराज सिंह—

मुझे इसकी जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे, तो जानकारी करा ली जायगी ।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार के कारण लोगों को सब्सिडी नहीं मिल पाती है ?

श्री शिवराज सिंह—

मेरे पास कुछ शिकायतें आई हैं और हरएक शिकायत की जांच हो रही है ।

श्री मंजूर अहमद—

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिये उनको न मिल कर कर्मचारी और कुछ बीच के लोग उसे खा लेते हैं । इस जानकारी को सही मान कर क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में भी ऐसा हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तुरन्त उस कर्मचारी के विरुद्ध जांच बैठायेंगे जिस कर्मचारी की वजह से ऐसा हुआ ?

श्री शिवराज सिंह—

किसी कर्मचारी के खिलाफ मेरे पास शिकायत नहीं आई है । यदि शिकायत आयेगी तो जांच अवश्य कराई जायेगी ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

क्या माननीय मंत्री जी खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने के ख्याल से दुबारा सब्सिडी देने पर विचार करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

पंपिंग सेट और नलकूप के लिये सब्सिडी देना बन्द कर दिया गया है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार से ५० प्रतिशत सब्सिडी मिलती थी जिसे उन्होंने घटाकर १५ प्रतिशत कर दिया है इस कारण इसको बन्द कर दिया गया है। दूसरे इस सब्सिडी का उद्देश्य यह था कि किसानों में पंपिंग सेट और नलकूप के लिये दिलचस्पी हो जाय। अब किसान इसमें काफी दिलचस्पी लेते हैं और इसको लगाते हैं इस कारण मैदानी क्षेत्र में इसको बन्द कर दिया गया है।

श्री नौनिहाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट में बड़ा भ्रष्टाचार है इस बात का प्रयास करेंगे कि सब्सिडी देने के लिये नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट न मांगा जाय ?

श्री शिवराज सिंह—

सब्सिडी देना समाप्त कर दिया गया है।

[१२ मई, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—२—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[१ मई, १९७० के ता० प्र० सं० १०—११ के अन्तर्गत उत्तरित]

*३—४—श्री जगदीश गांधी—

[८वें बुधवार के ता० प्र० सं० ३—४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५—६—श्री मंजूर अहमद—

[११वें गुरुवार के ता० प्र० सं० ६—७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७—८—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[१५वें बुधवार के प्र० सं० १—२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परिवार नियोजन के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को पुरस्कार

*९—श्री मजूर अहमद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर, प्रदेश सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को १९६७—६८ में जिले, रीजन तथा प्रदेश में श्रेष्ठ आने हेतु कोई इनाम रक्खा गया था ? यदि हां, तो वह श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को वितरण किया गया या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त—

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश तथा जिला स्तर पर १९६७—६८ में श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिये पुरस्कार का प्राविधान १९६८—६९ के बजट में किया गया था जिसे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को वितरित कर दिया गया।

*१०—श्री मंजूर अहमद—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अवधि में परिवार नियोजन के अन्तर्गत जिले रीजन तथा प्रदेश में कौन-कौन श्रेष्ठ कार्यकर्ता रहे ?

श्री धर्मदत्त—

जिला स्तर के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्बन्धित ब्योरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है वह एकत्रित किया जा रहा है। रीजन (मंडल) स्तर पर कवल संस्थाओं को पुरस्कृत किये जाने की व्यवस्था थी। प्रदेश स्तर पर जिन श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को पुरस्कार वितरित हुये उनके नाम निम्न है :—

(१) श्री वी० वी० दीक्षित, प्रसार शिक्षक, शाहजहांपुर ५०० रु० नकद सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत उपलब्धि पर।

(२) श्री दुखरन सिंह, सुपरवाइजर कानूनगो, जौनपुर, ४०० रु० नकद द्वितीय श्रेष्ठ व्यक्तिगत उपलब्धि पर।

(३) श्री राजेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सुपरवाइजर कानूनगों, जौनपुर, ३०० रु० नकद तृतीय श्रेष्ठ व्यक्तिगत उपलब्धि पर।

(४) श्रीमती शमिष्ठा, जैन, महिला समाज कार्यकर्ता, आगरा, २५० रु० नकद सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत उपलब्धि पर पुरस्कार।

(५) डा० देवव्रत बराट, चिकित्सा सचल नसबन्दी इकाई, इलाहाबाद, १३२ रु० की कलाई घड़ी, प्रदेश में सार्वाधिक नसबन्दी सम्पादित करने हेतु।

(६) डा० (कु०) जे० डी० राजन, चिकित्सक अधीक्षक, लेडी लायल चिकित्सालय, आगरा, महिला नसबन्दी में सर्व श्रेष्ठ कार्य सम्पादन हेतु १६४ रु० की कलाई घड़ी के रूप में।

श्री मंजूर अहमद—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि जिला स्तर के समस्त अच्छा कार्य करने वाले लोगों को अभी इनाम नहीं दिया गया है। तो क्या मंत्री जी बतावेंगे कि इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त—

मान्यवर, पुरस्कार तो दे दिया गया है। उसका ब्योरा कि किसको-किसको दिया गया यह उपलब्ध नहीं है।

श्री मंजूर अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि १९६७–६८ के बजट में यह आ गया है और अब तक रुपया नहीं बंट पाया तो इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त—

निर्धारित धनराशि बांट दी गई है। अगर कहीं नहीं बंटा है और वह माननीय सदस्य की जानकारी में है तो कृपया सूचना दे दें हम उसकी जांच करा लेंगे।

सिकन्दराराऊ तहसील में लूप तथा नसबन्दी

*११—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या-स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ में स्थित परिवार नियोजन केन्द्रों पर सरकार ने १ अप्रैल, १९६८ से ३१ मार्च, १९६९ तक की अवधि में कुल कितना व्यय किया ? इसी अवधि में कितने पुरुषों की नसबन्दी की गई ? कितने नसबन्दी किये गये पुरुष ६० वर्ष से अधिक अवस्था के थे ? कितनी स्त्रियों के लूप लगाये गये ?

श्री धर्मदत्त—

तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में स्थित परिवार नियोजन केन्द्रों पर १ अप्रैल, १९६८ से ३१ मार्च, १९६९ तक कुल ६९,५४३ रुपये और ६६ पैसे व्यय किये गये। इसी अवधि में ८८९ पुरुषों की नसबन्दी की गई। नसबन्दी किये गये पुरुषों में से कोई पुरुष ६० वर्ष से अधिक अवस्था का नहीं था। ७२ स्त्रियों के लूप लगाये गये।

*१२—श्री जगदीश गांधी—

क्या उपर्युक्त केन्द्रों से इस अवधि में किसी अविवाहित व्यक्ति, विधुर या विधवा को भी परिवार नियोजन सामग्री दी गई ?

श्री धर्मदत्त—

उपर्युक्त केन्द्रों में इस अवधि में किसी अविवाहित व्यक्ति, विधुर या विधवा को परिवार नियोजन सामग्री नहीं दी गई।

श्री जगदीश गान्धी—

अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी यह है कि ६० वर्ष के उपर के लोगों की भी नसबन्दी की गई है और वहां पर धन का बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है। वहां पर लगभग ७० हजार रु० खर्च हुआ है लेकिन केवल ८७९ लोगों की ही नसबन्दी की गई और इस प्रकार से प्रति व्यक्ति करीब ९० रु० खर्च हुआ है जो बहुत अधिक है।

श्री धर्मदत्त—

मान्यवर, शासन को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ६० वर्ष के ऊपर के लोगों की नसबन्दी की गई है। अगर माननीय सदस्य इसकी कोई सूचना देंगे तो इसकी जांच करवाई जायेगी और सम्बन्धित व्यक्ति और अधिकारी के प्रति कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार का कोई आदेश प्रसारित करेंगे कि जिन व्यक्तियों के तीन से अधिक बच्चे हैं उन लोगों की नसबन्दी की जायेगी ?

श्री धर्मदत्त—

माननीय सदस्य का बहुत ही अच्छा सुझाव है और इसमें सभी माननीय सदस्यगण तथा मंत्रीगण सभी आते हैं और सभी के लिये इस पर विचार किया जायगा।

सैदपुर जिला बदायूं में जनाना अस्पताल खोलने की मांग

*१३—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को विदित है कि ग्राम सैदपुर, पो० सैदपुर, जिला बदायूं में पुरुषों का सरकारी चिकित्सालय है परन्तु औरतों का सरकारी चिकित्सालय नहीं है तथा इस सम्बन्ध में जिला चिकित्सालय सलाहकार समिति ने भी सिफारिश की है कि औरतों के लिये सरकारी अस्पताल खोला जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

जी हां ! वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा इस पर विचार किया जायेगा।

नोट :—तारांकित प्रश्न १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

इलाहाबाद के क्षय चिकित्सालय में शैय्याओं की कमी

*१४—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के क्षय चिकित्सालय में मरीजों की कितनी शैय्या हैं ? क्या मन्त्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि १९६७–६८ एवं १९६८–६९ तथा ३० सितम्बर, १९६९ तक कितने क्षय के रोगियों ने अस्पताल में दाखिल होने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये एवं उनमें से कितने दाखिल किये गये ? क्या सरकार इस अस्पताल में शैय्यायें बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अनवार अहमद—

सन्		दिये गये प्रार्थना-पत्र	भर्ती किये गये रोगी
१९६७–६८	..	७६०	३०२
१९६८–६९	..	६००	२७५
१ अप्रैल, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक ।		१८०	१९०

जी हां ! शय्यायें कब तक बढ़ जायंगी यह बताना अभी सम्भव नहीं है ।

स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों की नियुक्ति

*१५—श्री राम गोपाल संड—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६८–६९ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग में कितने डाक्टर एडहाक रूप में नियुक्त हुये तथा कितने लोक-सेवा-आयोग द्वारा सरकार सभी रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग द्वारा कब तक भर देगी ?

श्री अनवार अहमद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रोहेलखंड मेडिकल कालेज की मांग

*१६—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली या मुरादाबाद में रूहेलखंड मेडिकल कालेज खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अनवार अहमद—

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

बापू ग्राम कृषि सहकारी समिति लि०, वीरभद्र, ऋषिकेश द्वारा भूमि वितरण

*१७—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बापू ग्राम कृषि सहकारी समिति लि०, वीरभद्र, ऋषिकेश, जिला देहरादून को जो ७०० एकड़ भूमि सरकार ने भूमिहीनों के लिये दी थी क्या वह भूमि भूमिहीनों को सहकारिता के आधार पर खेती करने के लिये दी गई है ?

*१८—यदि हां, तो क्या सहकारिता मन्त्री बतलायेंगे कि उनका प्रमाण-पत्र किसने दिया कि वे सभी भूमिहीन हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के अन्तर्गत डाक्टरों को हाउस जाब देने की योजना

*१९—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन से सम्बन्धित समस्त आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों के इन्ट्रीग्रेटे मेडिसिन के स्नातकों को लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के स्नातकों की भांति जिला अस्पतालों में ६ महीने का अनिवार्य हाउस जाब देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू होगी ?

श्री अनवार अहमद—

बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन से सम्बन्धित आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों के विद्यार्थियों को जिला अस्पतालों में हाउस जाब देने की एक योजना विचाराधीन अवश्य है किन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । अतः उसके लागू करने का प्रश्न अभी नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक उन्नाव में स्पेशल आफिसर कम चीफ एकाउन्टेंट की नियुक्ति पर आपत्ति

*२०—श्री सोहन लाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी बैंक, उन्नाव में एक नये पद "स्पेशल आफिसर-कम-चीफ एकाउन्टेंट" का सृजन करके एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गई है जिसने कुछ समय पूर्व ही बैंक सेवाओं से राजनैतिक कारणों के त्याग-पत्र दे दिया था ? यदि हां, तो यह किस आधार पर किया गया है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

यह सही है कि जिला सहकारी बैंक, उन्नाव ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया के सुझाव पर एक स्पेशल आफिसर-कम-चीफ एकाउन्टेंट के पद का सृजन करके उस पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जो पहले भी बैंक की सेवा में रह चुका था । शासन को मिली सूचना के अनुसार इस व्यक्ति ने अपने पहले पद से राजनैतिक कारणों से त्याग-पत्र नहीं दिया था ।

*२१—श्री सोहन लाल धुसिया—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पद पर नियुक्ति करने के लिये प्रार्थना-पत्र मांगने के लिये किसी अखबार में विज्ञापन जारी किया गया था ? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे, और चुनाव की क्या प्रणाली अपनाई गई थी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

उक्त पद पर नियुक्ति करने के लिये किसी अखबार में आवेदन-पत्र मांगने के लिये कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था । नियुक्ति बैंक के सेवा नियम २८ के अनुसार की गई जिसके अन्तर्गत विज्ञापन देकर नियुक्ति करना आवश्यक नहीं था ।

मेडिकल कालेज लखनऊ के डाक्टरों की मांगे

*२२—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतायेंगे कि लखनऊ मेडिकल कालेज के हाउस आफिसरों एवं रेजीडेन्ट डाक्टरों की मांगें जिन्हें लेकर उन्होंने हाल में हड़ताल की थी, सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अनवार अहमद--

इस समय कोई मांग सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजकीय संभागीय अनुसंधान केन्द्र, हरदोई के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*२३--श्री सियाराम (जिला एटा)--

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६८-६९ में राजकीय संभागीय अनुसंधान केन्द्र, हरदोई में हुई कर्मचारियों की हड़ताल के लिये जिम्मेवार पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवराज सिंह--

वर्ष १९६८-६९ में इस केन्द्र पर कोई हड़ताल नहीं हुई थी। किन्तु दिनांक २२ जनवरी, १९६८ से मार्च, १९६८ के अन्त तक इस केन्द्र के कर्मचारियों ने फार्म के कार्य के लिये निर्धारित समय के प्रतिकूल १०.०० पूर्वाह्न से ५.०० सायंकाल तक मनमाने ढंग से कार्य पर आना आरम्भ कर दिया था। इस अनियमितता के लिये १४ कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी।

*२४-२५--श्री महरम सिंह--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

२६--श्री राम चरण--

[११ मई, १९७० को तारांकित प्र० सं० ६६ के अन्तर्गत उत्तरित]

जिला पूर्ति कार्यालय, वाराणसी के ए० आर० ओ० फूड व सर्किल इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायतें

*२७--श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी में मासिक कोटे की चीनी तथा सस्ते रेट १-३० प्रति किलो के रेट से १ जनवरी, सन् १९७० से २८ फरवरी सन् १९७० तक कितने दुकानदारों को कितनी-कितनी बोरी चीनी दी गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२८--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलापूर्ति कार्यालय, वाराणसी के ए० आर० ओ० फूड व सरकिल इन्स्पेक्टर के विरुद्ध दिनांक १७ अगस्त, १९६९ को फूड कमिश्नर, लखनऊ खाद्य मन्त्री, लखनऊ, जिलाधीश, वाराणसी को शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? क्या यह भी सही है कि दिनांक २६ दिसम्बर, १९६९ को फूड कमिश्नर, लखनऊ, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश तथा जिलाधीश, वाराणसी को दिनांक २१ जनवरी, १९७०, २ फरवरी, १९७० को भी इसी संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है ? क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को दिनांक २४ फरवरी, १९७० को भी ऐसी शिकायत भेजी गई है ? यदि हां, तो अब तक उन परक्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

आवश्यक सूचना जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी से एकत्र की जा रही है ?

महोली गन्ना क्षेत्र से गन्ना ग्राम सेवक का स्थानान्तरण न होना

*२९—श्री करन सिंह (जिला खीरी)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को पता है कि गन्ना ग्राम सेवक, सीतापुर जिले के महोली जोन में पिछले १० वर्ष से अधिक से हैं ? यदि हां, तो उसके वहां से स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

जी हां, सीतापुर जिले के महोली जोन में गन्ना विकास परिषद् वेतन-भोगी एक गन्ना ग्राम सेवक १० वर्ष से अधिक से है। परिषद् वेतन-भोगी गन्ना ग्राम सेवकों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि प्रान्तीय स्तर पर उनका स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले अथवा एक परिषद् से दूसरी परिषद् में किया जा सके। अतः इस गन्ना ग्राम सेवक का स्थानान्तरण नहीं हुआ है।

*३०—श्री सूबेदार प्रसाद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया]

*३१—श्री सूबेदार प्रसाद—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

प्री-मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था

*३२—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कम्बाइन्ड प्री-मेडिकल टेस्ट की वर्तमान व्यवस्था जिसमें कि मेरठ, लखनऊ, कानपुर तथा आगरा आदि कई स्थानों पर केन्द्र रख कर परीक्षा होती है उसमें कोई बदल करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो बदल की रूप-रेखा क्या होगी ?

श्री अनवार अहमद—

कम्बाइन्ड प्री-मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गयी है। १९७०–७१ के शैक्षिक सत्र में लखनऊ और कानपुर मेडिकल कालेजों के लिये प्री-मेडिकल टेस्ट, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा और मेरठ और झांसी मेडिकल कालेजों के लिये यह टेस्ट मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा। आगरा और इलाहाबाद मेडिकल कालेजों के लिये यह टेस्ट क्रमशः आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा।

फरेंदा तहसील में अस्पताल खोलने की मांग

*३३—श्री राम लगन दूबे (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार गोरखपुर जनपद की तहसील फरेंदा में तथा विकास क्षेत्र लक्ष्मीपुर के नईकोट, अड्डाबाजार, बरगदवा तथा कोल्हुई विकास क्षेत्र नौतनवां के बरगदवा बाजार असुरैना और भगवानपुर में राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

*३४—क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि गोरखपुर के सदर मुकाम से उत्तर ९० किलोमीटर की दूरी तक महिलाओं की चिकित्सा के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ? तो क्या सरकार नौतनवां बाजार में एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा वर्षा पूर्व निर्मित लेडीज अस्पताल के लिये योग्य लेडी डाक्टर व स्टाफ की व्यवस्था शीघ्र करेगी तथा उसे अपने नियंत्रण में लेगी ?

श्री अनवार अहमद —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दुग्ध क्षेत्र सुरक्षित करने का सुझाव

*३५—श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

क्या यह बात सही है कि सहकारी दुग्ध संघों ने उनके द्वारा संचालित समितियों, दुग्ध केन्द्रों के जोन बनाकर क्षेत्र सुरक्षित करने की शासन से मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा किये गये कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और गन्ना जोन की भांति मिल्क जोन बनाने पर विचार कर लागू करेगी ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां ।

किन्तु शासन का विचार अभी दुग्ध क्षेत्र सुरक्षित करने का नहीं है ।

शाहजहांपुर में अतिरिक्त लेडी डाक्टर की मांग

*३६—श्री उमा शंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में केवल एक ही लेडी डाक्टर है जिसे फैमिली प्लानिंग का काम भी करना पड़ता है जिससे रोगियों को बड़ी असुविधा होती है ? क्या सरकार वहां एक अतिरिक्त लेडी डाक्टर नियुक्त करेगी ?

श्री अनवार अहमद—

शाहजहांपुर जिले के डफरिन अस्पताल में एक लेडी डाक्टर अप्रल, १९६८ से तैनात है तथा वहां के नगर परिवार नियोजन केन्द्र पर एक लेडी डाक्टर १२ फरवरी, १९७० से कार्य कर रही है । एक तीसरी लेडी डाक्टर की पोस्टिंग वहां के परिवार नियोजन सचल लूप दल में भी २० अप्रल, १९७० को की जा चुकी है । अतः शाहजहांपुर में कोई अतिरिक्त डाक्टर नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले में संयुक्त अस्पताल खोलने की योजना

*३७—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जन पद में सरकारी अस्पताल बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना कब बनी थी और कब तक पूरी होगी और क्या लागत आयेगी ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां । चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजनाकाल में उन्नाव में १५० शैयाओं का एक संयुक्त अस्पताल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के तीन वर्ष के अन्दर इस योजना के पूरी होने की आशा है । इस पर अनुमानतः ४० लाख रुपया खर्चा आयेगा ।

*३८—श्री लालसा—

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित]

परिवार नियोजन विभाग में प्रसार शिक्षकों की पदोन्नति

*३९—श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवार नियोजन विभाग में प्रसार शिक्षकों की पदोन्नति का आधार क्या है तथा वरिष्ठता सूची तथा सेवा नियमावली जो पिछले दो सालों से बन रही है कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री अनवार अहमद—

प्रसार शिक्षकों को उच्च पदों पर, जो विभाग में स्वीकृत है, पदोन्नति किये जाने की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है वरिष्ठता सूची के बनाने में जो सूचना संकलित की जा रही है वह कुछ जनपदों से अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। उन जनपदों से पत्र व्यवहार चल रहा है और आशा है कि शीघ्र ही वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा, सेवा नियमावली के तयार किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

एटा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का असंतोषजनक कार्य

*४०—श्री सतीशचन्द्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले के किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया है और उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

श्री अनवार अहमद—

एटा जनपद में केवल १५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लक्ष्य उपलब्ध वर्ष १९६९–७० में सन्तोषजनक नहीं पाया गया। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्य करने वाले तीन स्वास्थ्य सहायकों की सेवायें उनके कार्य के शून्य होने के कारण समाप्त की गई और शेष कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी।

कृषि फार्मों का आय-व्यय

*४१—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में सरकारी कृषि फार्म कौन-कौन से कितने-कितने क्षेत्रफल के तथा कहां-कहां हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

राज्य में स्थित सरकारी कृषि फार्मों के नाम, क्षेत्रफल तथा स्थिति संलग्न† प्रदर्श १ में दी हुई है।

*४२—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त फार्मों का वित्तीय वर्ष १९६९–७० के आय-व्यय के मदों का ब्योरा अलग-अलग क्या है और इनमें ऐसे कौन-कौन से फार्म हैं जो घाटे पर चल रहे हैं ?

श्री शिव राज सिंह—

फार्मों का लेखा कृषि वर्ष के अनुसार बनाया जाता है। कृषि वर्ष १९६९–७०, ३१ मई, १९७० को समाप्त होगा। अतः आय-व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

*४३–४४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[६ ठे बुधवार के प्र० सं० ५६–५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

---

†छापा नहीं गया।

*४५—श्री बांके लाल—

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित]

गोंडा जिले की गन्ना समितियों के ग्राम सेवकों एवं सुपरवाइजरों का स्थानान्तरण न होना

*४६—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या कृषि एवं गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में गन्ना सोसायटी बलरामपुर, नवाबगंज तथा तुलसीपुर में कुछ केन सुपरवाइजर्स तथा कामदार ऐसे भी हैं जो एक ही स्थान पर लगातार ५ वर्ष की अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं। यदि हां, तो क्रमशः उनकी क्या-क्या संख्या है ?

श्री चरण सिंह—

जी हां, । इन समितियों में जितने पर्यवेक्षक तथा गन्ना ग्राम सेवक (कामदार) ५ वर्षों से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या समितिवार निम्नलिखित है :—

समिति का नाम	पर्यवेक्षकों की संख्या	गन्ना ग्राम सेवकों की संख्या
गन्ना सोसाइटी, बलरामपुर ..	२	११
गन्ना सोसाइटी, नवाबगंज ..	१	१६
गन्ना सोसाइटी, तुलसीपुर ..	..	११

*४७—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या मंत्री जी उपरोक्त प्रश्न में उल्लिखित स्थानों के उन सुपरवाइजरों तथा कामदारों का तबादला जो ५ वर्ष की अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं अन्यत्र करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरण सिंह— अ

वार्षिक स्थानान्तरण करते समय आवश्यकतानुसार इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

*४८—श्री गोविन्द सिंह तथा श्री कल्यान सिंह—

[सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रतापगढ़ जिले में तकावी तथा पम्पिंग सेट ऋण वसूली में सख्ती की शिकायत

*४९—श्री रामदेव—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत गौरा ब्लाक में कुछ ऐसे कृषक हैं जिनका नाम पम्पिंग सेट की तकावी लेने वालों में दर्ज है और ऋण वसूली हेतु उनके यहां कुर्की भी काटी गई है किन्तु न उन्हें पम्पिंग सेट की मशीन मिली और न तकावी का रुपया ही मकद मिला है ? क्या इस आशय का प्रस्ताव १९६९ ई० की बी० डी० सी० की बैठक में पारित हुआ है और उसकी प्रतिलिपि जिलाधीकारी, प्रतापगढ़ को प्रेषित की गई है ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिवराज सिंह—

प्रतापगढ़ जिले के गौरा ब्लाक में जिन कृषकों के नाम ऋण का वितरण किया जाना अंकित है परन्तु जिन्हें, पम्पिंग सेट की मशीन या ऋण का रुपया न मिलने की शिकायत है, ऐसे किसी कृषक के विरुद्ध रुकों की कार्यवाही नहीं की गई है। एक शिकायती प्रस्ताव सितम्बर, १९६९ में बी० डी० सी० की बैठक में पारित हुआ था और उसकी प्रतिलिपि ब्लाक प्रमुख द्वारा जिलाधीश को भी प्रेषित की गई थी। दो मामलों में जिले के अधिकारियों द्वारा जांच समाप्त करके प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस को भेज दी गई है तथा पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

गौरा ब्लाक के कर्मचारियों का यात्रा भत्ता

*१०—श्री राम देव—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत गौरा ब्लाक के सहायक विकास अधिकारियों, ग्राम सेवकों एवं चपरासियों का दौरा भत्ता कब तक का दिया गया है? क्या १० महीनों से उक्त कर्मचारियों को भत्ता नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अविलम्ब भत्ता दिलाने की व्यवस्था करेगी?

श्री शिवराज सिंह—

सहायक विकास अधिकारी, ग्राम सेवक एवं चपरासियों का जून १९६९ तक के यात्रा भत्ते का भुगतान वर्ष १९६९–७० में ही कर दिया गया था। जून १९६९ से बाद के यात्रा बिलों का भुगतान जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार आवंटन प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया था। जुलाई १९६९ से अक्तूबर ६९ तक के यात्रा बिल खजाने से मार्च ७० में ही पास करा लिये गये थे लेकिन आवंटन न होने के कारण उनका धन नहीं निकाला गया था अब जुलाई १९६९ से अक्तूबर ६९ के यात्रा बिलों का भुगतान अप्रैल १९७० में किया गया है और संबंधित कर्मचारियों को वितरित भी कर दिया गया है। नवम्बर १९६९ से फरवरी १९७० के बिलों का भुगतान आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् कर दिया जायगा।

सिकन्दराराऊ तहसील में नलकूप तकावी

*५१—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में सन् १९६२ से १९६४ तक नलकूप लगाने के लिये कितने व्यक्तियों को तकावी बांटी गई?

श्री शिवराज सिंह—

विकास क्षेत्र सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में सन् १९६२ से १९६४ तक नलकूप लगाने हेतु किसी भी व्यक्ति को तकावी नहीं दी गई।

*५२—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि बांटी गई तकावी का एक चौथाई हिस्सा माफ किया जाय? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वहां पूरी तकावी वसूल की जा रही है?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां। ये आदेश १–४–६५ से लागू हुये थे। इस तिथि से पहले के मामलों में अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातीय खंड विकास अधिकारियों की सेवा समाप्ति

*५३—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि माह जून, वर्ष १९६४ में कितने खण्ड विकास अधिकारी सेवा से निवृत्ति किये गये और उनके ऊपर क्या-क्या आरोप लगाये गये थे तथा उनमें कितने अनुसूचित अथवा जन-जाति के थे और किस-किस जिले के थे ?

श्री शिवराज सिंह—

कथित काल में किसी भी खण्ड विकास अधिकारी को सेवा से निवृत्ति नहीं किया गया। यह सही है कि १८ खण्ड विकास अधिकारियों की सेवा समाप्त की गई। उनमें ९ अनुसूचित जाति के थे। सूची संलग्न है। इनकी सेवा समाप्ति दण्डस्वरूप नहीं थी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७५३ पर)

*५४—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या यह सत्य है कि उन्हें अभी तक कोई चार्जशीट नहीं दी गई ? उनके बाद के नियुक्त खण्ड विकास अधिकारी अभी भी कार्य कर रहे हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में गांव सभाओं को नलकूप के लिये ऋण

*५५—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष सन् १९६८-६९ में शासन द्वारा गांव सभाओं को स्माल ट्यूबवेल हेतु ऋण की धनराशि वितरण हेतु स्वीकृत की गई थी उसका प्रयोग आजमगढ़ जन-पद के किन-किन विकास खण्डों में कितना-कितना किया गया है ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां, आजमगढ़ जनपद में वर्ष १९६८-६९ में गांव सभाओं को छोटे नलकूप लगाने हेतु जो धनराशि ऋण के रूप में दी गई है उसका विकास खण्डवार प्रयोग का विवरण निम्न प्रकार है:—

विकास खंड का नाम	धनराशि
	रु०
१—हरैया	१४,५००
२—दोहरीघाट	७,५००
३—घोसी	१५,०००
४—जहानागंज	९,३७०
५—परवहा	२,५००
६—मुहम्मदपुर	२,०००
७—लालगंज	२,५००
८—बड़राव	१२,०००
९—अजमतगढ़	१२,०००

*५६—श्री जाकलाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद के विकास खण्ड घोसी तथा बोहरी घाट में उक्त धन किन-किन गांव सभाओं को दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त धन को सरेन्डर कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री शिवराजसिंह—

उक्त धन विकास खंड घोसी तथा बोहरीघाट की निम्नलिखित गांव सभाओं को दिया गया है :—

विकास खंड का नाम	गांव सभा का नाम
१—घोसी	भेलपुर बंगेरी
२— "	कबरा
३— "	भेलउर लठिया
४— "	कमरोली
५— "	मधुबन
६—बोहरीघाट	आदमपुर
७— "	खजुहा
८— "	कोरोली

उक्त धन के सरेंडर की स्थिति इस प्रकार है कि आजमगढ़ जिले को सर्वप्रथम इस कार्य हेतु ५ लाख रुपये वर्ष १९६८ में दिये गये जिसमें से ३ लाख रुपया जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ ने आवश्यकता न होने के कारण जनवरी, १९६९ में वापस कर दिया। शेष २ लाख रुपया भी उक्त जनपद से दिनांक १०-३-६९ के कारण इस कारण वापस ले लिया गया क्योंकि फरवरी १९६९ तक उक्त जनपद में कुछ भी व्यय नहीं हुआ था, अतएव यह धन अन्य जिलों को आवश्यकतानुसार बांट दिया गया। परन्तु १४-३-६९ को आजमगढ़ जनपद की पुनः २ लाख रुपये की मांग प्राप्त होने पर केवल रु० ७७,३७० उपलब्ध किया जा सका जो उक्त जनपद द्वारा पूर्ण उपयोग कर लिया गया। अतिरिक्त धनराशि की जिले से मांग प्राप्त होने पर उसे देने के बारे में सहानुभति पूर्वक विचार किया जायेगा।

अल्प सिंचाई विभाग में कर्मचारियों का स्थायीकरण

*५७—श्री गंगा सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि अल्प सिंचाई विभाग के विभिन्न स्तर के कितने कर्मचारियों का स्थायीकरण सन् १९६७-६८, १९६८-६९ तथा १९६९-७० में हुआ ?

श्री शिवराज सिंह—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७५४ पर)

सहायक विकास अधिकारी (महिला) की सेवा समाप्ति

*५८—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६९ में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी, महिलाओं को उनकी नौकरियों से पृथक कर दिया गया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उनमें से कितनों ने म्यूट्रेशन की ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां, तीन सहायक विकास अधिकारी (महिला) को पृथक कर दिया गया है। ये तीनों म्युट्रिशन की ट्रेनिंग प्राप्त किये हुए हैं।

*५९—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया महिला कर्मचारियों की छंटनी किस आधार पर की गई है और सरकार ऐसी महिलाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके कहीं नियुक्ति करने का विचार कर रही है ?

श्री शिवराज सिंह—

दो की सेवाएं सहायक विकास अधिकारी (महिला) पद का दस मास का प्रशिक्षण प्राप्त न होने के कारण तथा तीसरी की प्रशासकीय आधार पर समाप्त की गई थीं। उपरोक्त ३ कर्मचारियों में से २ के मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करके उन्हें उनके उपर्युक्त ग्राम सेविका पद देने की कार्यवाही की गई है तथा एक कार्यकत्री ने ग्राम सेविका का पद स्वीकार कर लिया है। तीसरी कर्मचारी को नियुक्त करने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

*६०—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या विकास मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि आर० एम० पी० विभाग द्वारा निर्मित होने वाली सड़क जो राजधानी मटियारा नाम से बन रही थी का कार्य क्यों बन्द है ? क्या इसके पूरा करने की व्यवस्था इस वर्तमान बजट में है ? यदि हां, तो निर्माण कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री शिवराज सिंह—

प्रश्नगत सड़क पर निर्माण कार्य बन्द नहीं है। कार्य प्रगति में है और इस सड़क को सुरक्षित एवं उपयोगी स्तर तक चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा देने की व्यवस्था है।

अतारांकित प्रश्न

"क" श्रेणी में जिला एवं केंद्रीय सहकारी बैंक

१—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३० जून, १९६९ के आडिट के अनुसार कितने जिला सहकारी बैंक तथा प्रदेश स्तर की सहकारी समितियां 'अ' श्रेणी में हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

३०-६-६९ को आडिट के अनुसार ११ जिला एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक 'अ' श्रेणी में थे। प्रदेश स्तर की समितियों का वर्गीकरण नहीं लिया गया।

सहकारी गन्ना विकास समिति, देवरिया में कटौती

२—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन सोसाइटी देवरिया द्वारा हिस्से के रूप में काश्तकारों से प्रतिवर्ष प्रति काश्तकार कितनी कटौती होती है ?

श्री चरण सिंह—

सहकारी गन्ना विकास समिति, देवरिया में प्रतिवर्ष प्रति सदस्य १ रु० हिस्सा के रूप में कटौती की जाती थी। यह कटौती सहकारी वर्ष १९६४-६५ से बन्द कर दी गई। अब हिस्सा की कटौती नहीं की जाती।

३—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्रश्न में जिस कटौती का उल्लेख किया गया है इसके अनुसार वित्तीय वर्ष १९६६–६७ व १९६७–६८ तथा १९६८–६९ व १९६९–७० में प्रतिवर्ष कितना रुपया कितने काश्तकारों से प्राप्त हुआ तथा यह रुपया किस मद में व्यय किया गया ?

श्री चरण सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित वित्तीय वर्षों में, उपरोक्त मदों में उक्त समिति द्वारा कोई कटौती नहीं की गई, इसलिये किसी मद में व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

४—श्री राम गोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार का प्रश्न सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध उठाया गया था । वह उस समय उत्पन्न हुआ था जब सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी भाषण दे रहे थ । कागज उन्होंने देख लिया और उसमें श्री लक्ष्मी रमण आचार्य ने मुझसे कहा और उस पर मैंने कहा कि यह बात गलतफहमी के आधार पर हुई । इसको दोनों ने बैठकर देख लिया । उसमें कोई भी सार्वजनिक निर्माण मंत्री का उद्देश्य नहीं था और न किसी को बदनाम करने का था । इस कारण आज यह चीज यहीं पर ड्राप की जाती है । अब आचार्य जी से यही कहना है कि वह अब इसके लिये प्रेस न करें ।

श्री अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दो विशेषाधिकार के प्रश्न आज उठाये गये थे, एक तो उपाध्यक्ष के खिलाफ और एक अध्यक्ष अर्थात् मेरे खिलाफ यहां के कार्य के संबंध में । उसका जवाब यह है कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के विरुद्ध कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । मेरे बारे में जो कहा गया उसके बारे में मैं कह देना चाहता हूं कि एक कामरोको प्रस्ताव श्री अनन्त राम जायसवाल ने दिया था जो दिल्ली में मारपीट हुई थी, दफा १४४ को तोड़ने के ऊपर । उस विषय में हमारे एस०एस०पी० के भाइयों का यह ख्याल हुआ कि इस विषय पर एक कामरोको प्रस्ताव आये जिस पर यहां पर चर्चा की जा सकती है । मैंने कहा कि नियम के अन्तर्गत यह नहीं दिखलाई देता कि उसकी जिम्मेवारी प्रदेशीय सरकार की है और इस कारण से मैंने कहा कि आप इसको नियम ५२ में दे दें । लेकिन इसके बाद प्रश्नोत्तर हुआ और उसमें यह जवाब दिया गया कि हमको इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और दिल्ली प्रशासन का ही इससे संबंध था । इसके ऊपर मैंने यह भी कहा कि नियम ५२ में इसको करने में क्या एतराज है । उसके ऊपर कानूनी राय ली गई और कानूनी राय है कि पी०ए०सी० वहां गई चाहे वह केन्द्रीय शासन की आज्ञा अथवा दिल्ली सरकार की आज्ञा से और उसने कार्य किया । इस सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है । इसी बात का जवाब मैंने दिया था कि यदि अंशतः भी इसका संबंध आया हो तो मैं नियम ५२ में स्वीकार कर लूंगा और अगर नहीं है तो कानूनन अपने मत का परिवर्तन करना पड़ेगा । मैंने यह समझ कर नियम ५२ का जिक्र किया था कि कहीं इनडायरेक्टली इसका संबंध आता हो,

डायरेक्टली होता तो मैं कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता, लेकिन इनडायरेक्टली भी अगर संबंध होता तो मैं नियम ५२ में स्वीकार कर लेता । कानूनी राय मुझे यह मिली कि इनडायरेक्टली भी इस सरकार से कोई संबंध नहीं है, पूरी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है और वहां उस पर बहस हो सकती है और हो रही है । मैंने यह कहा था कि इनडायरेक्टली भी अगर उसका संबंध न आता हो तो मैं पुनर्विचार करके यह फैसला दे सकता हूं कि नियम ५२ में मैं स्वीकार नहीं कर सकता । इसलिये मने यह जवाब दिया था कि मैं उसके ऊपर विचार कर रहा हूं । इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं होता, बदलने का प्रश्न नहीं होता । अगर यहां पर आप ऐतराज करते हैं और आप यह सिद्ध कर देते हैं कि यह चीज ऐसी नहीं है तो मैं पुनर्विचार करता हूं । पुनर्विचार के अधिकार का इस्तेमाल करना और कानन के हिसाब से पुनर्विचार करके कार्य करना, यह कोई गलती नहीं होती । कानून के हिसाब से बहुत दफा गलती होती है और कानून की पक्की राय मिलने पर पुनर्विचार करना होता है । तो इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता । जो मैंने कहा उसमें मत परिवर्तन करने का भी मुझे अधिकार है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में जानकारी

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

श्रीमन् मैं कल निवेदन कर चुका हूं और नियम ५२ के अन्दर मैंने दिया था कि एक आदमी को खटीमा में जिन्दा जला दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

आप ४ बजे बताइयेगा ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

७, ८ तारीख की आंधी-तूफान का मैंने लिखकर दिया था कि लाखों मन गल्ला उड़ गया है । ओला वगैरह का तो आप वक्तव्य दिला देते हैं . . . . . ।

श्री अध्यक्ष—

जब आप कहें उसी वक्त मैं वक्तव्य नहीं दिलाता हूं । वक्तव्य के लिए पहले मंत्री के पास जाता है, फिर जिस तारीख को मुकर्रर होता है उस दिन वक्तव्य दिया जाता है । आज चार आ गये हैं । यह पहले दिये हुए हैं । आप मेरे कमरे में आकर उस फाइल को निकलवा लें । मैं साढ़े तीन बजे आपको अपने कमरे में बताऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । सदन को ११ बजे शुरू हो जाना चाहिये । मेरी राय में इसकी जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष की है । और १२ बजे से प्रश्नोत्तर के बाद का कार्य शुरू हो जाय यह भी जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष की है इसी तरह से ४ से ५ बजे तक नियम ५१ आदि का कार्य हो यह भी जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष की है और फिर ५ बजे के बाद नियम ५२ आदि के जो विषय निर्धारित हो वह ५ बजे शुरू हो जायं यह भी जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष की है । कल की घटना यह थी कि ५ बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट की

[श्री जगदीश गांधी]

बेंच मेरठ में हो इस पर चर्चा होनी थी । लेकिन वह चर्चा साढ़े पांच बजे शुरू हुई । इसलिये साढ़े सात बजे तक चलनी थी । लेकिन माननीय सदस्यों के आग्रह पर माननीय उपाध्यक्ष जी ने आधे घंटे का समय बढ़ाकर दो घंटे के बजाय ढाई घंटे का कर दिया क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण था । साढ़े पांच बजे चर्चा शुरू हुई । ८ बजे तक चलनी चाहिये थी लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी ने कल शाम ७.२० बजे श्री श्याम सूरत उपाध्याय को उत्तर भाषण के लिए निमंत्रित किया । लेकिन मैंने फौरन ही उनसे आग्रह किया कि आप ने आदेश ढाई घंटे की चर्चा का दिया है, यह बहस ५.३० बजे आरम्भ हुई थी और इस को ८ बजे तक चलना चाहिये था । इस पर उन्होंने कहा कि ५ बजे के बजाय चर्चा ५.३० बजे शुरू हुई यह सदस्यों की जिम्मेदारी है । मैं समझता हूं कि ठीक ११ बजे सदन की कार्यवाही का आरम्भ होना, और प्रश्नों के बाद १२ बजे आमे की कार्यवाही का शुरू करना या ४ बजे से ५ बज की कार्यवाही का समय से संचालन होने की जिम्मेदारी माननीय सदस्यों की है या माननीय अध्यक्ष की है?

श्री अध्यक्ष—

इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठ नहीं सकता । आप ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया तो बात यह है कि मैं जिस वक्त यहां नहीं होता और उपाध्यक्ष जी होते हैं । . . .

(सदन में विद्युत् खराब होने से ध्वनियंत्र बन्द हो गये ।)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, दस मिनट का समय दे दीजिये ताकि ध्वनि की गड़बड़ ठीक हो जाय और फौरन इन्तजाम किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

तो दस मिनट के लिए मैं सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय १२ बजकर १२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बजकर २२ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(ध्वनि विस्तारण यंत्र के ठीक होने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—

मैं उस विषय पर बोल रहा था जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय जगदीश गांधी ने उठाया था । उस संबंध में जो कल बात हुई उस विषय में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष जी मेरी जगह बैठते हैं । वह उतना ही अधिकार रखते हैं जितना मैं रखता हूं । मैं उनके किसी फैसले के बारे में रिव्यू नहीं कर सकता हूं और मैं उनके किसी फसले को उलट नहीं सकता हूं क्योंकि वह जो कुछ भी करते हैं उसी हैसियत से करते हैं । हम लोगों की प्रिसाइडिंग आफिसर्स कांफ्रेंस में भी इस बात पर विचार हुआ था । उसमें यह हुआ कि अगर इस तरह का दूसरा मौका आवे तो इस तरह की दूसरी डिफरेंट रूलिंग अध्यक्ष द्वारा दी जा सकती है लेकिन यह नहीं हो सकता है कि मैं यह कहूं कि उपाध्यक्ष ने जो रूलिंग दी वह गलत है या जो उन्होंने फैसला दिया वह गलत है । यह पहले जो बात यहां पर हो चुकी है मैं उसके ऊपर कोई पोस्टमार्टम नहीं कर सकता हूं । यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं । अब आगे की कार्यवाही आरम्भ होगी । और इसके ऊपर आगे चर्चा नहीं होगी

श्री अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, ६ अप्रैल के बारे में जो कार्य-स्थगन की आपको सूचना हमने दी थी उसको आपने अस्वीकार कर दिया और न उसको अब नियम ५२ में ही लिया । मुझको ऐसा लगता है कि हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है । इसलिये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान असेम्बली के माननीय सदस्य मुकुटबिहारी लाल जी के साथ जो यह घटना घटी तो राजस्थान असेम्बली के स्पीकर ने उसको विशेषाधिकार के रूप में स्वीकार किया । हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे साथ यह अन्याय है कि यह नियम ५२ का प्रश्न यहां पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हम किसी राष्ट्रीय मांग को लेकर दिल्ली जायं और वहां पर पी०ए०सी० को मेरठ से भेजकर मुख्य मंत्री जी हम लोगों को पिटवायें तो क्या हम उसकी आवाज को यहां पर न उठायें ? क्या इस देश का यही समाजवाद है कि आप सीधे-सीधे यह कह दें कि यह नियम ५१ इस विषय में लागू नहीं होता या नियम ५२ लागू नहीं होता । क्या दिल्ली में तथाकथित समाजवादी और पुराने समाजवादियों को पिटवाने का नियम ही लागू होता है। क्या हम समाजवादी बाराबंकी के रहनेवाले बिहारीलाल की मृत्यु के बारे में उसकी हत्या के बारे में यहां पर चर्चा नहीं कर सकते हैं ? क्या यह जनतंत्र की हत्या नहीं है? हम यह महसूस करते हैं कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है। आपके निर्णय के बारे में मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम आप अपनी रूलिंग देते समय हमारी भावनाओं का तो ख्याल करते । यदि उस मृत आत्मा का आप ख्याल नहीं करते तो न सही लेकिन जो जीवित हैं उनकी आत्मा का तो ख्याल करते । अगर जो सम्मानित सदस्य श्री श्याम लाल व श्री बांकेलाल आदि का ही ख्याल कर लेते जिनको ६ अप्रैल को चोटें आई तो हम समझते कि हमारे साथ कुछ न्याय हुआ है। इसलिये म आपकी रूलिंग पर पुनर्विचार चाहूंगा और आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने फैसले पर फिर गौर करें ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

हमने कामरोको प्रस्ताव दिया था जिसको स्वीकार नहीं किया गया । हमको आशा थी कि उसके लिए समय दिया जायगा । आपसे हमने कहा था कि कमरे में आ जाइये तो विचार हो जायगा लेकिन मैंने कह दिया था कि मैं कमरे में नहीं आऊंगा आप हमको समय दीजिये हम लोग ६ अप्रैल को दिल्ली में प्रदर्शन करने क लिए अपनी मांग को लकर गय थे और वहां पर मेरठ से पी०ए०सी० को मुख्य मंत्री जी ने भेजकर हम लोगों को पिटवाया और हमारे ऊपर डंडे चलाये। मुझ पर भी डंडे पड़े थे। वह डंडे हमारे ऊपर इतने जोर से पड़े थे कि आज तक उसका दर्द हमारे बदन में होता है। हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था कि आप उस पर हमको समय दें । आपने हमको आश्वासन भी दिया था कि समय दिया जायगा और हम भी यह समझते थे कि समय मिलेगा और माननीय सदस्य उस पर बहस करेंगे तो हम लोगों को संतोष हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष---

जहां तक इस विषय की बात है, मैंने उत्तर दिया था कि इस विषय को मैं देख लूं कि कानूनी तौर पर इस का संबंध इस सरकार से है या नहीं, तब मैं जवाब दूंगा और तो मैंने कुछ कहा नहीं है और अभी तक इतना ही है। अभी तक मैं स्टडी कर रहा हूं इसलिये मैंने जवाब दिया था और कोई बात नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता उपाध्यक्ष के खिलाफ । इसका स्पष्टीकरण आपके सामने दिया गया था फिर भी दोबारा मैंने आपके सामने स्पष्टीकरण दिया चूंकि मैं कह चुका हूं कि नियम ५२ में आप दे दीजिये

[श्री अध्यक्ष]

इसलिये मेरा कर्त्तव्य था कि मैं आपसे कहूं कि मेरी स्थिति क्या है । अभी तक उसके ऊपर मैंने अपना निर्णय दिया नहीं है।

जहां तक इसके संबंध में जिक्र करने की बात है, अभी बजट पर चर्चा चल रही है, आम बहस में आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं और वह सवाल आप उठा सकते हैं । आपको कोई रोकेगा नहीं, आप बराबर इस सवाल को उठा सकते हैं कि इसके लिये सरकार जिम्मेदार है। यह प्रश्न अभी मेरे विचाराधीन है लेकिन जब उसके ऊपर कानूनी तौर पर एतराज किया गया था तो उसे सुनना जरूरी था । अब आप कार्यक्रम को आगे चलने दीजिये और बातें बजट के बहस के समय कह देंगे ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, ६ अप्रैल को जो घटना दिल्ली में हुई, उस घटना के सिलसिले में जैसा कि अभी माननीय रामधारी शास्त्री जी ने कहा इन लोगों ने यह प्रस्ताव आपके सामने दिया था और वह प्रस्ताव जहां तक मैं समझता हूं, कामरोको प्रस्ताव की शकल में था । आपने यह कहा था कि नियम ५२ की शकल में मैं उसको मंजूर कर लूंगा क्योंकि प्रत्यक्षतः उत्तर प्रदेश की सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है । अब सवाल यह आता है कि नियम ५२ के संबंध में आपने निर्णय नहीं दिया कि आप क्या करेंगे । जहां तक मुझे याद पड़ता है मेरे पास वह किताब नहीं है, आपके पास होगी जिसमें अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों का संकलन है ।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, हमारी दिक्कत यह हो जाती है कि जब मंत्री लोग ही इस तरह से बाधा पहुंचाने लगते हैं तो हमलोग क्या करें । इन लोगों की हालत जरा देखें । अगर इस तरह से यहां सरकार के लोग भी करेंगे तो हम क्या काम कर सकेंगे ? ये लोग बराबर इस तरह से बाधा डालते रहते हैं । (व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि एक बार बंगाल में एक घटना हुई जिसके बारे में एक माननीय सदस्य गौरी शंकर राय ने एक सवाल उपस्थित किया था और उस पर शायद आपका ही निर्णय है। आप अपने निर्णयों के संकलन में देख सकते हैं । मुझे याद पड़ता है कि सन् ५७-६२ के बीच के समय का ही आपका निर्णय है। वह बात आपके जेहन में आ सकती थी । इस सदन में वहां से सूचना मंगा कर इस सरकार द्वारा दी गयी थी । मैं नहीं समझता कि दिल्ली में एक घटना हुई और आपके प्रदेश के नेता, आपके प्रदेश के विधान सभा सदस्य, आपके प्रदेश की जनता वहां पीटी जाय, चाहे आप उनको प्रदेश का नेता न कह कर समाजसेवी ही कहें, लेकिन बिहारी लाल जी की मृत्यु हो जाय पुलिस की मार से और आप देखते रहें, अगर यह स्थिति रहेगी और इस पर हम इस सदन में चर्चा भी न करने पावें तो मैं समझता हूं कि सही माने में जनता का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार से हम लोग बंचित हो रहे हैं । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि आपका विवेक काफी ऊंचा है, आप इस बात को देखें और नियम ५२ के अन्तर्गत ही सही, इस पर आप चर्चा करने का आदेश दे दें और हम लोगों को आश्वस्त करें, तारीख चाहे जो रखें । लेकिन श्रीमन्, देर हो तो गयी है, बेसब्री बढ़ रही है । आप आज ही तिथि निश्चित कर दें कि फलां तारीख को नियम ५२ के अन्तर्गत इस विषय पर आप चर्चा करा देंगे अन्यथा हम लोगों की भावनायें दब रही हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने यह कह दिया कि इस बात पर विचार कर रहे हैं और आपने एक उदाहरण दिया कलकत्ते का । कृपा करके आप भूलें नहीं । अभी तक मैंने फैसला नहीं दिया है तो अगर इस तरह की कोई चीज हो सकती है या संभव है, तो मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि इसकी इजाजत दे दें तो मैं इसकी इजाजत दे दूंगा लेकिन अगर मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि नहीं देनी चाहिये तो दूसरी बात है । यही तो मैं सोच रहा हूं कि इस तरह के जो दूसरे प्रदेश से संबंध रखते हैं, हम उन्हें उठा सकते हैं या नहीं और इस संबंध में कोई आदेश दे सकते हैं अथवा नहीं । इस बारे में आप मुझ से दोपहर को या कल को बात कर लें लेकिन निश्चय इस तरह का हो जाना चाहिये कि कानून की निगाह से हम इस प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं अथवा नहीं । सदन में जो चर्चा होती है वह लम्बी हो जाती है । आप दिखा सकते हैं और मैं भी उस चीज को दिखवा लूंगा । उसमें जितनी भी ज्यादा से ज्यादा आपको स्वतंत्रता हो सकेगी बोलने की उसके लिये मैं प्रयत्न करूंगा लेकिन इस चीज को देखने के लिए आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सामग्री दें ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, विदेशों में भी जो हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, उनके बारे में अगर कोई उन्हें कठिनाई होती है तो हमारे देश की सरकार चर्चा कर सकती है।

दारुलशफा डिस्पेंसरी में डाक्टर न होने के संबंध में शिकायत

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आजकल सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर और कैंसिल होने का समय है चाहे वह जनहित में हो या पार्टी हित में हो, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन ८ दिन से दारुलशफा की डिस्पेन्सरी में कोई डाक्टर नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि ४–५ डाक्टरों का वहां पर पोस्टिंग हुआ और फिर वह कैंसिल भी हुआ । श्रीमन्, से मेरी प्रार्थना है कि इस पर माननीय मंत्री जी को एक वक्तव्य दिला दें ?

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर मेरे पास भेज दें । मैं दिखला लूंगा ।

(फिर से बिजली फेल होने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, इस सरकार की सायत अच्छी नहीं है। यह जाने वाली है।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

मान्यवर, क्या माननीय अध्यक्ष की घोषणा पर व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है । आपने एक घोषणा की और श्रीमन्, एक नहीं अनेक व्यवस्था के प्रश्न उठ गये । (फिर बिजली फेल हो गयी ।) दूसरा प्रश्न आपका निर्णय अंतिम है और उस पर क्या व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है और अगर उठ सकता है तो क्या वह सदन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा कि मैं घोषणा करूं और जो निर्णय दूं उस पर चर्चा तो नहीं होती लेकिन चर्चा हो या न हो, यह आरम्भ हो गयी । यह शुरू हो गयी और मैं इजाजत दे देता हूं तो वह ही मेरी अंतिम फैसला है। यह स्पष्ट है कि उस पर टीका नहीं हो सकती है।

५ अगस्त, १९६९ को श्री कृष्ण स्वरूप द्वारा पूछे गये तारांकित संख्या ९ पर श्री कृष्ण स्वरूप द्वारा अनुपूरक प्रश्न के संबंध में शोधन वक्तव्य

खाद्य उपमंत्री (श्री भगौती सिंह)—

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक ५ अगस्त, १९६९ को श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ के संबंध में श्री वैश्य ने निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछा था:—

"सस्ती चीनी गल्ले की दुकान पर मिलती है, मिट्टी का तेल मिलता है। इस कमेटी में स्थानीय विधायक भी सदस्य थे और वे अपने जिले की अवश्यकता जिलाधिकारी के सामने रखते थे और खाद्य, मिट्टी के तेल, चीनी आदि की समस्याओं पर विचार करते थे। अब वह नहीं है तो यह कैसे संभव हो सकेगा। इसलिये क्या मंत्री जी उन्हें पुनः स्थापित करने पर विचार करेंगे।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "ये समितियां तमाम जिले की समस्याओं पर विचार करने के लिए नहीं थी। मकानों के एलाटमेंट के सिलसिले में बनायी गयी थी। अब उस काम में कमी आ गयी है। जिला सलाहकार समिति और विजीलेंस कमेटी दोनों थी। हमारी कोशिश यह है कि आफिसर्स पर ही कन्ट्रोल रखकर उन चीजों को पूरा करें।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इसी प्रकार है।

"ये समितियां तमाम जिले की समस्याओं पर विचार करने के लिए नहीं थीं। मकानों के एलाटमेंट तथा खाद्यान्नों के सिलसिले में बनायी गयी थीं। अब उस काम में कमी आ गयी है। जिला व नगर सलाहकार समितियां और विजिलेंस कमेटियां थीं। हमारी कोशिश यह है कि आफिसर्स पर ही कंट्रोल रख कर उन चीजों को पूरा करें।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७५५ पर)

श्री कृष्ण स्वरूप—

अध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी ने गलत सुझाव दिये हैं क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अनुपूरक प्रश्न तो आप नहीं कर सकते। सूचना उनसे ले ली गई। क्योंकि बात यह है कि उन्होंने दुरुस्त कर दिया। अगर इसके लिये कोई दूसरा प्रश्न आप करना चाहते हैं तो आपको प्रश्न भेजना पड़ेगा।

स्टेट के आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के संबंध में छात्रों द्वारा हड़ताल किये जाने के विषय में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)—

उपर्युक्त विषय पर एक वक्तव्य जो ११ मार्च, १९७० को सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने दिया था, उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि उपर्युक्त हड़ताल मुख्यतः निम्नलिखित भारतीय

चिकित्सा परिषद् से सम्बद्ध आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों की उक्त कालेजों की किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराने की मांग को लेकर की गई थी ।

आयुर्वेदिक कालेज

१—ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार
२—गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज, कांगड़ी हरिद्वार
३—ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत
४—बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी
५—आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा
६—साहू राम नारायण मुरली मनोहर आयुर्वेदिक कालेज, बरेली ।

यूनानी कालेज

१—यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।
२—तक-मिल-उत्त-त्तिब कालेज, लखनऊ ।

उपर्युक्त वक्तव्य में यह भी कहा गया था कि इन कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराने की सीधे जिम्मेदारी यद्यपि उनके प्रबन्धकों की है, तथापि शासन इस दिशा में यथेष्ट प्रयास कर रहे हैं और यह आशा व्यक्त की गई थी कि यथा संभव यह कार्य वर्तमान शैक्षिक सत्र के अन्त तक पूरा कराने की चेष्टा की जायेगी इस संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय से पत्र-व्यवहार से जब समस्या का कोई महत्वपूर्ण हल नहीं निकला, तो हाल ही में ३० अप्रैल १९७० को शिक्षा मंत्री के यहां संबंधित उपकुलपतियों को बुलाकर उनसे व्यक्तिगत रुप से बातचीत की गई ।

उपर्युक्त प्रयास के विफल होने के कारण शासन के सामने अब केवल एक ही रास्ता रह गया है और वह है इन समस्त कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराना इस प्रसंग में शिक्षा विभाग की राय से उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने की चेष्टा की जा रही है । किन्तु कानपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट की कार्यवाही न्यायालय द्वारा इस समय रोक दी गई है, अतः यह कार्य नियमित ढंग से फिलहाल नहीं किया जा सकता है । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्याय विभाग की राय मांगी गई है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में कानपुर विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन करने के निमित्त कोई अध्यादेश जारी करना व्यवहारिक होगा अथवा नहीं ।

इन सारे तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि शासन कथित आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराने की दिशा में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और ऐसी आशा की जाती है कि शीघ्र ही यह कार्य सम्पन्न हो सकेगा । यदि यह कार्य सम्पन्न भी हो जाय तो कालेजों के छात्रों को सम्बद्धीकरण का कोई लाभ नहीं होगा, चूंकि विश्वविद्यालय केवल उन्हीं छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देगा जो प्रारम्भ से ही उनक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से अध्ययन करेंगे । अतः इस स्थिति को देखते हुए छात्रों के हड़ताल जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बतलाया कि किन कारणों से इन विद्यार्थियों की मांगों को नहीं माना जा सकता। मान्यवर, इनकी परीक्षायें शुरू हो गयी थीं मगर समस्त विद्यार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। तो माननीय मंत्री जी क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे इन छात्रों का एक साल खराब न हो और उनकी परीक्षायें हो जायं ।

श्री धर्मदत्त---

श्रीमन्, मैंने यह कहा कि कुछ कानूनी अड़चनों के कारण कानपुर विश्वविद्यालय से इस समय सम्बद्ध नहीं किया जा सका जिसके निराकरण के लिए प्रयास हो रहा है। जहां तक परीक्षा न देने का सवाल है, इस विषय पर हमने प्रधानाचार्यों को बुलाकर आग्रह किया था कि वे प्रयास करें परीक्षा के लिए ताकि छात्रों का एक साल खराब न हो ।

श्री राम गोपाल संड---

क्या मंत्री जी अगली परीक्षा के लिए कोई तिथि निश्चित करेंगे ताकि साल भर खराब न हो ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)---

अगर विद्यार्थी वर्ग लिखित तौर पर यह इत्मीनान दिलायेंगे कि वे हड़ताल को खत्म करते हैं तो उनकी परीक्षा के लिए उचित प्रबन्ध किया जा सकता है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

इस सदन में श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह विश्वास दिलाया था कि इन कालेजों को किसी न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करा दिया जायेगा और उसके लिए प्रयास किया जा रहा है । अब अगर सभी विश्वविद्यालय इनको शामिल करने के लिए तैयार नहीं हैं तो कानपुर विश्वविद्यालय जो कि सहमत हो गया है इसके लिए, उसी से इन कालिजों को सम्बद्ध करने के लिये जो कानूनी दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए क्या मंत्री जी कानून में तरमीम करेंगे और अब तक मंत्री जी यह कार्य करने में असमर्थ क्यों रहे जिसके कारण छात्रों को बहिष्कार करना पड़ा ?

श्री अनवार अहमद---

यह हड़ताल तो ९ जनवरी से चल रही है। यह सच है कि यहां यह वक्तव्य दिया गया था कि इन तीनों कालिजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा । इसके लिए प्रयास किया गया और हमने विश्वविद्यालयों को पत्र भी लिखा और उनका जवाब भी आया। जब वे तैयार नहीं हुये तो उनको व्यक्तिगत बात करने के लिए भी बुलाया । उसके लिये हमने २४ तारीख भी रखी थी, मगर उन्होंने उस दिन आने में असमर्थता प्रकट की। फिर ३० अप्रैल रखी । अब कानपुर के बारे में हाई कोर्ट से स्थगन आदेश हो गये हैं । इसलिये इसमें कुछ मजबूरी आ गयी है।

श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ११ मार्च को जब माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था, उस समय हड़ताल चल रही थी और अब हड़ताल को तीन मास से अधिक हो गये, मंत्री जी ने उस समय पूछे जाने पर यह कहा था कि एक मंत्री की बात हवा में नहीं जा सकती है और सत्र के समाप्त होने के पहले यह सरकार इस विषय में निर्णय ले लेगी। यदि कोई अन्य विश्वविद्यालय राजी नहीं होंगे तो इन्हें कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के लिए नियम कानून बना दिया जायेगा । किन्तु ३ मास से अधिक समय से सरकार कानून बनाने

का कोई निर्णय नहीं ले पाई ? और आज कह दिया कि कोई वैधानिक कठिनाई पड़ रही है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक अध्यादेश जारी करके उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय में शामिल कर देने में सरकार को क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बता दिया । हाईकोर्ट ने उसको रोक दिया है, जिसको हाईकोर्ट ने रोक दिया है, उस विषय में अध्यादेश कैसे जारी होगा ?

श्री महरम सिंह—

हाईकोर्ट ने अध्यादेश जारी करने या कानून बनाने से नहीं रोक दिया है ? अन्यथा मंत्री जी हाईकोर्ट का आदेश बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

आप उनके कमरे में जाकर मालूम कर लें यह चीज ।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बराबर कई वर्षों से यूनानी व आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों की हड़ताल हो जाती है और इस बार माननीय मंत्री ने समस्या का जो समाधान बताया कि उनको कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जायेगा । किन्तु इससे समस्या का पूर्णरूप से हल नहीं होता, उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं होता । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह क्या कोई ऐसा निराकरण निकालने का प्रयास करेंगे जिससे इन विद्यार्थियों का भी भला हो सके क्योंकि इससे उनके भविष्य का संबंध है, ग्रेड का संबंध है और नौकरी का संबंध है ?

श्री धर्मदत्त—

श्रीमन्, जहां तक इन छात्रों का संबंध है यदि किसी विश्वविद्यालय से इनको सम्बद्ध भी कर दिया जाये, तो भी समस्या हल नहीं होती, उस विश्वविद्यालय की फैकल्टी अपने नियमों के हिसाब से प्रथम वर्ष की ही परीक्षा लेगी और जो छात्र द्वितीय, तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ष में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह फैकल्टी उनकी परीक्षा नहीं ले सकती, ऐसा उनका नियम है । जो कानपुर विश्वविद्यालय के संबंध में बाधा न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पेश की गई है, उसके सफल होने पर हम इस बात का प्रयास करेंगे कि आगामी सत्र में जब उन विद्यार्थियों के प्रवेश का समय हो तो उन कालेजों को उन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाये और उनकी मांगे पूरी कर दी जायें ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

दफा ५२ का नोटिस मैंने दिया है, लेकिन आपने मुझे एक अवसर भी नहीं दिया ।

श्री डी० पी० बोरा—

समस्या को हल करने के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं, यदि इजाजत हो ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब कानूनी तौर से और दूसरी दिक्कतें हैं कानपुर यूनिवर्सिटी से एफीलिएशन करने में तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश में एक आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी पैदा कर देंगे जिससे सब कालेज कवर हो जायें और यह समस्या अब से आखिर तक हल हो जाय ?

श्री धर्मदत्त—

माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जा सकता है । इस वक्त कानपुर यूनिवर्सिटी से बात चल रही है ।

श्री डी०पी० बोरा—

समस्या का हल बताना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

इस बात को देखते हुए कि प्रथम वर्ष के जो छात्र परीक्षा देंगे उन को उसका बेनीफिट नहीं मिलेगा, इस चीज को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फिलहाल यह परीक्षायें स्थगित कर दी जायं ?

श्री धर्मदत्त—

यदि छात्र ऐसी इच्छा प्रकट करेंगे और कुछ समय मांगेंगे तो इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय का जो मसला हाईकोर्ट में विचाराधीन है वह आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को संबंधित करने से है ? नहीं है, तो क्या अध्यादेश जारी करके इनको संबंधित नहीं किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं कि इस सदन को प्रोरोग कर दिया जाय, वहां पर भी सदन प्रोरोग कर दिया जाय, और अध्यादेश जारी कर दिया जाय ? स्पष्ट होना चाहिये ।

श्री कृष्णस्वरूप—

कानपुर विश्वविद्यालय का जो मसला हाईकोर्ट में विचाराधीन है वह क्या आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों से संबंधित मसला है ? यदि नहीं है तो सदन स्वतंत्र है । बिल ला सकते हैं ।

श्री धर्मदत्त—

वहां की कौंसिल और सीनेट पर प्रतिबन्ध है वह कोई कार्य नहीं सकते तो इन कालेजों को संबंधित करने का प्रश्न कहां उठता है। जहां तक सदन में अधिनियम लाने का प्रश्न है जो कार्यक्रम आपने स्वीकार किया है उसके बाद ही अन्य कार्यक्रम पर विचार किया जा सकता है।

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, जब एक कम्प्लीट स्टेटमेंट आ गया हेल्थ डिपार्टमेंट से उसके बाद कम से कम २५ प्रश्न हो चुके हैं । अगर यह इतने लोक महत्व का प्रश्न है तो जो भी वक्त देना चाहें दूसरे दिन दे दें । यह तो ऐसा है, नियम ५१, ५२ में दो ढाई घंटे दे रहे हैं । स्टेटमेंट के बाद सप्लीमेंटरी एराइज नहीं होते ।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

क्या कानपुर विश्वविद्यालय के अलावा मेरठ विश्वविद्यालय को आयुर्वेदिक कालेजों और यूनानी कालेजों को संबंधित करने के लिए लिखा गया है ।

श्री धर्मदत्त—

मेरठ और आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों से भी परामर्श किया था । उन्होंने अपने यहां आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को ऐफीलिएट करने से इनकार कर दिया ।

डाक्टर जगदीश्वर दयाल (जिला फर्रुखाबाद)—

२६ जनवरी को आयुर्वेदिक कालेजों के विद्यार्थियों ने हड़ताल की। उन्होंने देखा कि गुप्ता सरकार फेल हो रही है तो हड़ताल की। जहां तक उनको डिग्री दिये जाने का संबंध है और यूनीवर्सिटी से सम्बद्ध करने की मांग है वह जायज नहीं है चूंकि डिग्री डिग्री है और हमारी सरकार समझौते के लिये प्रयास कर रही है और सरकार ने जो कुछ किया वह ठीक किया।

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण दे रहे हैं। आप कृपा कर बैठें।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

अगर विद्यार्थी हड़ताल समाप्त कर दें तो क्या माननीय मंत्री स्पष्ट आश्वासन देंगे कि इस वर्ष की परीक्षा उनकी समाप्त नहीं होगी, ऐसा वह कोई प्रबन्ध अवश्य करेंगे ?

श्री धर्मदत्त—

हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का वर्ष खराब न हो और जिन माननीय सदस्यों को रुचि है उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि छात्रों को वह समझायें कि परीक्षा में वह बैठें और अगर वह परीक्षा में बैठेंगे तो १५ दिन अथवा १ माह का समय उसके लिये बढ़ाया जा सकता है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि परीक्षा दो मास के लिए स्थगित कर दी जाय और किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक कालेजों को सम्बद्ध करने के बाद उनकी परीक्षा ली जाय ?

श्री अनवार अहमद—

कितने दिन बाद परीक्षा लेना उचित होगा इस बात पर सरकार विचार कर सकती है लेकिन जहां तक नये साल में नया सत्र शुरू होने पर विश्वविद्यालय से इन कालेजों को सम्बद्ध करने का प्रश्न है मैं अभी बयान में निवेदन कर चुका हूं कि इस साल जो लड़के इम्तिहान में बैठे रहे हैं उनको उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता। इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री डी०पी० बोरा—

इस समस्या को शीघ्र हल करने के लिए क्या माननीय मंत्री तथा उनके अधिकारी विद्यार्थियों के नेता वर्ग से बातचीत करने के लिये तैयार हैं, यदि हां, तो उसकी तिथि तथा स्थान घोषित कर दें तो कोई कारण नहीं है कि अगर विद्यार्थियों को समझाया जाय कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है तो वह उसको मानने के लिय तैयार न हों ?

श्री धर्मदत्त—

माननीय सदस्य छात्र नेताओं को एकत्रित करें और हमको बतलायें कि किस जगह हम और हमारे अधिकारीगणों को बतायें, हम वहां उपस्थित हो जायेंगे।

काकोरी में एक आतिशबाज के घर आग लगने से ४ व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम काकोरी, जिला लखनऊ में दिनांक ४ मई, १९७० को लगभग साढ़े बारह बजे दोपहर के समय श्री अब्दुल्ला आतिशबाज के घर में अचानक आग लगने की घटना हुई। जांच के फलस्वरूप तथ्य इस प्रकार पाये गये कि श्रीमती अफसर जहां, पुत्री अब्दुल्ला आतिशबाज आंगन में खाना बना रही थी और उसके पिता श्री अब्दुल्ला, उसके बच्चे एजाज अहमद को लेकर आंगन से मिले बरामदे में खाना खाने के लिये बैठे थे तथा उनका नौकर भी खाने के लिये वहां पर बैठा था। श्रीमती अफसर जहां के नाइलान के दुपट्टे में अचानक चूल्हे से आग लगी और उससे आंगन में फैली हुई बारूद में आग लग गई। आग से निम्नलिखित व्यक्ति घायल हुए—

१—श्री अब्दुल्ला।
२—श्रीमती अफसर जहां, पुत्री अब्दुल्ला।
३—लड़का एजाज अहमद, पुत्र श्रीमती अफसर जहां।
४—श्रीमती अब्दुल्ला।
५—श्री अब्दुल्ला का नौकर।

घटना की सूचना पा कर काकोरी चौकी का एक कांस्टेबिल जो करीब ही में गस्त पर था मौके पर पहुंचा। उस समय तक आग बुझ चुकी थी। श्री अब्दुल्ला, श्रीमती अफसर जहां, एजाज अहमद तथा श्री अब्दुल्ला के नौकर को जो अधिक घायल थे, पड़ोसियों और सम्बन्धियों की सहायता से एक लारी द्वारा बलरामपुर अस्पताल पहुंचाया गया। लखनऊ के निकट पहुंचते-पहुंचते श्रीमती अफसर जहां की मृत्यु हो गई। शेष तीन व्यक्तियों को बलरामपुर अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। किन्तु दुर्भाग्यवश उन तीनों की भी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इन चारों के पंचायतनामे कराने के बाद लाशों को उनके वारिशों के सुपुर्द कर दिया गया।

इस घटना की सूचना तहसील में ६ बजे सायंकाल को प्राप्त हुई थी, जिसके प्राप्त होते ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार व पर्यवेक्षक कानूनगो मौके पर पहुंचे।

फायर स्टेशन, हजरतगंज या चौक को इस अग्नि कांड की सूचना किसी भी प्रकार से नहीं मिली। यदि इस घटना की सूचना मिली होती तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरन्त घटना स्थल पर भेजी जातीं। काकोरी यहां से लगभग ७—८ मील की दूरी पर स्थित है तथा वहां पर टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं है।

इस अग्निकांड में चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई और लगभग ४ सौ रुपये के सामान की हानि हुई। अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर जिलाधिकारी द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं स्वयं वहां काकोरी गया था और मैंने देखा था। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गर्मियों में आग लगने की घटनायें इधर बहुत हो रही हैं अतः वहां के फायर स्टेशनों को इस प्रकार के आदेश दे दिये जायं कि वे यथाशीघ्र जितनी मदद वे फौरन कर सकें, करें। जहां तक सहायता देने का प्रश्न है मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में अतिशीघ्र कार्यवाही करें।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जैसे मैंने निवेदन किया कि जहां तक सहायता देने का प्रश्न है, वह शासन के विचाराधीन है और उस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जहां तक आर्थिक सहायता का सवाल है उसमें जिलाधिकारी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। जहां तक हमें मालूम है जिलाधिकारी को अग्निकांड में २०–२५ रु० देने का प्रविधान है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट कराना चाहता हूं कि वहां पर ४ व्यक्तियों की, जिसमें ३ परिवार के सदस्य और एक नौकर शामिल हैं, मृत्यु हुई है। यह एक मुस्लिम गरीब परिवार है। अतः क्या सरकार इस विषय पर कोई विशेष सहायता देने पर विचार कर रही है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अग्निकांड के संबंध में जो कुछ सहायता देने का प्राविधान नियमों में है वही सहायता दी जायेगी।

कानपुर जिले की बिल्हौर तहसील के बकोठी गांव में बिजली के तारों से आग लगने से किसानों के खलिहान जलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

विद्युत् उपमंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि ३० अप्रैल, १९७० को कानपुर जिले में तहसील बिल्हौर के बकोठी ग्राम में ११ बजे पूर्वाह्न में श्री राधाकृष्ण के नलकूप के पास एक खलिहान में आग लग गई। यह खलिहान श्री राधाकृष्ण के नलकूप को ट्रांसफार्मर से बिजली पहुंचने वाली लाइन के बिलकुल नीचे था। ऐसी लो टेन्शन लाइनों को तेज हवा चलने से तारों के हिलने और मिलकर बिजली की सप्लाई रुक जाने को बचाने के लिये बहुधा दोनों तारों को सीधी लकड़ी के टुकड़े से बांध कर अलग कर दिया जाता है। इस लाइन में भी ऐसी व्यवस्था थी। आग इस लकड़ी के कारण नहीं लगी प्रतीत होती क्योंकि लाइन शार्ट होकर बिजली का प्रवाह बन्द नहीं हुआ और ट्रांसफार्मर को कोई हानि नहीं पहुंची। यदि शार्ट सरकिट से आग लगी होती तो उस लाइन का बिजली का फ्यूज अवश्य जल जाता जो नहीं हुआ। जांच से यह प्रतीत होता है कि आग खलिहान में किसी और कारण से लगी जिससे कि धुवां से तार काला पड़ गया और जो बांस के टुकड़े उन्हें अलग करने के लिये लगे थे वह जल गये। स्थानीय जांच पर एक गवाह ने बताया कि जब आग की लपटें उठ रही थीं उस समय भी बांस के टुकड़े लटक रहे थे। इस प्रकार यह आग किसी बिजली की खराबी से नहीं बल्कि किसी और कारण से लगी प्रतीत होती है।

आगे ऐसी दुर्घटना बचाने के लिये यह प्रचार किया जा रहा है कि काश्तकार बिजली की लाइनों के नीचे अपने खलिहान न लगाया करें।

श्री अध्यक्ष—

नम्बर ९ के बारे में मंत्री जी का कहना है कि उनको इसके लिये और समय चाहिये।

लखनऊ विश्वविद्यालय में अव्यवस्था के कारण परीक्षाओं के स्थगित हो जाने के संबंध में वक्तव्य

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—

लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षायें २४ अप्रैल, १९७० से प्रारम्भ हुईं। १७ अप्रैल, १९७० को विश्वविद्यालय के प्रावटर ने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख कर विश्वविद्यालय के कैम्पस में शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस की तैनाती के सम्बन्ध में अनुरोध किया। तदनुसार जिलाधिकारियों ने विश्वविद्यालय के कैम्पस में परीक्षा के केन्द्रों पर उपर्युक्त व्यवस्था कर दी।

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

२-९ मई, १९७० को ७.४५ बजे प्रातः कमरा संख्या ४२, आर्ट्स ब्लाक में हरीश चन्द्र सिंह रावत नाम के एल-एल० बी० प्रथम वर्ष के एक छात्र को नकल करते पाया गया। परीक्षा के मुख्य निरीक्षक श्री के० के० टन्डन ने इस छात्र को पकड़ा, जिस पर यह कहा जाता है कि उसने श्री टन्डन पर आक्रमण किया और उनको चोट पहुंचाई। यह छात्र पुलिस के हवाले किया गया और १० बजे थाना हसनगंज में उसकी रपट लिखवाई गयी। रपट भारतीय दन्ड विधान की धारा ३३२/१८६ के अन्तर्गत दर्ज की गयी। २.५ बजे अपराह्न में यह छात्र जमानत पर रिहा कर दिया गया। सायंकाल विश्वविद्यालय के अध्यापकों के संघ ने यह निर्णय किया कि चूंकि उन्हें निरीक्षण के कार्य में सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त नहीं है इसलिये वे विश्वविद्यालय की अग्रिम परीक्षाओं में निरीक्षण का कार्य नहीं करेंगे। १० मई को उपकुलपति ने जिलाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने के बाद अध्यापकों को यह आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होगी और वे निरीक्षण के कार्य में असहयोग न करें। ११ मई के प्रातः ७ बजे से जो परीक्षायें होने वाली थीं उसको विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पहले तो कुछ घंटों के लिये स्थगित किया और उसके बाद यह घोषित कर दिया कि ११ व १२ मई को परीक्षायें न होंगी। ११ मई को ७ बजे अध्यापकों के संघ की जो बैठक हुई उसमें निरीक्षण का कार्य करने या न करने के बारे में कोई निश्चित फैसला नहीं हुआ। जब अध्यापकों के संघ की बैठक हो रही थी तब छात्रों का कुछ जमाव बैठक के कमरे के बाहर था। उनकी बैठक समाप्त होने के बाद छात्र उपकुलपति के निवास स्थान की ओर गये और वहां करीब ३ घंटे एकत्रित रहे। जिलाधिकारी भी मौके पर उपस्थित हो गये और वहां किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। ११ मई की सायंकाल को उपकुलपति ने अध्यापकों की एक बैठक बुलाई और उनसे उत्पन्न स्थिति के बारे में विचार-विनिमय किया। उपकुलपति ने यह सूचित किया है कि उन्होंने यह प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है कि १३ मई से परीक्षाओं का क्रम चलता रहेगा।

(इस समय १ बज कर १० मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि अध्यापकों के ऊपर विद्यार्थियों के द्वारा किसी प्रकार का हमला नहीं होगा। माननीय सदस्य श्री बोरा साहब ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ नक्सलपंथी तत्व भी आ गये हैं, वह भी कोई उपद्रव न कर बैठें तो क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही करने जा रही है?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

श्रीमन्, जहां तक अध्यापकों की बात है, पुलिस का पूरा-पूरा प्रबन्ध कर दिया गया है कि निरीक्षकों के साथ कोई दुर्व्यवहार न होने पाये। यूनिवर्सिटी कैम्पस में १०० आदमियों की एक पी० ए० सी० कंपनी और १०० आदमियों की एक सिविल पुलिस की कंपनी लगा दी गयी है। सुरक्षा का पूरा-पूरा प्रबन्ध कर दिया गया है। विद्यार्थियों से भी प्रार्थना की गयी कि अगर परीक्षायें नहीं हुईं तो उन्हीं का अधिक नुकसान होगा, इसलिये कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिये। विद्यार्थी भी परीक्षा देना चाहते हैं, वे भी इसमें सहयोग देंगे।

श्री ए० सी० प्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह आज की ही बात नहीं है, यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी बहुत दिनों से चल रही है। वाइस चांसलर ने बहुत कोशिश की है कि किसी तरह से एग्जामिनेशन्स हो जायं। यूनिवर्सिटी खुली है लेकिन टीचर्स वगैरह के दिल में बहुत डर बैठ गया है, तो क्या जल्दी से जल्दी आज ही एक इनक्वायरी शुरु कर दी जायगी जिससे यह साबित हो जायगा कि पुलिस वहां है जरूर लेकिन वह कुछ करने के लिये तैयार नहीं है। पुलिस कहती है कि स्टूडेंट मारें या कुछ करें तो उसको पकड़ कर हमारे हवाले कर दीजियेगा, हम एक्शन लेंगे

पर हम एक्जामिनेशन हाल में जाने के लिये तैयार नहीं हैं। तो टीचर सब डरे हुये हैं इन्क्वायरी शुरू करा दी जायगी तो मुझे विश्वास है कि टीचर्स अपना एजिटेशन वापस ले लेंगे और एग्जामिनेशन शुरू हो जायगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्य इन्क्वायरी की बात कह रहे हैं लेकिन इन्क्वायरी के लिये जो पहल घटना हो चुकी है उसकी रिपोर्ट दोनों तरफ से हुई। उसकी इन्क्वायरी हो ही रही है। आज अगर वहां कोई घटना हो तो वहां गजेटेड अफसर मौजूद हैं और पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं, वह स्वयं देखभाल कर लेंगे और उसकी रिपोर्ट करेंगे। मैं नहीं समझता कि और किस बात की जांच माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

मंत्री महोदय ने यह बताया कि विश्वविद्यालय के प्राक्टर ने सीनियर पुलिस अधीक्षक को लिख कर यह अनुरोध किया कि वहां व्यवस्था रखें और उचित प्रबन्ध कर दिया गया। दूसरी ओर यह कहते हैं कि अध्यापकों ने यह निर्णय लिया कि उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है इसलिये वे काम नहीं करेंगे। तो दोनों में से कौन बात सही है? क्या मैं यह समझूं कि पुलिस ने केवल कागज पर इन्तजाम किया है, मौके पर कोई इन्तजाम नहीं किया और अगर किया तो फिर यह दुर्घटना कैसे हुई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इन्तजाम था लेकिन हर कमरे में पुलिस नहीं थी, कैम्पस में थी। काफी संख्या में कांस्टेबिल और अधिकारी वहां थे। जो यह घटना हुई वह एक कमरे में हुई और वहां आपस में मारपीट हुई जिसके कारण श्री टंडन की अंगुली में चोट आयी। इसलिये अगर अध्यापक कमरे कमरे में भी चाहेंगे कि हर कमरे में पुलिस का इन्तजाम हो तो वह भी कर दिया जायगा। उन्होंने जो कहा उसमें कंट्राडिक्शन नहीं है। इन्तजाम किया गया, कैम्पस में किया गया। जब उनको पहले इत्तला दी गयी कि २४ तारीख से इन्तजाम शुरू होने वाला है तो इन्तजाम कर दिया गया लेकिन इस घटना के बाद और इन्तजाम किया गया। इसलिये कोई कंट्राडिक्शन की बात नहीं है।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्य मंत्री से ८ बजे मेरे साथ में जाकर मिला था। वस्तुस्थिति यह है कि पिछले दो, ढाई वर्षों के अन्दर हमारी यूनिवर्सिटी के प्राक्टर ने एक ऐसा ग्रुप अपने साथ आर्गेनाइज कर लिया है जिसे हम अवांछनीय कह सकते हैं और इनके कारण इन ढाई वर्षों के अन्दर वहां कम से कम १०–१२ टीचर मारे गये हैं और वहां जो अच्छे किस्म का नेतृत्व वर्ग था उसके ऊपर इन गुन्डों के द्वारा प्रहार करा रहे हैं और इतना ही नहीं, माननीय प्राक्टर महोदय ने उसकी रिपोर्ट तक पुलिस में नहीं होने दी है और कोई कार्यवाही नहीं की गई। गृह विभाग से अगर पूछा जाय तो ३०७ तक के केसेज दर्ज हैं लेकिन वह पुलिस में नहीं भेजे गये। इस सारी अशान्ति का कारण लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्राक्टर डाक्टर एस० सी० अग्रवाल हैं जिन्होंने इस्तीफा दे रखा है पर माननीय उपकुलपति महोदय एग्जीक्यूटिव कौंसिल की मीटिंग ही नहीं बुला रहे हैं जिसमें उनका इस्तीफा मंजूर हो जाना निश्चित है। वहां की स्थिति यह है कि उन पर दोषारोपण किया जा रहा है....

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बोरा वक्तव्य दे रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री डी० पी० बोरा—

यथाशीघ्र वहां की एक्जिक्यूटिव कौंसिल को बुला कर शासन की तरफ से कोई इन्तजाम किया जाय । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो वह कह रहे हैं जो शासन को कहना चाहिये । यह तो आप भी जानते हैं कि विश्वविद्यालय आटोनामस (स्वायत्तशासी) बाडी है । सरकार कैसे कह सकती है कि इस्तीफा ले लें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, यह आपने ठीक ही कहा है कि विश्वविद्यालय एक आटोनामस बाडी है : उनको हम सजेशन ही दे सकते हैं । यह जो माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि जो वहां विद्यार्थियों की मांग है कि एक्जिक्युटिव कौंसिल की मीटिंग बुलाई जाय और प्राक्टर का इस्तीफा उसमें रखा जाय, इस पर हमारे अधिकारियों ने उपकुलपति को सलाह दी कि इसके बारे में आप ही कह दें । तो उप कुलपति ने कह दिया विद्यार्थियों से कि एक्जिक्युटिव कौंसिल की मीटिंग बुलायेंगे और उसके सामने इस्तीफा रख देंगे ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

अभी जो वक्तव्य सरकार की ओर से दिया गया उससे ज्ञात हुआ कि उप कुलपति जी ने भी अध्यापकों को यह आश्वासन दिया कि कोई इस प्रकार की घटना नहीं होगी, सुरक्षा का पूरा इन्तजाम है । तो मैं जानना चाहता हूं सरकार से और माननीय मंत्री जी से कि इन आश्वासनों के बाद भी अध्यापकों ने आज तक अपना कार्य प्रारम्भ नहीं किया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की प्रक्रिया इस ओर क्या है ? क्या वह इस बात की जांच कराने के लिये वाइस चांसलर को लिखेंगे कि यह शंका और सामूहिक कदम अध्यापकों की ओर से क्यों उठाया गया इनिजिलेशन वर्क बहिष्कार करने का और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक रहस्य तो नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उप कुलपति ने सूचना दी है कि इम्तहान कल १३ तारीख से शुरू होंगे । इसलिये यह कह देना कि अध्यापकगण डरे हुए हैं इस वक्त नहीं कहा जा सकता ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वाइस चांसलर ने आश्वासन दिया था कि ११-५-७० को ६ बजे शाम तक वह इक्जीक्यूटिव कौंसिल की मीटिंग बुलायेंगे लेकिन उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई ? क्या सरकार को जानकारी है कि जिस छात्र ने नकल इस बार किया और किसी अध्यापक का हाथ मरोड़ा वही पकड़ा गया था और उसी ने छूरा दिखाया था, और जब वह प्राक्टर महोदय के यहां गया तो उन्होंने कोई सख्त कार्यवाही नहीं की और क्या सरकार को इस तरह की जानकारी है कि वाइस चांसलर, चीफ प्राक्टर महोदय और कुछ थोड़े से अध्यापकों का एक गोल है और शेष विश्वविद्यालय के अध्यापकों का एक गोल है जिनकी कोई सुनवाई पिछले दो सालों से वाइस चांसलर महोदय नहीं कर रहे हैं और यह उस लम्बे असन्तोष का परिणाम है ? तो क्या सरकार इन सब बातों को देखते हुए कोई ठोस कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, यह तो सूचना हमारे पास नहीं है कि उप कुलपति महोदय ने कल शाम ६ बजे मीटिंग बुलाने के लिये कहा था लेकिन मीटिंग बुलाने की बात उन्होंने कही थी यह तो सही बात है ।

दूसरे प्राक्टर महोदय से और दूसरे अध्यापकों में झगड़ा है यह भी बात है। अब क्या प्राक्टर महोदय ने किया है इसकी सूचना पूरी-पूरी यहां नहीं है। इस समय परीक्षा होना सबसे मुख्य कार्य है और इन बातों पर जो माननीय सदस्य कह रहे हैं पूरा-पूरा गौर किया जायगा और जो मुनासिब होगा कार्यवाही की जायगी।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

अध्यापकों की सुरक्षा का प्रबन्ध हो चुका है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतावेंगे कि उन्होंने (अध्यापकों ने) इस तरह का आश्वासन कोई दिया है कि अब वे इनवेजिलेशन के काम पर जायंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं जायेंगे ऐसा नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह—

सरकार के वक्तव्य से यह पता चलता है कि पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है और जिस छात्र ने आक्रमण किया उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। श्रीमन्, सरकार के वक्तव्य से और अखबारों से यह पता चलता है कि विश्वविद्यालय की जो यूनियन है उसने इस घटना की भर्त्सना की है और सरकार के वक्तव्य से यह भी विदित होता है कि कल कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इन तमाम चीजों को देखते हुए कल शाम जो अध्यापक संघ की बठक हुई ह उसमें अध्यापक संघ इस बात का निर्णय नहीं कर सका कि वह परीक्षा में शामिल होगा या नहीं। इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी उपकुलपति को सुझाव देंगे कि जो प्रोफेसर लोग इन तमाम चीजों के बावजूद भी परीक्षा नहीं कराना चाहेंगे उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, हमारा पूरा प्रयत्न है कि परीक्षा हो, अध्यापकों की, प्रीफेसरों की सुरक्षा भी रहे और उनकी इज्जत रहे, विद्यार्थियों का नुकसान न होने पाये। यह सारी चीजें सामने हैं और इसके लिये कोशिश की गई है। हमारे बड़े बड़े आफिसर्स सिविल और पुलिस दोनों के इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं उप कुलपति महोदय से मिल कर कि कोई गड़बड़ी न हो और और कल से परीक्षा शुरू हो जाय।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह ज्ञात है कि ८ मई को श्री अग्रवाल प्राक्टर ने सरकुलर विश्वविद्यालय के तमाम टीचर्स को भेजा है और उसमें लिखा है कि प्रोक्टर या प्रोक्टोरियल बोर्ड का कोई भी मेम्बर विश्वविद्यालय में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या नकल की शिकायतें हों तो वह रजिस्ट्रार के पास भेजनी चाहिये। क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राक्टर महोदय के द्वारा नोटिस इशू होने के बाद शिक्षकों पर इसका जो असर पड़ा उसका प्राक्टोरियल बोर्ड जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है। उनका रेजिगनेशन उप कुलपति महोदय ने स्वीकार नहीं किया है। इस सम्बन्ध में क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह ऐसी परिस्थिति में जानकारी करवाने के लिये कोई जांच समिति अथवा कोई आयोग नियुक्त करेंगे जो इन चीजों की जांच करे और प्राक्टर महोदय पर जो उन्होंने सर्क्यूलर निकाला उसके लिये उनके ऊपर कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसकी सूचना तो मुझको माननीय सदस्य से मिली है कि ऐसा कोई सर्क्यूलर उन्होंने निकाला है। इस बात की जानकारी सरकार कर लेगी। उप कुलपति महोदय से इसकी पूरी तफसील भेजने के लिये कहा जायगा और उनसे यह भी कहा जायगा कि अब वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं उसकी भी सूचना सरकार को शीघ्र ही भेजें।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में माओ चाऊ के नारे लगाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी इस प्रकार से माओ के नारे लगाने वाले कौन से व्यक्ति हैं और किस क्षेत्र में उन्होंने ऐसा किया। इसकी सी० आई० डी० के द्वारा पूरी तरह से जांच करवाई जानी चाहिये कि किन लोगों ने इस प्रकार के नारे लगाये।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस प्रकार की हमारे पास कोई आफिशल रिपोर्ट नहीं है कि इस प्रकार के नारे यहां पर कहीं लगाये गये।

श्री डी० पी० बोरा—

मान्यवर, मैंने जो बात कही थी वह हमारी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर थी। मेरी तो यह जानकारी है कि इस प्रकार के अवांछनीय लोगों को प्राक्टर महोदय ने बुलाया है और उन्हीं अवांछनीय तत्वों के द्वारा ही इस प्रकार के नारे लगाये गये थे वे लोग विश्वविद्यालय के छात्र नहीं थे। इसी समस्या के हल के सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था, मैं भी उनके साथ था। मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि कल से परीक्षायें सुचारु रूप से आरम्भ हो जायेंगी। हम लोगों ने उनसे यह भी निवेदन किया कि सरकार शीघ्र ही इस प्रकार के प्राक्टर महोदय के ऊपर फौरन ही कोई ऐक्शन लेने के लिये एक नियम बनाये या फिर उनको निकालने के लिये एक्जीक्यूटिव काउन्सिल को फौरन ही बुलाये और अगर हो सके तो कल ही एक्जीक्यूटिव काउन्सिल को बुलाया जाय और प्राक्टर के रेजिगनेशन पर विचार किया जाय। ऐसा होने से ही आगे की परीक्षायें ठीक से चल सकेंगी। प्राक्टर के विरुद्ध बड़ा ही भारी असन्तोष वहां पर व्याप्त है।

श्री राम गोपाल संड—

मान्यवर, पिछले दिनों भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ द्वारा इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया था कि १८ अध्यापकों को छुरा मारा गया और इसी सन्दर्भ में विश्वविद्यालय में भी उसकी नकल की जा रही है। मेरा निवेदन है कि इसकी जांच के लिये कोई बोर्ड बैठाया जाय जैसा कि कृपलानी जी ने सुझाव दिया था। क्या सरकार इस प्रश्न पर भी विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपका सुझाव है और आप इसको लिख कर भेजें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मैंने पानियर में यह समाचार पढ़ा कि एक दरोगा जी नकल करते हुए पकड़े गये, इस लिये टीचर्स में ज्यादा रोष हुआ, तो क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अखबार की जानकारी मेरी भी है, जो माननीय सदस्य की है।

१९७०–७१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रयागत)†

*श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को शुरू से आखीर तक बड़े गौर से पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उन्होंने अपने पूर्वगामी वित्त मंत्रियों की परम्पराओं को पूर्ण रूप से निभाने का प्रयत्न किया। जिन बातों का बजट भाषण में उन्होंने जिक्र किया है उनमें से दो अंश आपके सामने रखना चाहता हूं। पृष्ठ २७ पर उन्होंने कहा है कि "कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ष की बजट अवधि में समाजवादी समाज या यो कहें कि कल्याणकारी समाज नहीं ला सकता। बहुत अंशों में आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन का बुनियादी काम केन्द्र का दायित्व है, यह भी हम सभी जानते हैं।" आगे चलकर फिर उन्होंने कहा है कोई यह न कह सके कि जब काम करने का समय था तब हम शब्दजाल के भूलभुलैये में पड़े रहे और हमने राज्य की आर्थिक स्थिरता तथा प्रगति को ऐसे समय अवरुद्ध कर दिया जब व्यवस्थित सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की नितान्त आवश्यकता थी·····

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। बजट पर बहस चल रही है और यहां न मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं और न वित्त मंत्री जी।

श्री उपाध्यक्ष—

एक और दो बजे के बीच में आपने नियमों में कुछ ढील कर रखी है, और एक माननीय मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है।

श्री जगननाथ खन्ना—

वित्त मंत्री को तो उपस्थित रहना चाहिये। जबाव क्या देंगे जब सुनेंगे नहीं तो।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है लेकिन १ और २ बजे के बीच आपने नियमों में कुछ ढील कर रखी है। २ बजे से तो उन्हें जरूर रहना चाहिये। वह निश्चित तौर से यहां रहे और माननीय मंत्री भी काफी संख्या में रहें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है।

श्री राम सिंह (सहारनपुर)

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं अपने भाषण में इस बात को तस्लीम किया है कि हम शब्दजाल के भूलभुलैये में न रहें। इस भाषण को पढ़ने के बाद कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार शब्दों का जाल और शब्दों के आडम्बर से पूर्ण भाषण प्रस्तुत किया है उसको कोई भी व्यक्ति समझने में असमर्थ है। जैसी कि परम्परा रही है, माननीय वित्त मंत्री जी ने डेफीसिट बजट पेश किया है। इस प्रकार के डेफीसिट बजट से हमें यह सहज अनुमान लगा लेना होता है कि जितना डेफीसिट है आखिर कैसे उसको पूरा किया जा सकता है।

यदि हम पिछले ८–१० साल के आंकड़ों का अवलोकन कर तो आज तक का एक रिवाज यही रहा है कि पहले बजट को डेफिसिट की व्यवस्था में पेश किया जाता है और अन्त में साल के आखिर में वही घाटे की व्यवस्था सरप्लस में परिवर्तित हो जाती है। सन् ६१–६२ के बजट में आप देखें कि आरम्भ में ८.५० लाख का घाटा दिखाया गया था लेकिन अन्त में वही बढ़कर

†११ मई, १९७० की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सिंह]

११.३८ लाख का सरप्लस हो गया, इसी प्रकार ६२–६३ में १३.७५ लाख का डेफिसिट दिखाया गया था और आखिर में वह १४.६८ का सरप्लस हो गया, सन् ६३–६४ में आरम्भ में ४.९७ का डेफिसिट दिखाया गया था और अन्त में वह घाटा १६.३१ लाख का सरप्लस हो गया, सन् ६४–६५ में ११.५९ लाख का घाटा था और वह अन्त में १४.८६ लाख का सरप्लस हो गया, सन् ६५–६६ में भी आरम्भ में १४.९१ घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया और बाद में वह घाटा १९.१० लाख के सरप्लस में परिवर्तित हो गया, सन् ६६-६७ में भी शुरू में ३१ लाख के घाटेका बजट प्रस्तुत किया गया और बाद में वह घाटा ४.१० लाख के सरप्लस में परिवर्तित हो गया, सन् ६७–६८ में भी आरम्भ में ५५ लाख का घाटा दिखाया गया था जो बाद में २१.३४ लाख के सरप्लस में परिवर्तित हो गया और इसी तरह से सन् ६८–६९ में भी बजट जो पेश किया गया था उसमें ७७.०० लाख का सरप्लस था और साल के अन्त में वह २५.८५ लाख का सरप्लस रह गया।

आप देखें कि इस तरह से घाटे की अर्थ व्यवस्था का नतीजा यह होता है कि हमारी जो खर्च करने की कैपेसिटी है और जो हम अनुमान लगाते हैं वह सही नहीं होते, वह वास्तविक न होकर फर्जी हो जाते हैं। आम तौर से प्रथा यह रही है कि बजट को प्रस्तुत करते समय आय के अनुमान कम और खर्च के अधिक दिखाये जाते है और अन्त में नतीजा यह होता है कि अन्त में बजट सरप्लस हो जाता है। आप इस के कारण को देखें तो इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे विभागों में खर्च करने की अपेक्षित कैपेसिटी नहीं होती और जिन आइटम्स के लिये फंड रखे जाते है वे हर साल बच जाते है और उनके लिये फिर अगले साल बजट में और अधिक बढ़ाकर प्राविधान किये जाते हैं और इस प्रकार जब खर्च करने की कैपेसिटी ही कम होती है तो अन्त में रकम बच जाती है और बजट सरप्लस हो जाता है। किसी भी अन्डर या डेवलप्डट एकनामी में अर्द्ध-विकसित एकानामी में ऐसी व्यवस्था उचित नहीं है क्योंकि यहां तो एक एक पैसे की जरूरत और सही उपयोग की आवश्यकता होती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रवृत्ति पर चेक लगायें और इस प्रकार की वित्तीय कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करें। एक विभाग की खर्च करने की कैपेसिटी कम है और बार-बार उसके उन्हीं आइटम्स के लिये बढ़ा कर प्राविधान करने की कोशिश की जाती है।

इसके लिये मैं एक उदाहरण भी दूंगा। सन् ६५–६६ में कुल प्राविधान हुआ था वह था भू-राजस्व का, ९,७७,५३,३०० रुपये का और अन्त में १,११,१८,९०३ रुपया अप्रयोजित रहा यानी वह खर्च नहीं हुआ और बाद में बजट के प्राविधान को बढ़ाया गया। इसी प्रकार सन् ६४--६५ में भी पशुपालन विभाग में ४,३५,११,२०० रुपये का प्राविधान था और अन्त में आप देखें कि १,००,८१,१६३ रुपये की बचत हो गई। इसी तरह से आप देखें कि कृषि विभाग में भी जिसके ऊपर हमारी सारी एकानामी डिपेंड करती है और जिसका विशेष महत्व है उसमें सन् ६१–६२ में ५,२२,८६,४०० रुपये का प्राविधान था और उसमें भी अन्त में करीब १ करोड़ रुपये की बचत हो गई और ४ करोड़ के करीब रुपया व्यय ही नहीं हुआ। इसी तरह से सन् ६४--६५ में भी नियोजन तथा समन्वय विभाग में जिसका सम्बन्ध करीब-करीब सभी विभागों से रहता है और वह नियोजन विभाग जो आंकड़े प्रस्तुत करता है उनको आप देखें कि वह कितना कार्यकुशल हैं और वह कितना पैसा खर्च करता है उसकी मिसाल भी आप देखें कि सन् ६४–६५ में १४,८२,२९,१०० रूपये का प्राविधान हुआ और साल के अन्त में २,१२,७९,८२८ रुपया में अप्रयोजित रह गया यानी यह १५ प्रतिशत पैसा अप्रयुक्त रह गया। इसी प्रकार से आप देखें कि उद्योग विभाग में भी जिसकी कि माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर चर्चा करते हैं कि हमारे प्रदेश में उद्योग की बहुत कमी है और उसका विस्तार होना चाहिये उसकी भी मैं मिसाल पेश करना चाहता हूं। ११ करोड़ ५४ लाख का इसके अन्दर प्राविधान किया गया था लेकिन अन्त में १ करोड़ ५१ लाख की बचत हुई यानी

टोटल बजट का १३ प्रतिशत जो अनुदान था खर्च नहीं किया गया। इसी तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी मैं पेश करना चाहता हूं। १९६८–६९ में उसके अन्दर १४ करोड़ ८१ लाख ४५ हजार का प्राविधान किया गया था लेकिन अन्त में जो पैसा बच रहा वह खर्च नहीं किया गया वह था ३ करोड़ २० लाख ८४ हजार। यह धन कुल बजट का जो अलाटमेंट था उसका २२ प्रतिशत था जो खर्च करने से रह गया। इसी प्रकार से जो बजट की परम्परा रही है वह यही कि चाहे विभाग के पास खर्च करने की गुंजायश हो या न हो, चाहे उसके पास कैपेसिटी कम हो लेकिन इसके बावजूद भी विभाग अपना पूरा अलाटमेंट कराते हैं जो अन्त में जाकर सरप्लस हो जाता है। इस प्रकार से जो यह घाटे को दिखाने की जो बजट की परम्परा चली आती है इसके कई परिणाम निकलते हैं। एक परिणाम तो यह निकलता है कि घाटे का बजट पेश करने के बाद जो टैक्सों की भरमार होती है वह बहुत अधिक है। नये टैक्स लगाये जाते हैं। जो पुराने टैक्स चल रहे हैं उनके रेट को बढ़ाया जाता है। इस तरह से गरीब जनता पर बुरा असर पड़ता है। इसलिये इस घाटे के बजट को पेश करने का कारण सोचना चाहिये कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे सामने यह परिणाम प्रस्तुत होता है।

इसी तरह से मैं आपके सामने यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कुछ विभागों की मिसाल मैंने आपके सामने पेश की कि जो विभाग खर्च करते और जिनके पास अप्रयोजित रह जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि ३०–३१ मार्च को जो फंड सरप्लस हो गये तो विभाग इस बात की कोशिश करता है कि उस फंड को जल्द से जल्द खर्च कर दिया जाय और उस पैसे को निकाल दिया जाय। इस तरह से जो यह सरप्लस बजट हो जाता है वह उस मद पर खर्च नहीं होता है, उस मकसद की उससे पूर्ति नहीं होती है और वह वेस्ट हो जाता है और सही तरीके से खर्च नहीं हो पाता है। इसलिये मैं यह अर्ज करता हूं कि जो फंड्स सरप्लस हो जाते हैं वह खर्च नहीं हो पाते हैं इसलिये विभाग को यह हिदायत होनी चाहिये कि जब विभाग को यह जानकारी हो जाय कि अमुक मद में हम खर्च नहीं कर पायेंगे तो तुरन्त ही वह सरेन्डर होना चाहिये। हो सकता है उस धन का दुरुपयोग किया जाय। जैसे ही विभाग को यह आभास हो जाय कि वह विभाग उस पैसे को खर्च नहीं करा पायेगा तो फौरन ही उसका सरेन्डर करने की व्यवस्था होनी चाहिये। तुरन्त इस बात की इत्तिला प्रशासन विभाग के अध्यक्ष को होनी चाहिये और उनको जो वित्त विभाग के अध्यक्ष हैं उनको इस बात की सूचना देनी चाहिये कि यह विभाग उस धन को खर्च नहीं कर पायेगा ताकि उसका अलाटमेंट दूसरे विभाग को किया जा सके।

इसके अलावा एक बहुत ही मुख्य बात मैं बजट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं जो रिएप्रोप्रियेशन के विषय में है। हमारे यहां यह चलता है कि बिना विनियोग के किसी दूसरे मद में एक मद से रुपया लेकर खर्च कर दिया जाता है। किस बात के लिये वह धन खर्च किया जाय यह अधिकार इस माननीय सदन के सदस्यों का है लेकिन जो विभागों का तरीका है वह रिएप्रोप्रियेशन के जरिये से फंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक धन को जो किसी एक मद के लिये यहां से दिया जाता है उसको दूसरे मद में खर्च कर लेते हैं तो यह इस सदन के अधिकारों का हनन है। यह बजट मैनुअल में लिखा हुआ है कि जिस मद के लिये जो रुपया दिया जाय उसी मद के लिये वह पैसा खर्च होना चाहिये। अगर रिएप्रोप्रियेशन करके उस धन को डाइवर्ज कर दिया जाय, दूसरे मद में ट्रांसफर करते हैं तो इससे हमारे अधिकारों का दुरुपयोग होता है और पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इस बात को देखते हुये कि हम किस हद तक रिएप्रोप्रियेशन कर सकते हैं और किस हद तक उसका अधिकार रहे जो हमारे अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिये। यह जानकर आश्चर्य होता है कि करोड़ों रुपये की धनराशि ऐसी है जिसको रिएप्रोप्रियेशन के जरिये से एक मद से दूसरे मद में डाइवर्जन करके खर्च किया जाता है।

[श्री राम सिंह]

मैं समझता हूं कि यह सदन की मजाक है कि जिस काम के लिये यह सदन रुपया दे उसको उस काम में खर्च न किया जाय और दूसरी मद में लेकर उसको खर्च किया जाय। यह तरीका बड़ा त्रुटिपूर्ण है। इससे हमारी जो योजनायें हैं जिनके लिये धन अलाट किया गया है उसके लिये इस्तेमाल न करके दूसरी मद में इस्तेमाल करते हैं तो वे योजनायें अपूर्ण और अधूरी छोड़ी जाती हैं तो यह बात मुनासिब नहीं है। जो हमारे वित्त विभाग में इस प्रकार की अनियमितता है और स्वछन्द प्रणाली है उसको खतम करने की बात करनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी बार-बार इस बात को दोहराते हैं कि प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन दे देंगे। तो स्वच्छ प्रशासन की यह भी एक परम्परा है कि हाउस आपको जिस बात के लिये इजाजत दे उसी बात को करें जिससे एक परम्परा का निर्माण हो और इसमें जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर किया जा सके।

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो लिखा पढ़ी की बात कागज पर चलती है उससे हमारे बजट पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। बजट जिस वक्त बनता है तो चार स्टेज पर बजट को जानना होता है। सबसे पहले जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है वह अपने बजट को तैयार करता है और बजट तैयार करने के बाद वह उसको सक्रेटेरियट लेबिल के अधिकारी के पास भेजता है। मान्यवर डिपार्टमेंट का जो अध्यक्ष होता है, बजट बनाते समय उसके दिमाग में यह होता है कि वह अपने बजट को काफी बढ़ा चढ़ा कर बनावे ताकि कटौती होते होते उसकी आवश्यकता के अनुकूल उसे पैसा मिल पावे। इस तरह से जब विभागीय अध्यक्ष बढ़ा चढ़ा कर अपना बजट सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेजता है तो शुरू से अखिर तक सारे अधिकारियों के ख्याल में यह बात रहती है और इस तरह से कटत-कटत वह एस्टीमेट उसी स्तर पर आ जाता है। उसके बावजूद भी सरप्लस जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको खतम किया जाय। इस तरह का जो इम्प्रेशन अधिकारियों के दिमाग में है कि डिपार्टमेंट से भेजे गये बजट में कटौती तो होगी ही, उस भ्रम को दूर किया जाय और इसके लिये अगर फाइनेंशियल हैन्ड बुक और नियमों में तरमीम करने की जरूरत हो तो उसे भी करना चाहिये।

(बिजली फेल होने पर और फिर आ जाने पर)

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि बजट बनाते समय उसे कई स्थानों से गुजरना पड़ता है। साथ ही साथ उसके सामने कई दिक्कतें आती हैं और उसमें काट छांट के काफी गुंजायश रहती है। जो कार्यकुशलता और स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं, उनके सामने मैं केन्द्र की एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात श्री गाडगिल केन्द्र में प्रथम मंत्रि परिषद के मंत्री थे। उनको एक नया विभाग सौपा गया जिसके अन्तर्गत सिन्द्री फर्टिलाइजर फैक्ट्री का निर्माण हो रहा था। उनको यह कार्य सौपा गया कि वे देखें कि यह फैक्ट्री क्यों नहीं चल रही है, उसमें प्रगति क्यों नहीं हो रही है। तो माननीय गाडगिल जी ने फैक्ट्री के जनरल मैनेजर को, जो एक आई० सी० एस० अफसर था, बुलाया और पूछा कि क्या वजह है कि इसमें इतनी देर हो रही है और इस फैक्ट्री में क्यों प्रगति नहीं हो रही है, क्यों इसका काम अधूरा है तो उस आई० सी० एस० अधिकारी ने कहा कि वह तो एक आई० सी०-एस० अफसर हैं लेकिन वित्त विभाग की मर्जी के बिना उन्हें एक पैसा भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि फैक्ट्री के १९२ केसेज ऐसे हैं जो वित्त विभाग में बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। उनकी बात सुनने के उपरान्त माननीय गाडगिल साहब ने तुरन्त प्रशासकीय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सचिवों को बुलाया और यह आदेश दिया कि उक्त १९२ केसेज जो पड़े हुए हैं, उनको तुरन्त निपटाया जाय। नतीजा यह हुआ कि उन पर २४ घंटों के अन्दर निर्णय हो गया और उनके ऊपर कार्य आरम्भ हुआ। उक्त जनरल मैनेजर को ५ लाख रुपया व्यय करने की इजाजत दी गयी और जब किसी अधिकारी या कर्मचारी को कार्य करने की छूट मिलेगी, उसे दायित्व सौंपा जायगा तो

वह अपनी ईमानदारी और क्षमता के अनुसार कार्य करने में सक्षम होगा और कार्य करने के लिये पूरा प्रयत्न करेगा ।

माननीय गाडगिल जी ने जो कहा है उसकी ओर अपने माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उन्होंने कहा था कि :

"Good administration means the choice of the right man for the right job and then trust him to the utmost..... It also means full confidence in him and sensitivity to his self respect."

मान्यवर, यह क्या होता है कि हर अधिकारी को शुबहे और हर कर्मचारी को इस दृष्टि से देखा जाता है कि बेईमान है भ्रष्टाचारी है । यहां पर मैं अपने माननीय सिंचाई मंत्री जी की मिसाले पेश करना चाहता हूं । यह मैं नहीं मानता कि कोई भी जनता का आदमी सीधे अपने अफसर की बुराई कर सकता है । मैं जन अदालत का विरोध नहीं करता हूं लेकिन जनता का कोई भी आदमी किसी बड़े अधिकारी के सामने उसकी मुखालिफत करे यह नहीं हो सकता है । वह छोटे की मुखालिफत तो कर सकता है । आप ही बतायें कि आपने जितने केसेज में एक्शन लिये उनमें कितने बड़े अधिकारी हैं, जिनके विरुद्ध आपने कार्यवाही की ? आज अगर कोई काम करता है और उसे शुबहे की नजर से देखा जाता है तो वह काम नहीं करेगा । अगर किसी अधिकारी को रेस्पांसिबिलिटी दी जाती है उसे इनिशियेटिव मिलता है तभी वह काम कर सकता है । अगर हर समय उन पर शक किया जायगा तो वे काम नहीं करेंगे और इससे प्रदेश का बड़ा नुकसान होगा ।

अधिकतर इस बात का नारा लगाया जाता है कि स्वच्छ प्रशासन होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा, क्षमता बढ़ेगी, लेकिन उसका रास्ता क्या होगा ? मैं कुछ सुझाव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनसे प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है । मिसाल के तौर पर मैजिस्ट्रेट की अदालत ले लीजिये । अगर वहां पर मुकदमों की तारीख लगाने में पेशकार पैसा लेता है तो क्या मैजिस्ट्रेट उसको नहीं जानते हैं, निश्चित रूप से जानते हैं । मैं यह नहीं कहता हूं कि उसमें उनकी सहमति होगी लेकिन यह निश्चित बात है कि न्यायालय के अन्दर बैठे हुए पेशकार जबकि मैजिस्ट्रेट मुकदमे सुन रहे हों, और वे पीछे हाथ करके सवा रुपया या डेढ़ रुपया लेते हैं, तो इसकी जानकारी मैजिस्ट्रेट को न हो । एक बार हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मैं अपने मंत्रिमंडल में किसी ऐसे मंत्री को, जिनके ऊपर जरा सा भी शक हो, उनकी ईमानदारी के बारे में, नहीं लूंगा ।

लेकिन मान्यवर, क्या वह बात पूरी हुई ? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री के बयान से इस बात को कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया, तो क्या उसका पालन किया ? नहीं किया । जब हम किसी काम को लागू नहीं करना चाहते, जब शुरुआत नहीं करते तो दूसरों को मिसाल क्या दे सकते हैं । मान्यवर, एक कहावत है कि "चेरिटी बिगिन्स ऐट होम" दूसरों के लिये क्या रास्ता दिखा सकते हैं । जब गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग की नियुक्ति होगी । जब माननीय चरण सिंह संविद सरकार में मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने भी इस बात घोषणा की थी कि हमारे प्रशासन में बड़ा भारी स्टाफ सरप्लस है । हम उस स्टाफ का क्या करेंगे । मैं छंटनी के पक्ष में नहीं हूं । लेकिन जो सरप्लस स्टाफ है उसको घोषित करने के बाद जो नई नियुक्तियां हों, यदि रिटायरमेंट के बाद जगह खाली हों, उसमें सरप्लस स्टाफ नियुक्त किया जाय ।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में इस प्रकार की प्रथा नहीं है कि हम कहीं भी आय पर अंकुश लगा सकें । आज जो बड़े-बड़े अधिकारी या छोटे-छोटे कर्मचारी तनख्वाह लेते हैं, उसमें सामंजस्य नहीं है । आप देखें कि एक व्यक्ति को इतनी तनख्वाह मिलती है कि वह रोटी से पेट नहीं भर सकता, कपड़ा नहीं पहन सकता, दवाई का प्रबन्ध नहीं कर सकता ।

[श्री रामसिंह]

परन्तु दूसरी तरफ देखिये इतनी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें यहां हमारे अधिकारियों की हैं उन पर कहीं-कहीं अंकुश लगाना चाहिये। कहीं-कहीं उसकी सीमा बांधनी चाहिये। उस पैसे को कम करके जो छोटे कर्मचारी हैं वही पैसा उनको दिया जा सकता है। इस प्रकार मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री को वेतन आयोग की नियुक्ति करनी चाहिये और इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि कहां-कहां हम चेक लगायेंगे, उस आमदनी की सीमा निर्धारित करेंगे जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों में इस प्रकार की भावना पदा हो जिससे उसका गुजारा हो सके और अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की उसकी पूर्ति हो सके।

कृषि के सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं भी उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कृषि हमारे प्रदेश का ऐसा विषय ह जिसकी तरक्की के बगैर प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। कृषि के सम्बन्ध में पुरानी रूढ़िवादिता चल रही है। ताज्जुब होगा कि कृषि विभाग के अन्तर्गत २७ हजार के करीब स्टाफ है और उस स्टाफ की मैं मिसाल देना चाहता हूं हमारे यहां जिले में ८–८, ६–६ अतिरिक्त कृषि अधिकारी हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो अतिरिक्त कृषि अधिकारी हैं उनकी क्या आवश्यकता है। क्या जिला कृषि अधिकारी काम नहीं कर सकते। उसी जिले में ब्लाक अधिकारी होते हैं, क्या वे काम नहीं कर सकते। मैं कृषि विभाग की अकर्मण्यता और कार्य करने की क्षमता न होने का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। कृषि विभाग में इस बात की व्यवस्था की गई कि स्वायल टेस्टिंग किया जाय। किस जमीन में किस तरह की खाद देनी चाहिये इसको स्वायल टेस्टिंग करके देखा जाय। ताज्जुब होगा कि उस टेस्टिंग के लिये साल तक लग जाता है। साल भर के अन्दर जब पहले उस जमीन का नमूना लिया गया उसकी क्या दशा थी और काश्तकार ने उसमें फर्टिलाइजर या खाद दी या खेती की या जो दूसरी फसल आई, उसके बाद क्या दशा हुई। कितना परिवर्तन हुआ। इस तरह इस टेस्टिंग से क्या लाभ हो सकता है। इस प्रकार से आज कार्य करने की क्षमता नहीं है और स्टाफ की भरमार है उस पर चेक लगनी चाहिये।

इसके अलावा मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश और देश में चारों तरफ अशान्ति है। कोई अखबार हो और किसी दिन का हो वह इस बात स खाली नहीं होता कि डकैती नहीं हुई, चोरी नहीं हुई, राहजनी नहीं हुई, कत्ल नहीं हुआ या इस तरह की बातें नहीं हुई जिससे समाज में एक अशान्ति और अव्यवस्था की बात उत्पन्न हो। हमें इस बात को देखना चाहिये कि आखिर इसकी वजह क्या है? मैं समझता हूं कि असंतोष का वातावरण और आर्थिक विषमता ही इसका सबसे बड़ा कारण है। माननीय मुख्य मंत्री जिस दिन नैक्सलाइट्स के बारे में बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इसके लिये सबसे बड़ी परेशानी भूमि के वितरण की है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अब तक जितने भी भूमि सुधार हुये हैं उनसे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं हुआ है। चाहे जमींदारी उन्मूलन के बाद, चाहे सीलिंग ऐक्ट के पास होने के बाद, चाहे ग्राम सभाओं की सीलिंग व्यवस्था के बाद, किसी भी चीज को हम देखें, भूमि के उचित वितरण का प्रबन्ध आज तक नहीं हो पाया। मैंने पहले भी निवदन किया था, माननीय मंत्री जी जब अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं, अकसर बयान दे दिया करते हैं कि हम अपने क्षेत्र में जो भूमि खाली पड़ी हुई है उसका वितरण भूमिहीन व्यक्तियों में करेंगे, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं होता है। आज भी जो गरीब है उसके पास रहने तक के लिये जमीन नहीं है। तो इस प्रकार की जो विषमता है जब तक उस ओर हम दृष्टिपात नहीं करेंगे, और इसको नहीं दूर करेंगे और तब तक सुधार नहीं हो सकता।

मैं एक निवेदन और करूंगा। कोई कटाक्ष की दृष्टि से नहीं। किन्तु हमारे यहां जो पूर्वी यमुना कैनाल है, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायें कि उससे कितना पानी इस वर्ष सहारनपुर के लिये दिया गया और कितना पानी मुजफ्फरनगर को दिया गया? मुजफ्फर-

नगर के क्योंकि माननीय मंत्री जी की पार्टी के बहुत से सदस्य हैं इसके उनके आदेश से सहारनपुर के लिये पानी बन्द करके मुजफ्फरनगर को दिया गया.....

(व्यवधान)

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

जो बात आप कह रहे हैं उसका कोई प्रमाण है आपके पास, मैंने कोई आदेश इस तरह के नहीं दिये हैं। आप लिख कर दें तो मैं जांच करा लूंगा। मैंने कोई आदेश नहीं दिये हैं।

श्री जगननाथ खन्ना—

क्या मंत्री जी बैठे-बैठे बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह—

मैं तो सदन में कह रहा हूं, लिख कर क्या दूं। आप इस बात की जांच करा लें कि पिछले महीने कितना पानी सहारनपुर को मिला और कितना पानी मुजफ्फरनगर को मिला। माननीय मंत्री जी अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं। उससे जनता को कोई लाभ नहीं होता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने कोई आदेश नहीं दिये।

श्री जगननाथ खन्ना—

क्या कोई मंत्री बैठे-बैठे बिना आपकी आज्ञा के बोल सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर उनको बोलना होता तो वे खड़े होते। बैठे-बैठे आप लोग भी प्रश्न पूछ लिया करते हैं। अब अगर नियम होगा तो सभी के लिये होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अभी माननीय सदस्य ने बिना आपकी आज्ञा के बोलना शुरू कर दिया।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह (सहारनपुर)—

तो मैं यह कह रहा था कि वे इस बात की जांच करा लें कि पिछले सालों में इन दिनों कितना पानी सहारनपुर और मुजफ्फरनगर को मिला था और इस वर्ष इस महीने में कितना मिला। मान्यवर, ५–५ रजबहे हमारे यहां के बन्द कर दिये गये। मान्यवर, अन्त में मैं केवल दो बातों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वे यह हैं कि आज हम इस बात का बड़ा भारी नारा लगाते हैं कि हमारे प्रदेश में हरित क्रान्ति हुई है। किन्तु उसका श्रेय किसको है? उसका श्रेय सरकार लूटना चाहती है। जो ठीक नहीं है, उसका श्रेय आपके कृषि विभाग को नहीं है। यदि आप समझते हैं कि केवल बीजों का वितरण कर देने से और फर्टीलाइजर्स बांट देने से हरित क्रान्ति हुई तो आप भ्रम में हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं आप से कहना चाहता हूं, हम और आप मेरठ डिवीजन के रहने वाले हैं, जो कृषिक्रान्ति हुई है उसका कारण सरकार नहीं है, उसका कारण यह है कि उसने पंजाब और हरियाणा की नकल की है।

कृषि विभाग में आज जैसी अर्कमण्यता और अव्यवस्था व्याप्त है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन् १९४२ से पहले, द्वितीय महायुद्ध के पूर्व उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में सरप्लस स्टेट था और स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व पंजाब डेफिसिट स्टेट था, किन्तु आज स्थिति बदल गई है, आज पंजाब और हरियाणा सरप्लस स्टेटस हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश

[श्री रामसिंह]

डेफिसिट स्टेट की स्थिति में है। तो इसका क्या कारण है? आप इसे सोचें। आप कहते हैं हम कृषि में उन्नति करेंगे और भ्रष्टाचार मिटायेंगे। तो क्या आपको उन्नति के ऊपर दृष्टि नहीं रखनी चाहिये। आपको यह देखना चाहिये।

दूसरी बात अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में जो कर्जों का भार है, उससे प्रदेश की स्थिति कितनी दयनीय है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं भारत सरकार का उत्तर प्रदेश पर कर्जा सन् ४६–४७ में केवल १५ करोड़ रुपया था, जो कि सन् ५०–५१ में बढ़ कर ३१ करोड़ रुपये के करीब हुआ और अब सन् ६६–६७ में ३२.२९ करोड़ रूपया हमारे ऊपर सेन्टर का कर्जा है। जो कर्जा पूरे प्रदेश पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है उसकी राशि इतनी बड़ी है कि एक स्टेज वह आ सकती है कि उसको हम न अदा कर सकने के लिये विवश हो जायं। इस संबंध में पिछले वर्ष जो हमने राशि अदा की वह ३८ करोड़ के करीब थी। तो हमारे प्रदेश की एकोनामी जो आज बुरी स्थिति में है वह केवल पार्टीबाजी के आधार पर काम करने से दूर नहीं हो सकती और न केवल कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने से। मैं यह नहीं कहता कि आप उनके खिलाफ कार्यवाही न करें, उनके विरुद्ध ऐक्शन न लें, ऐक्शन अवश्य लें, लेकिन यह देख लें कि दोष उसका है या नहीं। यह नहीं कि आपके पार्टी वाले ने उसके खिलाफ कोई शिकायत कर दी और आपने सख्त ऐक्शन ले लिया उसके खिलाफ। आप यह देखें कि जो व्यक्ति वास्तव में जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, उसी के खिलाफ आप ऐक्शन लें। इस प्रकार से आपको यह भी देखना चाहिये कि हमारी अर्थ-व्यवस्था और डेफिसिट बजट जो पेश हुआ है, वह भविष्य में न हो, जिससे पैसा बचते-बचते एक ऐसी सरप्लस स्थिति न आ जाये कि आप उसमें उस पैसे का कुछ न कर सकें——न योजनाओं पर खर्च कर सकें, न विकास पर खर्च कर सकें न जन कल्याण के कार्यों पर। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र वर्मा——

मान्यवर, आप मुझे एक स्पष्टीकरण देने की आज्ञा प्रदान करें, जो कि माननीय रामसिंह के भाषण से संबंधित है। उन्होंने कहा कि मैं अभी २५ तारीख को सहारनपुर में गया था और मैंने वहां यह आदेश दिया कि मुजफ्फरनगर जिले में ज्यादा पानी चलाया जाये और सहारनपुर में कम चलाया जाय। मैं कहता हूं कि यह बिलकुल निराधार आक्षेप है। आप एक भी प्रमाण पेश कर दें, एक भी व्यक्ति को पेश कर सकें जो इस बात का प्रमाण दे सके तो मैं सारे मामले को हाउस में रखने को तैयार हूं।

यों आज ही ५ बजे मेरे आफिस में आ जायं तो पिछले साल कितना चला और इस साल कितना चला, इसे मैं चीफ इंजीनियर से मालूम करके आपको बता दूंगा। मैं माननीय मित्र से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रकार की प्रमाण रहित बात न कहा करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री राम दुलारे (जिला रायबरेली)——

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हमारे प्रदेश के अन्दर आर्थिक दृष्टि से एक बड़ी भयावह स्थिति मौजूद है। जो आंकड़ों से सिद्ध हो जायगी। यह आंकड़े सन् ६१ की जनगणना के आधार पर हैं जिनमें कार्य न करने वाले आदमी ६०.८८ प्रतिशत है और कार्य करने वाले ३९.१२ प्रतिशत हैं। इन कार्य करने वाले आदमियों में ७० फीसदी लोग खेती में लगे हुये हैं और बाकी छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज तथा अन्य जगह में हैं। अगर दूसरे प्रान्तों से हम तुलना करें तो वहां इन्डस्ट्रीज में ज्यादा आदमी लगे हुये हैं। इसी कारण हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है जिसके कारण यहां पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन यहां का तभी बढ़ सकता है जब कि प्रदेश की सैकेण्डरी तथा टरसरी इंडस्ट्रीज साथ ही साथ बढ़े। इससे प्रति व्यक्ति आमदनी और बढ़ेगी लेकिन एक अन्डर डेवलप्ड प्रदेश के लिये यह बहुत

बड़ी समस्या है। यहां पर काम की कमी है और लेबर की अधिकता है। लेबर को इस्तेमाल करने के लिये प्रदेश के अन्दर छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज को कायम करना बहुत ही जरूरी है। यह बड़े-बड़े अर्थ शास्त्रियों का मत है कि लेबर प्रोडक्शन एक पेरिशेबिल फैक्टर है। अगर उसका आज इस्तेमाल नहीं किया गया तो कल भी वह इस्तेमाल नहीं हो सकेगा और फिर प्रदेश की माली हालत बिगड़ती जायगी। चूंकि प्रदेश में अन्डर डेवलप्ड इकोनामी है, इसलिये छोटे-छोटे कारखानों के द्वारा ही उन्नति की जा सकती है।

हमारे देश को २३ वर्ष हो रहे आजाद हुये और यह कहा जाता है कि देश तथा प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकी है। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में इसका मूल कारण यह है कि यहां पर जो व्यक्ति सत्ताधारी थे वे प्रदेश की उन्नति नहीं चाहते थे। वे यही चाहते थे कि गरीब गरीब रहे। दूसरी जगह आप जायं और देखें तो पायेंगे कि जहां पर लोगों ने चाहा है कि उनके प्रदेश की उन्नति हो, मिसाल के लिये पंजाब को ले लीजिये, वहां पर छोटे छोटे उद्योग तथा कारखाने लगा कर उन्नति की गयी है और वहां की हालत हमारे प्रदेश के मुकाबले में बहुत ही अच्छी है।

कल मैंने नेता विरोधी दल का भाषण सुना। उन्होंने बहुत जोर शोर से कहा कि इस बजट में न तो गरीब किसान को कोई राहत दी गयी है और न हरिजनों को ही कोई राहत दी गयी है। हरिजनों की राहत के लिये बहुत ढोल पीटा जा रहा है। सन ५० में जब संविधान बना था तो हरिजनों को कुछ विशेष राहत देने के लिये कुछ सेक्शंस उसमें जोड़ दिये गये थे और १० वर्ष की मियाद रख दी गयी थी। उसके बाद से लेकर अब तक वह समय बढ़ाया गया और अभी कुछ दिन पहले केन्द्रीय सरकार ने यह कानून पास किया कि ८० तक ये सुविधायें हरिजनों को मिलती रहेंगी। इस कानून के पास करने के बाद होता यह है कि देश की ५० फीसदी स्टेट्स (States) के द्वारा उसका समर्थन हो कर केन्द्र को जाना चाहिये था कि हम इसको स्वीकार करते हैं और २६ जनवरी, ७० से पहले इसका समर्थन होकर जाना चाहिये था, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सूबे की सरकार ने उसको समर्थन देने के लिये विधान सभा तक नहीं बुलाई और आज ढोल पीटा जा रहा है कि हरिजनों के वे बड़े हिमायती हैं और उनका भला करना चाहते हैं। इस प्रकार हमारे प्रदेश की सरकार के अन्दर ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने न प्रदेश की उन्नति करनी चाही और न हरिजनों की उन्नति करनी चाही।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारा प्रदेश एक अन्डर डेवलप्ड इकोनामी की दशा में है अंडर डेवलप्ड इकानामी को बढ़ाने के लिए बेसिक इकानामिक डेवलपमेंट सबसे जरूरी चीज होती है। उसके बाद सेकेण्डरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज पर आते हैं। हमारे प्रदेश के अन्दर लेबर बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसी स्कीम्स चालू की जायं जिसमें कुछ श्रमदान हो और कुछ गवर्नमेंट अनुदान दे। साथ-साथ में मेरा यह भी कहना है कि उन स्कीमों की हर जगह जांच की जाय। यह नहीं है कि पैसा ग्रांट कर दिया गया और कह दिया गया कि यह स्कीम लागू हो गई।

जो पैसा ग्रांट किया जाय उसकी हर जगह जांच की जाय, चाहे गांव पंचायतें हों या ब्लाक लेबिल पर हो, श्रमदान करके चाहे सड़क बनाएं, स्कूल बनाएं या पंचायतघर बनाएं, उसकी हर जगह जांच हो कि इतना पैसा इसमें खर्च किया गया और इतना श्रमदान में पैसा लगा। मेरा सुझाव है कि ऐसी स्कीम्स लागू की जायं जिससे जनता की तरफ से लेबर, कंट्रीब्युट हो और पैसा सरकार की ओर से कंट्रीब्युट हो। दूसरे टर्शियरी और सेकेण्डरी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि स्विच दबाई एकदम से उजाला हो गया। पिछड़े देश के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिससे भविष्य में धीरे-धीरे उन्नति होती है। इसके लिए कम्युनिटी कंजम्प्शन को बढ़ाया जाय। अस्पताल, स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, वगैरह बढ़ाने से इकानामी पर बड़ा असर पड़ता है। सेकेण्डरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डेवलप होती हैं। इन सुझावों के साथ में यह कहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो यह बजट पेश किया है यह एक ऐसा बजट है जिसमें काफी चीजों का प्राविधान किया गया है।

श्री जगननाथ खन्ना---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो आपने कहा था कि दो बजे तक मंत्री महोदय लंच टाइम में बाहर रह सकते हैं। अब २--२५ होने वाले हैं। वित्त मंत्री महोदय नहीं हैं। सिंचाई मंत्री भी चले गये। आखिर हम किसके सामने बजट पर बोलें, क्या कहें? दो भी बज गये, फिर भी वह नहीं आये। इसकी व्यवस्था तो करवाएं कि वह हाउस में रहें।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी, सम्बन्धित मंत्री से कहिए।

कारागार मंत्री (श्री बिशनलाल)---

मैं बैठा हूं। इस वक्त मैं सुन रहा हूं।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)---

वित्त मंत्री से मतलब है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री बिशनलाल---

जो मेरे दोस्तों की बात है, मैं उन तक पहुंचाऊंगा उसको।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी अति संख्या की मंत्रि-परिषद् है। और भी मंत्री रहने चाहिए और वह रहें।

श्री रामदुलारे---

मैं यह कह रहा था कि कम्युनिटी कंजम्शन बढ़ाने की जरूरत है। अर्थशास्त्री हंसन ने कहा है---

"No modern country could have achieved its varied and rich standard of living. without this historical expansion in the area of social and public service".

इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी उन्नतिशील देश ने बगैर सोशल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज के इतना स्टैण्डर्ड आफ लिविंग अचीव नहीं किया। ये चीजें धीरे-धीरे शुरू की जायं। इसका प्राविधान बजट के अन्दर है। हाउसिंग स्कीम का प्राविधान है, एजूकेशन का भी है, अस्पतालों का भी है, यह सारा प्राविधान बजट में है।

श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरीके से यह बजट तैयार किया जाना चाहिए था उसी तरीके से यह बनाया गया है और उसमें प्राविधान किया गया है। मान्यवर, बहुत से ऐसे पिछड़े हुये क्षेत्र हैं जहां पर न तो शिक्षा के साधन हैं न आने-जाने के साधन हैं। जैसा कि हमारे रायबरेली में है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है। खास तौर से वहां पर एक महराजगंज तहसील है। वहां पर कोई हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज नहीं हैं। भवानीगढ़, हैदरगढ़, और बछरावां और हिलौली कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर कच्चे छोटे-छोटे सड़क के टुकड़े हैं। इससे वहां की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर असर पड़ता है। मान्यवर, कल इस सदन में यह बात कही गयी कि चौधरी साहब ने सीलिंग का सवाल उठाया किन्तु इधर से कुछ लोगों की वजह से वह दबा दिया गया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे एक तरफ तो चोर से यह कहते हैं कि चोरी करो और शाह से कहते हैं कि जागते रहो। मान्यवर, सरकार हमेशा गरीबों का भला करना चाहती है और पब्लिक के लिये कानून बनाती है किन्तु यदि उसमें रोक लगाई जाती है तो वही बात हो गई कि

चोर से कहो कि चोरी करो और साह से कहो कि जागते रहो। इस तरह से कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता है।

मान्यवर, कल यहां पर यह बात भी कही गई कि बेकारी की समस्या को हल करने के लिये काम करने के घंटों को कम कर दिया जाय किन्तु बेकारी की समस्या काम के घंटों को कम करने से हल नहीं हो सकती बल्कि यहां प्रोडक्शन बढ़ाया जाय और नेशनल डिवीडेन्ट को बढ़ाया जाय। तभी प्रदेश की प्रगति हो सकती है। काम के घंटों को कम करने के बजाय यदि उन्हें बढ़ाया जाय और मेहनत से और ईमानदारी से काम किया जाय तो इस देश और प्रदेश की उन्नति हो सकती है।

मान्यवर, हमारा देश एक संविधान के द्वारा संचालित किया जाता है। कल यहां माननीय वित्त मंत्री ने यहां पर सही कहा है कि कोई भी स्टेट हो चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, आन्ध्र प्रदेश हो, बंगाल हो या पंजाब हो हर प्रदेश के फाइनेन्सियल मामले में या किसी भी मामले में उनकी अलग-अलग चीजें होती हैं जो कि उन्हें किसी संविधान के द्वारा डाइरेक्ट की गई होती हैं। इसमें हमारा भी आपका भी और सेंटर का भी कर्तव्य है कि उसे ठीक से चलावें। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह भी कहा कि वर्तमान १९७०–८० का दशक राज्य के लिये सार्वाधिक निर्णायक दशक होगा। मान्यवर, यह सही है कि सही तरीके से काम करने पर सही काम होगा और गलत तरीके से काम करने पर गलत काम होगा। सही तरीके से कार्य करने पर ही प्रदेश की उन्नति हो सकती है। मान्यवर, अन-डेवेलप्ड इकानामी में डेफिसिट बजट होना आवश्यक है। पर सेल्फ लिकुईडेटिंग स्कीम्स लोन्स के द्वारा फाइनान्स की जांय जिसमें टैक्स पेयर का डाइरेक्ट बरडन न पड़े। इसमें जो कुछ दिखाया गया है जिन स्कीम्स पर खर्च दिखाया गया है जिनका प्राविधान इस बजट में किया गया है वह उचित है। और जो स्कीमें इसमें रखी हुई हैं वह बहुत अच्छी हैं टैक्स भी जो लगाये जा रहे हैं वे ऐसे कि उनका डायरेक्ट असर टैक्सपेयर पर नहीं पड़ता है और प्रदेश की एकोनामी को वे आगे बढ़ाती हुई चलती हैं।

इस बजट को पढ़नें से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय तिवारी जी ने एक बहुत ही अच्छे ढंग से इस बजट को तैयार किया है। मैं तो यह कहूंगा कि वे एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। जो डिसबर्समेंट किया गया है वह बहुत अच्छे ढंग से किया गया है जो आगे चल कर रिजल्ट देगा। यह बजट गरीबों और कमजोरों को राहत देने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी को दूर करने का प्राविधान इसमें किया गया है। इसमें कुछ ऐसी भी स्कीमें हैं जिनके बारे में कहा गया कि इन्दिरा जी की वजह से वे इसमें नहीं लायी गयीं हैं। लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि राजनीतिक वातावरण में पिछले ८–१० महीनों से जो आंधी चली आ रही थी, यह तब्दीलियां उसी का परिणाम हैं। जो गंदगी पिछले २०–२२ सालों में पैदा हो गयी थी, अब वह छन कर और साफ होकर आगे आ रही है और आज प्रदेश में एक ऐसा ढांचा तैयार हो गया है जो प्रदेश की उन्नति करने को तत्पर है। इन शब्दों के साथ मैं, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जगननाथ खन्ना—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस बजट की जनरल डिबेट में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। श्रीमन्, गवर्नमेंट ने जो आंकड़े उद्योग उत्पादन के बारे में दिये हैं उनसे यह पता चलता है कि १९६०–६१ में उत्पादन का जो लक्ष्य था वह १८३ करोड़ का था। वह १९७० में आकर २७० करोड़ हो गया है। श्रीमन्, ९–१० वर्षों में कुल ८८ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। यह कोई प्रदेश के लिये अच्छा लक्षण नहीं है। ८–९ करोड़ रुपये प्रति वर्ष का उत्पादन बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि अपने द्वारा अपने ही प्रदेश में बड़े-बड़े पोस्टरों द्वारा यह एडवर्टाइज किया जाता है कि प्रदेश में जो कोई फैक्ट्री लगायेगा उसको हर किस्म की सहूलियत दी जायेगी। लेकिन उस को वे सहूलियत मिलती नहीं हैं इसलिये उत्पादन बढ़ नहीं पाता है। सरकार ने यह भी कहा है कि नये उत्पादनों के लिये ३ वर्ष की सेल्सटैक्स की छूट दी जायेगी लेकिन छोटे-छोटे कारबार व लों

[श्री जगननाथ खन्ना]

को २–२ साल तक यह छूट नहीं मिलती और फाइल सेक्रेटेरियट में घूमती रहती है और हाई पावर कमेटी तक फाइल नहीं पहुंच पाती । जो राहत शुरू में हीं मिल जानी चाहिये उसको बाद में मिलने से क्या लाभ है । वह अपना पैसा भी लगाये और सेल्सटैक्स भी दे ।

उसी समय तो उसको उस सहूलियत की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन उसको नहीं मिल पाती और व्यापारी को कारोबार के चलाने में दिक्कत पैदा होती है ।

आज एक सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी से मिला था । मैं आभारी हूं कि बिक्रीकर मंत्री जी ने उस फाइल को ढुंढ़वा कर उसका फैसला किया ।

दूसरी बात यह है कि उत्पादन के बारे में जो इंजीनियर लोग रिसर्च करना चाहते हैं लेकिन उनको रिसर्च करने के लिये पैसा नहीं दिया जाता । उतना पैसा नहीं दिया जाता जितना कि उनको मिलना चाहिये । आज अपनी सरकार यह समझती है कि शायद रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च करना बेकार जाता है लेकिन मैं कहता हूं कि वह पैसा बेकार नहीं जाता । एक इंजीनियर जो अच्छा दिमाग रखता है अगर वह रिसर्च करे तो शायद ऐसी चीज बना कर दे सकता है जिससे आपको आज नहीं तो ५–१० साल में अवश्य ही आर्थिक लाभ मिलेगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने साढ़े ६ करोड़ रुपये प्रदेश के हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज के लिये रखे हैं । यह राशि बहुत कम है और इससे इस वर्ग का कुछ ज्यादा भला होने वाला नहीं है । इसलिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस राशि को बढ़ाये । साथ ही इस प्रदेश में मुझे यह भी देखने का अवसर मिला है कि जो जाति पूर्व में शैडयूल्ड कास्ट है पश्चिम में वह शैडयूल्ड कास्ट नहीं है । मेरे पास एक केस आया तो जो अफसर थे इस डिपार्टमेंट के उनसे मैंने कहा कि यह बैकवर्ड क्लास का है, इसको यह रिआयत मिलनी चाहिये । तो उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र के अन्दर इस जाति को छुट है लेकिन पश्चिम में यह जाति बैकवर्ड या शेडयूल्ड कास्ट में नहीं मानी जाती है । तो यह भेदभाव बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि जो रेल में मुलाजिम है, कई वर्षों से पूर्व में रहता था लेकिन अब पश्चिम में आ गया तो उसके लिये आज परेशानी पैदा हो गयी क्योंकि उसको सुविधा नहीं मिलती । तो मैं अपनी सरकार का ध्यान उनकी इस परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि इस भेदभाव से उन जातियों को कष्ट होता है ।

इसके अलावा कल एक चर्चा चली थी कि मेरठ के अन्दर हाई कोर्ट की एक शाखा खोली जाय । मेरे कुछ साथियों ने इसको एक ऐसा प्रश्न बना दिया कि उधर के लोग चाहते हैं, इधर के नहीं चाहते, इसमें प्रान्त बंट जायगा आदि, आदि । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि शाखा खुले या न खुले लेकिन इसमें प्रान्त बंटने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिये और न है । उधर के लोग यह जरूर चाहते हैं कि इलाहाबाद उनको बहुत दूर पड़ता है, बड़ी बड़ी फीस वकीलों को देनी पड़ती है जिसके कारण वे परेशान होते हैं इस कारण से आज पूरे पश्चिम की यह आवाज है कि हाई कोर्ट की एक बेंच मेरठ में खोली जाय । मेरठ इसलिये क्योंकि मैं अगर भूलता नहीं हूं तो रेवेन्यू के हिसाब से मेरठ कमिश्नरी किसी भी कमिश्नरी के मुकाबले में ज्यादा रेवेन्यू देती है । लेकिन वह ज्यादा रेवेन्यू देती है इसलिये मैं नहीं कहता कि वहां बेंच खोली जाय बल्कि इसलिये कि जहां पर रेवेन्यू ज्यादा होगा वहीं झगड़े और मुकदमेबाजी ज्यादा होगी । इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक शाखा मेरठ के अन्दर अवश्य खुलनी चाहिये, इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये ।

साथ ही वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में प्रोफेशन टैक्स में थोड़ी बहुत छूट दी है लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस प्रोफेशन टैक्स से प्रदेश का हर व्यक्ति परेशान है । जो आदमी इन्कम टैक्स देता है वह प्रोफेशन टैक्स क्यों दे ? क्या कोई काम करना जुर्म है ? अगर जुर्म है तो यह टैक्स जरूर लेना चाहिये अन्यथा इस टैक्स को सरकार तुरन्त वापस ले,

इससे लोगों को काफी परेशानी है। इन्कम टैक्स तो कुछ छूट भी दे देता है लेकिन प्रोफेशन टैक्स में तो सारी चीजों को मिला लेते हैं। तो मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि यह प्रोफेशन टैक्स जो एक बड़ा भारी बोझ है प्रदेश के लोगों पर इसको वह फौरन समाप्त करें।

इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। आपकी सरकार की ओर से विद्यालयों को और कालेजों को कुछ एड मिलती है। एड इसलिये मिलती है जिससे वहां के अध्यापकों को उनकी पे मिले और उनको सुविधाएं मिलें, लेकिन होता क्या है कि जो प्राइवेट कालेज हैं उनमें मैनेजमेंट अध्यापकों को वह महंगाई भत्ता नहीं देते हैं जो उनको मिलना चाहिये। यही हाल नगरपालिका के विद्यालयों का है। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें। जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी गुजर जो उनको मिलता है उसमें नहीं होती है तो उनकी ओर ध्यान दें और उचित व्यवस्था करें।

इसके बाद आप यहां के अस्पतालों की दशा को देखें। किसी अस्पताल में पहुंच जायें, वहां एमर्जेन्सी वार्ड में कोई मरीज पहुंच जाय, तो २, २ घंटे डाक्टर वहां नहीं आते हैं। एमर्जेन्सी का केस है और डाक्टर घर में बैठा हुआ है और नाम रखा है एमर्जेन्सी वार्ड। अगर कोई मंत्री पहुंच जाय या कोई बड़ा आदमी पहुंच जाय तो डाक्टर भी आ जाते हैं और दवाइयां भी मिल जाती हैं वरना दवाई भी नहीं मिलती है। इसके लिये मैं सुझाव दूंगा कि जितना लाट्री का पैसा आवे वह अस्पतालों पर लगाया जाय। सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्रीमन्, अभी अभी एक सेन्टर की ओर से कमेटी बनी है जो तय करेगी कि भारतवर्ष में कपड़े पर सेल्स टैक्स लगाया जाय या न लगाया जाय। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो कमेटी बैठती है उसको अपना सजेशन दें कि अगर वह चाहते हैं कि रुपया कम आता है ज्यादा आये तो लाइसेंस फीस बढ़ा दें लेकिन जो दुकानदारों को परेशानी हो रही है वह खत्म कर दें। इस पर मंत्री जी पूरा-पूरा ध्यान दें।

इसके बाद श्रीमन् इस प्रदेश के अन्दर हलवाइयों का मामला है। इनके ऊपर जो सेल्स टैक्स लगा है उससे काफी परेशानी उन लोगों को होती है। आज उत्तर प्रदेश का हलवाई सेल्स टैक्स तो देना चाहता है लेकिन वह चाहता है कि उसको हिसाब न रखना पड़े। आप देखें कि कोई भी हलवाई पूरी तरह से हिसाब नहीं रख सकता है। कोई २ आने की जलेबी ले गया तो कोई ४ आने की मिठाई ले गया, तो कैसे हिसाब रख सकता है। मैदा है, इसको ९५ परसेंट हलवाई इस्तेमाल करते हैं। वह टैक्स तो देना चाहता है लेकिन उसको हिसाब न रखना पड़े। इसकी तरफ भी मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां फूड एण्ड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है। मुकदमा लड़ने के बाद यहां अपील आती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि २, २ साल से यहां अपीलें पड़ी हुई हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। कोई उसका फैसला नहीं है, २, २ साल अपीलें पड़ी रहती हैं डिपार्टमेंट के अन्दर और कोई सुनवाई नहीं होती है। तो श्रीमन्, अगर दो, दो साल तक यही हालत रहे तो इंसाफ कहां से मांगा जाय। सेक्रेटेरिएट में कोई फाइल देखने वाला नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। इसके बाद श्रीमन्, यहां जो सूचना विभाग था उसको एस० बी० डी० सरकार ने समाप्त कर दिया। सूचना विभाग तो समाप्त हो गया है लेकिन गेंदा सिंह जी सूचना मंत्री बना दिये गये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब सूचना विभाग ही नहीं है तो सूचना मंत्री क्या करेंगे। यह किस चीज की सूचना इकट्ठा करेंगे। सूचना इकट्ठा करने के लिये पेसर्स बहुत हैं। तो श्रीमन् इसी तरीके से प्रदेश के अन्दर वजीरों की मंत्रियों की फौज करदी गई है और सुनने में आ रहा है कि और बढ़ने वाले हैं। जब कोई मांग होती है अध्यापकों की, मांग पूरा करने के लिए कहा जाता है तो कह दिया जाता है कि पैसा कहांसे लायें? मंत्रियों के लिए पैसा है लेकिन

[श्री जगननाथ खन्ना]

जनता के लिए नहीं है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अपनी सरकार से जो यह पांच, सात बातें कहीं, चाहूंगा कि वह इन पर ध्यान दें। आशा है कि मंत्री महोदय इन पर पूरा ध्यान देंगे। जय भारत।

*श्री पन्ना लाल (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट के मौके पर बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज इस सरकार ने जो बजट इस सदन के सामने पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज इस बजट में हमारे कैबिनेट के मंत्रिमंडल ने अपनी निगाहें सही तरफ दौड़ाई हैं काफी परिश्रम किया है और काफी समाजवाद का नारा जो इधर से और उधर से लगता है उसको कार्यान्वित करने के लिये कोशिश की है मगर जहां तक इस बजट का ताल्लुक है वह आज उन समाजवाद के नारों के साथ उन गरीबों तक नहीं पहुंचता जहां समाजवाद की नीव है। आज इस बजट में हमने जहां तक देखा कृषि की उत्पादिता बढ़ी और बढ़े, चिकित्सालय बढ़े, सब कुछ बढ़े मगर जहां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को देखता हूं वहां उनको खाली इतनी पनाह मिली कि ३० रु० से कम उनकी पेन्शन नहीं होगी जिससे बुढ़ापे में मियां बीबी सत्तू खाकर जिन्दा रह जांय इतनी गुंजाइश जरूर रखी गई है।

जहां तक हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री का संबंध है जो अब उधर बैठते हैं उनकी निगाह हमारे इस असेम्बली हाउस कीतरफ जरूर दौड़ती थी। उन्होंने अपने जमाने में हम लोगों की तनख्वाह दो सौ से तीन सौ करदी, निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता भी डेढ़ सौ कर दिया और १० रु० की जगह डी० ए० भी २५ रू० रोज कर दिया। हम लोगों के खाने पीने और रहने का इन्तजाम उनके ध्यान में था क्योंकि उनको अपनी कुर्सी पर रहना था मगर उनका ध्यान कभी उन गरीब चपरासियों के क्वार्टर पर और चतुर्थ श्रेणी के लोगों पर नहीं गया जिनके बच्चे जाड़ों के दिनों में स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ते हैं। उनके कमरों में कभी लाइट नहीं गई और मंत्री के कमरों में, एम० एल० ए० के कमरों में लाइट जलती है और कमरे बन्द करके चले जाते हैं और लाइट और पंखा खुला रहता है और सरकार उनका भार उठाती है मगर चतुर्थ श्रेणीके कर्मचारियों का जो उनका काम करते हैं और जब वह अपने घर जाता है तो क्या हाल होता है। उसकी आंखें चकाचौंध से निकल कर आती हैं तो उसको अपनी अंधेरी कोठरी में दिखाई नहीं पड़ता। कुछ देर चुपचाप बैठा रहता है उसके बाद उसको दिखाई पड़ता है अपने घर की रोशनी में तब वह अपनेवाल बच्चों को पहचान पाता है।

मैं इस ओर अपने वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि कम से कम उनकी कोठरियों में लाइट लगवा दें और उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आयेगा। इनकी रोशनी का खर्चा पूरा करने के लिए हमारे एम० एल० ए० के कमरों में मीटर लगा दें और उनका जो खर्चा हो उनसे ले और इस बचत से इन कर्मचारियों के यहां बिजली लग सकती है। हमें २५ रु० रोज भत्ता मिलता है, निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता मिलता है और तीन सौ रुपये तनख्वाह भी मिलती है। हम क्या इतनी कुर्बानी गरीबों के लिये नहीं कर सकते? क्योंकि घाटा पड़ेगा। मंत्री महोदय कहने में तो यह घाटा कहां से पूरा होगा। बनिये का हिसाब किताब रेकार्ड में पूरा होना चाहिये। आज जिस समाजवाद का नारा इधर के लोग और उधर के लोग लगाया करते हैं उस समय हम देखते हैं कि चपरासियों के बच्चे मामूली चद्दर ओढ़ कर स्ट्रीट लाइट में पढ़ा करते हैं। हमारे यहां लाइट चाय बनाने में, खाना बनाने में खर्च होती है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके यहां अगर इस लाइट का बल्ब लगा तिया जाय तो उसका सदुपयोग होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि सड़कों का सवाल है आज हम देखते हैं कि सड़कों के सवाल पर हमारा मंत्रिमंडल बहुत ही उदार हो गया है। बहुत से स्थानों पर सड़कें बनवाई गईं। जब कभी मैं इनके प्रोपोजल की तरफ निगाह डालता हूं तो देखता हूं कि ऐसी जगहों पर सड़कों का निर्माण किया गया है जहां पर महीने में मुश्किल से एक या दो बैलगाड़ियां ही निकलती हैं। जिन स्थानों पर हमारे यहां के जिला परिषद् ने फर्स्ट या सेकन्ड प्रायरिटी नियत की वहां पर हमारे इन्जीनियर साहब, इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर महोदय कभी ध्यान नहीं देते हैं और हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं और न उस पर मंत्रिमंडल ही कोई ध्यान देता है और जिन स्थानों की सड़कों की कोई अहमियत नहीं है और जहां पर कभी महीने में एक बैलगाड़ी भी नहीं निकलती उन सड़कों का निर्माण करवाया जाता है। जिन सड़कों की अहमियत को जिला परिषद् ने नियत किया, जोर दिया और उसका महत्व बताया कि वह बहुत जरूरी सड़क है जो बनवाई जानी चाहिये उस तरफ हमारे अधिकारी महोदय का कोई भी ध्यान नहीं गया।

देखा यह गया है कि जिन स्थानों से सरकार को टैक्स भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और जिन स्थानों की सड़क की बहुत मांग है कि वहां पर पक्की सड़क बनवाई जाय उन स्थानों के बारे में कुछ भी नहीं किया जाता है। जो सड़क बिन्दकी से फतेहपुर आती है वहां पर ४ प्राइवेट बसेज को लाइसेन्स भी दिये गये हैं परन्तु उस स क को बनवाने की तरफ उनकी निगाह नहीं गई और गई उस जगह पर जहां पर बलगाड़ी भी नहीं चलती है। हम जब इस प्रकार के प्रोपोजल्स को देखते हैं तो आश्चर्य होता है। इस बात को हमारे साथी भी जानते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि जो ये सड़कें बनवाई गई हैं वह किस प्रायरिटी के आधार पर बनवाई गई हैं जरा इसकी जांच करवायें। उन सड़कों की क्या अहमियत है, क्या जरूरत है और उनसे वहां के रहने वाले लोगों या जनता को क्या राहत मिली है और किन आधार पर उनके प्रोपोजल्स रखे गये। इन चीजों पर उनकी नजर जानी चाहिये। एक चीज और है उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि अभी फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की इधर से और उधर दोनों तरफ से आलोचना हुई। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट हमारी विकास योजनाओं के बीच में एक ऐसी नदी है जो हमको इस पार से उसपार नहीं होने देती है।

चाहे जितनी अच्छी योजना हो अपना एक नोट लगा कर सारा खर्चा रोक देता है। और कब पास करता है? जब १० मार्च के बाद यहां से आर्डर जाते हैं कि यह खर्चा करो, वह खर्चा करो। तब जो चीज एक रुपये में आती है वह चार रुपये में खरीदी जाती है। कुछ दुकानदार हाथ मारता है और कुछ सरकारी कर्मचारियों के हाथ भी लगता है। तो अगर विकास करना है तो हैड आफ दि डिपार्टमेंट को बजट पास करने के बाद पावर दीजिये और अगर वह गलती करते हैं, रुपया काम मेंनहीं लाते हैं तो उनको पकड़िए। फायनेन्शियल हैन्ड बुक अंग्रेजों के जमाने में बनायीगयी थीं। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज की मशीनरी नहीं गयी। वही फायनेंन्सियल हैन्ड बुक, वही पीनल ला, वही एवीडेन्स एक्ट : जिस मशीन में अलमूनियम का बटन बनता है कैसे उसमेंसीप का बटन निकल सकता है। आपका डेफीसिट बजट मुनाफे का बजट हो जाता है। क्यों ? हमारे डिपार्टमेन्ट फायनेन्स डिपार्टमेन्ट की वजह से रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं। इस फायनेन्शियल हैन्ड बुक को तो फेंक देना चाहिए। अंग्रेज के साथ ही उसे जहाज में रख देना चाहिए था।

हमारे अमनोअमान के इन्तजाम में जो कमी है वह है एवीडेन्स एक्ट। थानेदार और न्यायालय चाहे जितनी मेहनत करें, चाहे जितने बड़े डकैत, कातिल को पकड़ लें, लेकिन बेनीफिट आफ डाउट मुलजिम को मिलेगा, कभी मुद्दई को नहीं मिलेगा, और बड़े से बड़ा कातिल हाईकोर्ट से उसमें छूट जाता है। हमारे प्रदेश का सारा रुपया, सारे अफसरों की मेहनत एवीडेन्स ऐक्ट की वजह से मिट्टी में मिल जाते हैं। आज जो जरायम बढ़ रहे हैं उसका एक कारण यह बेनीफिट आफ डाउट भी है। वह सोचते हैं कि चार गवाहों के बयानों में रद्दोबदल हो जाएगा और हम हाईकोर्ट से छूट जाएंगे। करीब ६० परसेन्ट मुकदमे छूट जाते हैं, कुछ

[श्री पन्ना लाल]

यहां से, कुछ सैशन जज से और बाकी हाईकोर्ट से। कोई एकाध रह गया और सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं छूटा तो मर्सी पिटीशन आ जाती है। बड़े दयावान लोग हमारे यहां के होते है। दया करके २० साल की सजा कर दी और प्रोबेशन ऐक्ट के जरिए वह ८ साल में छूटकर आ गया, मर्डरर ८ साल में छूट कर आजाता है और फिर जरामय करता है।

आप दूसरे मुल्कों में देखे। क्रान्ति हुई उसके साथ ही पुराने ऐक्ट बदले, पुरानी मशीन बदली, पुरानी हुकूमत बदली। यहां सन् ४७ के बाद ५० में पूरी आजादी हुई। लेकिन आई० सी० एस० अंग्रेज के जमाने का ही रहा। लोग नायब तहसीलदार से कलैक्टर हो गए, कानूनगो से डिप्टी कलैक्टर हो गए, लेकिन उनका जो रवैया पहले था वही अब भी है। मैं इस सेक्रेटरिएट में देखता हूं कि मंत्री महोदय का हुक्म का कुछ होता है लेकिन आई० ए० एस० जो अपना एक समूह बनाए हुए हैं, अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं, वह मंत्री महोदय के आडर को फालो करने को तैयार नहीं है। श्रीमन्, मैं एक केस आपको बताऊं। एस० एन० वर्मा कानपुर मिल्क बोर्ड के मैनेजर थे उन को आर्डर हुआ वहां से हटने का और वह पब्लिक कमीशन के सेक्रेटरी का चार्ज लेने के लिये गये, वहां से चेयरमैन ने लिख दिया कि हम उनको नहीं लेना चाहते। वहां से हटे तो फिर हुआ कि वह बिजली बोर्ड के सेक्रेटरी बनाये जांय, वहां से भी उन्होंने कहा कि हम इन को नहीं लेंगे लेकिन वह वहां जमे रहे और बाद में जब आर्डर हुआ तो वह वहां से भी हटा दिये गये। उस के बाद वहमिल्क बोर्ड में बने रहे और अब मालूम हुआ है कि फिर आर्डर हुआ कि वह कानपुर के जिलाधीश बना दिये गये हैं। उन्होंने २० हजार किलो घी इकट्ठा कर के गिल्लू मल बजाज से २० हजार रुपया लेकर सौदा किया और बाद में जब इस मामले की शिकायत हुई और इन्क्वायरी हुई और विजिलेन्स वालों ने भी कहा कि यह मामला सही है तो वह मिल्क बोर्डस हटाकर कानपुर के जिलाधीश बना दिये गये।

यह हालत है इन के सेक्रेटिरिएट की, मंत्रीगण आर्डर चाहे जो दें, चाहें गुप्ता जी की सरकार हो या चौधरी साहब की सरकार हो लेकिन इन की अलग एक सरकार इतनी मजबूत कायम है कि वह कहते हैं कि हम तो गंगा की धारा हैं नाले नदीतो बरसात में बहते हैं लेकिन हम तो आजतक हिमालय कीतरह वैसे ही कायम हैं, कितनी मिनिस्ट्री आई और चली गई लेकिन हम जहां के तहीं हैं, हमारी हुकूमत हमेशा रहेगी उन की तो आयेगी और चली जायगी। चाहें इधर वाले हों या उधर वाले हों और हम मुंह से चाहे जितना कह दें लेकिन वास्तव में आज हुकूमत उन्हीं की है न हमारी है न उधर वालों की है। वह सेक्रेटेरिएट पर पूरी तरह से हावी हैं, जिस फाइल पर वह जो चाहें कराते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि यहां जनतन्त्रवाद चलाना है या समाजवाद चलाना है और यदि आप को गरीबों की सेवा करना है तोआप कुल्हाड़ी लेकर या आई० सी० एस० और आई० ए० एस० का पेड़ जो फैला है जो किसी को खजूर की तरह छाया नहीं देता और हम सब को परेशान करता है उस को आप जड़ से काट दें। अगर आप ने इस में देरी की और इस मशीन को नहीं हटाया तो आप कभी पनप नहीं सकते।

हम ने देखा है कि हर जगह हो देश मेंजहां क्रान्ति हुई है वहां पर सारी चीजें बदली गई हैं तभी वहां पर चाहे अधिनायकवाद रहा हो, जनतन्त्रवाद रहा हो या समाजवाद रहा हो वह तभी पनप सका है लेकिन यहां तो आजादी के बाद से ही एक अजीब चूं चूं का मुरब्बा बनाया गया है और एक बीरबल की खिचड़ी पकायी जा रही है। अमरीका का चावल है और इंगलैंड की दाल है और लकड़ी देश की है और खिचड़ी उल्टी सीधी पक रही है, जिसे कहते हैं कि ८ कन्नौजिये और ९ चूल्हे, एक चूल्हा आग जलाने का उनका अलग नवां रहता है। अभी एक दिन मैं नंदा जी से मिला, उन से मेरी बात हुई और मैंने उन से कहा कि कम से कम आप दो चीजें तो फौरन करा दें। एक तो यह कि इस फाइनेंशियल हैंड बुक को और एवीडेंस ऐक्ट को फौरन जला दें और इस तरह से आप का आधा काम अपने आप खत्म हो जायगा और सारी परेशानी मिट जायगी।

एक चीज मैं आप बता दूं कि गरीबों की बात इधर से और उधर से की जाती है। सरकारी अफसरों की एक चीज और बता दूं उसका एक नमूना सुन लें। ११५ डी० में बेदखली की बात इधर से और उधर से सब तरफ से कही गई। आजकल यह हो रहा है कि तहसीलदार इजलास में किसानों को धमकी देते हैं कि तुम पर ५ हजार और ७ हजार रुपया जुरमाना कर देंगे वर्ना तुम स्तीफा दे दो और इस का प्रचार तारीख बढ़ाकर लेखपालों के द्वारा कराते हैं। बहुत से ऐसे कैसेज हैं कि किसानों ने डर कर मय खड़ी फसल के अपना स्तीफा दे दिया। मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगा कि ११५ डी० की तफसील का सरकार की घोषणा में कहीं पता नहीं है, किसानों की पकी पकाई फसल स्तीफा लेकर लोगों ने काट ली और इस में तमाम तहसीलदार और लेखपाल का हाथ रहा। कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि इस के लिये क्या उपाय किया जायगा। जैसे जमींदारी अबालिशन के समय में १७१ के मातहत काश्तकार बेदखल होते थे उसी तरह से ११५ डी० का हाल है। मैंने माननीय मंत्री महोदय को सूचना दी थी पर पता नहीं उस पर क्या कार्यवाही हो रही है। मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हम सब मिलकर पार्टी बाजी में न पड़कर जनसेवा का काम करें। अगर हमको गरीबों की भलाई का काम करना है तो हम सब मिलकर गरीबों को राहत पहुंचायें। अगर हमारी तनख्वाह बढ़ गई तो उनके साथ जायं और नहीं बढ़ी तो उनके साथ जायं यह आयाराम और गयाराम की पालिसी को छोड़ें। इससे मुल्क का फायदा नहीं होगा और न हमारा ही फायदा इससे होगा। आखिर इधर उधर जाने से कोई लाभ नहीं है। अपने काम से हम सब को लगना चाहिये।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से बतलाना चाहता हूं कि पुलिस में क्या हो रहा है। हमारे बान्दा जिले की करबी में एक थानेदार की यह हरकत हुई कि उसने हमारी एक बहन को थाने में बुलाकर उसके गुप्त स्थान में लाठी डाल दी। यह खबर मिली है कि वह थानेदार अभी वहीं पर मौजूद है। गुंडों को बुलाकर उसे बन्द कर दिया और फिर उनका चालान कर दिया। इसके बाद वहां चोरी भी उसने कराई वहां के दुकानदारों के यहां लेकिन आज तक एक चोरी का भी पता नहीं चला। उसका यह एक पेशा बना हुआ है और इस तरह की वह कार्यवाही कर रहा है। यह वही थानेदार है जिसको एडीशनल आई० जी० ने कानपुर के अनवरगंज के थाने पर दो रोज की खुली हुई रोजनामचे में पकड़ा था। यह कानपुर से करबी भेजा गया है: तो यह स्वच्छ प्रशासन कहां है? यह भ्रष्टाचार कैसे दूर हो रहा है? इस आदमी के खिलाफ २, २ रोज का खुला हुआ रोजनामचा एडीशनल आई० जी० साहेब ने पकड़ा लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई तो यह क्या है?

मैं एक चीज आपको यह बता दूं कि यह सरकार और हम सब जो हैं एक रथ हैं जिसमें ९ करोड़ जनता सवार है। इसके सारथि मन्त्रिमंडल है और इसकी लगाम सरकारी अधिकारियों के साथ में है और थोड़े छोटे अफसर हैं। अगर सारथि ने अपनी बुद्धि से काम न लिया तो ये अफसर लगाम खींचते रहेंगे और यह रथ न मालूम कहां जाकर गिरेगा और यह कहां ले जाकर गिरा देंगे और हम ९ करोड़ जनता तालाब, कुंआ या समुन्दर में डुबा देंगे। इनका कोई पता नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हम सब पर होगी। इसलिये इस तरह सरकार की निगाह होनी चाहिये। मैं इन बातों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट के बारे में कुछ कहने का मौका दिया जिसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, यह तो बजट हमारे वित्त मंत्रीजी की तरफ से पेश किया गया है इस बजट को देखने से और पिछले साल के बजट को देखने से मुझे कोई फर्क नहीं मालूम होता है। पिछले वाले बजट में भी करीब करीब २०,३० करोड़ रुपये का घाटा था और इस बजट में भी हमारी इस मिली जुली खिचड़ी सरकार ने, समाजवादी और क्रान्तिकारी तथा कथित समाजवादी सरकार ने भी करीब करीब २४ करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

किया है । तो मान्यवर, एक घाटे के बजट को पेश करना कोई समाजवादी बजट नहीं कहा जा सकता है । यह क्रान्तिकारी बजट नहीं है । समाजवादी बजट नहीं है ।

मैं तो समझता हूं कि यह बजट इस मंत्रिमंडल की तरफ से नहीं बल्कि नौकरशाही की तरफ से बनाया गया है जैसा कि अभी हमारे माननीय साथी श्री पन्नालाल जी ने कहा था। मान्यवर, यह बजट उन लोगों की तरफ से बनाया गया है जो यह समझते हैं कि मंत्री तो आते जाते रहेंगे, हम तो यहीं पर हमेशा रहेंगे । जिन लोगों को हमारे गांव की स्थिति का, गांवों के नक्शे का, गांवों की गरीबी का और बेकारी का पता नहीं है, यह बजट उन लोगों की तरफ से बनाया गया है और यही करण है कि इस बजट में गरीबों को राहत देनें का कोई समाधान नहीं है । गरीबों के लिये कोई भी क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का सवाल इसमें नहीं है लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब हमारे वित्त मंत्री जी भी उसी बजट के साथ अपनी राय मिलाते हैं । एक स्थान पर माननीय वित्त मंत्री जी ने लिखा है कि "कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ष की बजट अवधि में समाजवादी समाज या यों कहें कि कल्याण कारी समाज नहीं ला सकता। बहुत अंशों में आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन का बुनियादी काम केन्द्र का दायित्व है" ।

आप देखलें कि जिनकी तरफ से बजट बनाया गया है, उनकी वकालत माननीय मंत्री जी ने की है । इनका काम प्रदेश की ९ करोड़ जनता की आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन का काम नहीं है बल्कि उनके कथनानुसार यह काम दिल्ली की सरकार का है, यह काम इन्दिरा रानी जी का है । पता नहीं लगता कि जब इनका यह काम नहीं है कि वे बजट में ऐसी चीजों का समावेश करें जिनसे इस प्रदेश की गरीबी मिटे, जिससे इस प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक कुंठायें दूर हों, तोफिर मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी से कि फिर वे यहां पर क्या कर रहे हैं ? वे कहते हैं कि साल भर में समाजवाद नहीं आ सकता है । पिछले बीस वर्षों से हर वर्ष इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है । हमारे वित्त मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय, पिछले बीस वर्ष से सरकार में शामिल रहे हैं और इस प्रदेश को पीछे ढकेलने की सारी हरकतों व साजिशों में इन सब का हाथ रहा है । ये मिले जुले लोग हैं जिन्होंने बीस साल से प्रदेश की गरीबी और बेकारी को दूर करने की बात की है, जिन्होंने नारे लगाये हैं लेकिन वास्तव में उनका दिल नहीं बदला है ।

इस बजट के बारे में मंत्रियों में निराशा है, साथ ही साथ सरकारी पक्ष के तमाम लोगों में बहुत भारी निराशा है और हमलोग तो इस बजट को बिलकुल रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला कागज मात्र का ढेर समझते हैं । यह बिलकुल भानमती का एक पिटारा जैसा है जिसमें कागज पत्रका गट्ठर बना कर हमारे इस प्रदेश की ९ करोड़ जनता के ऊपर लादने की कोशिश की गयी है । ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है । साल भर में करीब ६०० करोड़ रुपया खर्च करने का प्राविधान है लेकिन गरीबों को राहत देने के लिये कोई भी चीज उसमें नहीं है । गरीबों को राहत देने के नाम पर नारे बहुत लगाये जाते हैं लेकिन कोई भी क्रान्तिकारी परिवर्तन की बात उसमें दिखलाई नही पड़ती है । मैं देख रहा हूं कि जब से माननीय चरणसिंह की सरकार बनी धड़ाधड़ आयोग पर आयोग बनते चले जा रहे हैं । पुलिस आयोग बना है, तराई विकास परिषद् बनी है, पूर्वी जिलों को लिये विकास परिषद् बनी है, चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिये भी कोई परिषद् बनी है, कमेटी बनी है । मैं पूछता हूं कि जब हरकाम के लिये परिषद् की परिषद् बनी हैं तो ये हमारे मंत्री लोग काहे के लिये हैं वहां पर ? इस से तो मैं यह समझता हूं कि ये मंत्री लोग उन सारी चीजों को पूरा करने के लायक ही नहीं है ।

पुलिस की समस्या को हल करने के लिये पुलिस आयोग बनाया गया है । उत्तर प्रदेश की पुलिस के नंगे नाच को कौन नहीं जनता ? उत्तर प्रदेश की पुलिस में समझता हूं, गुंडों का बहुत बड़ा गिरोह है । इस गिरोह को ठीक करने के लिये हमारे पुलिस मंत्री जी ने जो आयोग बनाया है उससे क्या वे यह समझते हैं कि कोई जज आयेगा और उसके जरिये पुलिस

ठीक हो जायेगी और तब उनको सजा मिलेगी। कहा गया है कि पुल आयोग बनाया जायगा। क्या माननीय मंत्री जी नहीं जानते हैं कि कहां कहां पुल बनायें जायेंगे और अगर उनको इतने साधन उपलब्ध होते हुए भी अपने विभाग की जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूं कि वे मंत्री बनने योग्य बिल्कुल नहीं है। पूर्वी जिलों के विकास के लिये कमेटी बैठायी जायेगी। मैं कहता हूं कि पूर्वी जिलों के लिये विकास परिषद् की कमेटी की क्या जरूरत है। कौन नहीं जानता कि पूर्वी जिलों के विकास केलिए पटेल आयोग बनाया गया था। उसकी रिपोर्ट इसी सचिवालय की अलमारियों में बन्द है, समझ में नहीं आता क्यों नहीं निकाली जाती है। उसे निकाल कर क्यों नहीं पूर्वी जिलों की उन्नति के लिये लागू किया जाता है। कहने को तो कहते हैं कि बड़े क्रान्तिकारी काम करेंगे लेकिन जब करना पड़ा तो समझ में आया कि यह तो बहुत बड़ा बुनियादी परिवर्तन का काम है और ये उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का बेबुनियादी और नीचा स्तर है। ये बुनियादी स्तर के लिए नहीं हैं। काम के लिये नहीं है।

एक मोटी सी मिसाल अपने मुख्य मंत्री जी की देता हूं। बड़ा ढोल पीटा गया कि जमीन की सीलिंग करेंगे। ३० एकड़ भूमि से अधिक किसी के पास नहीं रहने देंगे। आप देखें कि मंत्री जी का वह नारा कहां चला गया। दूसरे ही दिन ४०–५० माननीय सदस्यों ने विधायको ने चैलेन्ज कर दिया कि अगर तुमने इस कानून को बना दिया तो वे सरकार को गिरा देंगे। पलट देंगे। तो उन्होंने जिनको चरण सिंह और सड़क पर चेयर सिंह भी लोग कहते हैं, मैं समझता हूं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिये सीलिंग के प्रोपोजल को ताक में रख दिया और कुर्सी बचाने के लिए उस सारे मसले को समाप्त कर दिया और इससे लाखों भूमिहीनों के साथ विश्वासघात किया। क्यों नहीं ३० एकड़ से ज्यादा जमीन को आपने ले ली? अब कहते हैं कि सलाह मश्विरा करेंगे, कमेटी बैठायेंगे और जो उनकी राय होगी तब देखा जायगा। किसानों के मसीहा, हमारे माननीय मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह ने, जब सवा ६ एकड़ जमीन के लगान खात्मा का सवाल हम लोगों ने उठाया था, तो उन्होंने डटकर विरोध किया और कहा कि वे जांच करायेंगे और देखेंगे कि अलाभकर जमीन कितनी होती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी मंत्रि परिषद् को छोड़कर ४ बीघा जमीन लेकर गांव में बैठें तब उन्हें पता चलेगा कि अलाभकर जमीन कितनी होती है। ४ या ६ बीघे वाला किसान आज भूखों मर रहा है, उसे उस जमीन से कोई फायदा नहीं हो पाता है। उस बुनियादी बात को, जिसके लिए एक कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, दिल्ली की सरकार की ओर से भी यह कहा गया कि सवा ६ एकड़ अलाभकारी जमीन है। जिससे कोई मुनाफा नहीं है और उसका लगान खत्म होना चाहिये। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने क्या मेरठ की जमीन से ही हिसाब लगाया है या हमारे माननीय वित्त मंत्री जी नैनीताल की जमीन से हिसाब किताब लगा रहे हैं कि ३ १/८ एकड़ तक की जमीन का लगान माफ करेंगे। पिछली सरकार ने अर्थात् गुप्ता जी की सरकार ने यह कहा था कि हम सवा ६ एकड़ तक के लगान की माफी जून से करेंगे लेकिन आज जब राजस्व मंत्री जी से मैंने प्रश्न तो पूछा तो उन्होंने कहा कि जो वे करेंगे वह जुलाई में ही करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उनके सामने अब क्या दिक्कत या अड़चन है। जब पिछली सरकार ने इसे जून में समाप्त करने का इकरार किया था तो इन किसानों के मसीहा लोगों के पास क्या उत्तर है कि वे भी इसी जून में ही खत्म करके अपना काम नहीं चला सकते थे?

मान्यवर, लेकिन इरादा यह था कि जाते जाते जितना मिले–भागे भूत की लंगोटी घसीटो लगान तो पांच बीघे का माफ कर रहे हैं लेकिन एक फसल का रुपया वसूल कर लो। इस तरह से इन्होंने करोड़ों किसानों का छः करोड़ रुपया लगान के मामले में लगान की वसूली में इस रबी की फसल में वसूल कर लिया जो माफ होना चाहिये था। तो मान्यवर, आप देखेंगे कि इनका इरादा क्या है। इस प्रदेश को ये कहां ले जाना चाहते हैं? चीनी मिलों का बड़ा शोर था। दोनों तरफ के लोग, हमारे उधर के लोग और इधर के लोग भी चाहते थे कि चीनी मिलों का जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकरण हो। कमेटी बैठाई गई। तय किया गया कि एक महीने में कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी। पता नहीं आज भी गेन्दा सिंह जी और

[श्री रामपाल सिंह यादव]

श्री वीरेन्द्र वर्मा जी कहां है कि तीसरे मेम्बर का तो पता ही नहीं, सेठ पृथ्वी नाथ उस कमेटी के तीसरे मैम्बर थे, कहां पर हैं। कमेटी की रिपोर्ट कब आयेगी कोई पता नहीं। बराबर यह सरकार अपने दिन काटती हुई समस्याओं को टालती हुई चली जारही है।

तो मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मुझे माननीय वित्त मंत्री जी से यह उम्मीद नहीं थी। उन्होने इस प्रदेश की जो समस्यायें हैं उन सारी समस्याओं की छीछालेदर कर दी है। इस बजट में कह दिया उन्होंने कि हम बच्चों को भोजन देंगे और कहा कि हम इसके लिये तीस लाख रुपये खर्च करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीस लाख रुपये में कितने बच्चों को कितने दिन भोजन दे पायेंगे। अरे, एक नया पैसा भी तो एक बच्चे के हिसाब से नहीं पड़ेगा। मंत्री जी कहते हैं कि बेरोजगारी मिटाने के लिये एक करोड़ रुपया खर्च करेंगे। आप देखिये, बेरोजगारी की समस्या हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है। इसके अन्दर लाख दो लाख नहीं बल्कि दो करोड़ आदमी बिल्कुल बेकार हैं। और तब तक इस प्रदेश की बेकारी को दूर नहीं किया जायेगा, समस्या का सबाधान नहीं होगा। लेकिन बेकारी को दूर करने के लिये मौजूदा बजट में केवल एक करोड़ रुपया है। अगर एक करोड़ भी बेकार लोगों को माना जाय तो एक रुपया प्रति व्यक्ति बेकारी दूर करने के लिये दिया जायेगा। एक रुपये में तो एक रोज सत्तू भी एक व्यक्ति भरपेट नहीं खा पायेगा। एक रुपया फी आदमी के ऊपर लगा कर हमारे मंत्री जी इस प्रदेश की बेकारी की समस्या को दूर करना चाहते हैं और कहते हैं कि वे तो पुराने समाजवादी हैं।

दूसरे मंत्री जी जो मुख्य मंत्री हैं उन को तो घमंड है कि वे बीस साल से मंत्री बने चले आ रहे हैं। उनको तो बहुत बड़ा तजुर्बा है। मैं कहता हूं कि कहां गया आपका तजुर्बा? आप एक करोड़ आदमियों की बेकारी को दूर करने के लिये एक करोड़ रुपये खर्च करेंगे यानी एक आदमी पर एक रुपया। मैं नहीं जानता कि इस प्रदेश की किस तरह तरक्की हो रही है। पांच प्रतिशत आमदनी में तरक्की हो रही है। कहते हैं कि अढ़ाई प्रतिशत तो चला जाता है जनसंख्या के बढ़ जाने में और रह जाता है दो प्रतिशत। अगर इसी प्रकार से इनका क्रान्तिकारी बजट पेश होता रहा तो आज जिस आदमी को आठ आने मिलते हैं उस आदमी को पचास साल में एक रुपये की प्राप्ति होगी क्योंकि दो प्रतिशत आमदनी बढ़ती है तो पचास साल में दो प्रतिशत के हिसाब से दूनी होगी तो दो आने, वाले को चार आने और चार आने वाले को आठ आने, पचास वर्ष में इनके बजट के हिसाब से मिलेंगे।

इस तरह से इस प्रदेश का कैसे निर्माण होगा, कैसे तरक्की होगी और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की समस्याओं के बारे में कोई सदस्य क्रान्तिकारी नमूना और ऐसा क्रान्तिकारी मसविदा से पेश किया जाना चाहिये जिससे सारा का सारा नक्शा पलट जाता और समस्या का समाधान होता। वित्त मंत्री जी कहते हैं एक वर्ष में कैसे होगा? मैं कहता हूं कि क्यों नहीं आप बेकारी को दूर करने के लिये भूमि सेना की भर्ती करते और मिलीटरी की तरह उनको खेती के काम में लगाते। इससे बेकारी भी दूर होती और आपका अनाज उत्पादन भी दुगना होता। क्यों नहीं आप जमीन का बटवारा करते? आप ऐसा इन्तजाम क्यों नहीं करते कि किसी व्यक्ति के पास साढ़े १२ एकड़ से कम जमीन न रहे और जिनके पास उससे ज्यादा जमीन है वह उनसे छीन कर जिनके पास जमीन नहीं है भूमि हीन हैं उनको दे दी जाय? क्यों नहीं आप ऐसा इन्ताजम करते कि किसी भी आदमी की आमदनी १५० रुपये माह से कम और १५०० रुपये माह से अधिक नहीं होगी। चाहे गवर्नर हो चाहे बड़ा से बड़ा आफिसर हो, किसी की १५०० रुपये माहवार से ज्यादा नहीं मिलना चाहिये। १५०० रुपये से ऊपर पाने वाले अफसरों का वेतन कम करके उसको कम आमदनी वाले छोटे कर्मचारियों को क्यों नहीं देते? यह जितने भी काम हैं वह सब एक साल के अन्दर ही अन्दर हो सकते हैं। इन कामों को समाजवादी काम कहा जा सकता है।

समाजवादी काम यह नहीं है कि आपने एक करोड़ बेकारों के लिये एक करोड़ रुपया रख दिया। एक बेकार आदमी एक रुपये को लेकर क्या करेगा? क्या माननीय वित्त मंत्री जी को यह नहीं मालूम है कि इस प्रदेश के लाखों आदमी आज घोड़ा बन गये हैं और रिक्शा चलाते हैं? बैंकों के राष्ट्रीयकरण का बड़ा हल्ला मचाया गया। क्यों नहीं आपने ऐसा इन्तजाम किया हर रिक्शावाले को कम से कम ५०० रुपया मिल जाता जिससे वह अपना रिक्सा खरीद सकता। आज उसे दिन भर मेहनत करके २ रुपये रोज मिलते हैं, बाकी पैसा उसको रिक्शे के मालिक को दे देना पड़ता है। तो यह सब समस्यायें आज प्रदेश में मुंह बाये हुये खड़ी हैं। अगर इनका समाधान सरकार ने साल भर के अन्दर नहीं किया तो प्रदेश में नयी स्थिति खड़ी होगी। मंत्री जी ने कहा कि सन् ८० तक यह देखा जायेगा कि हिसाब किताब में क्या रहा? उसके लिये तो अभी १० वर्ष हैं। दस वर्षों में तो आप जाने कहां होंगे। इस प्रदेश के गरीबों का तब तक क्या होगा? इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बजट को समेट कर रखें और कोई नया क्रान्तकारी समाजवादी बजट यहां पेश करें जिसमें इतने ही पैसे से प्रदेश की सारी समस्याओं को हल करने का प्राविधान हों।

यहां कहा गया कि टैक्स नहीं बढ़ायेंगे। मैं कहता हूं कि इसी साल के अन्दर सरकार १२–१३ करोड़ के टैक्स लगाने जा रही है। सेल टैक्स बढ़ाया मोटर गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया है, आबकारी पर टैक्स बढ़ाया है इस सब का बोझ गरीब जनता पर पड़ेगा। मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रदेश की सरकार टैक्सों की ही सरकार है। तरह तरह के टक्स बढ़ा कर सरकार प्रदेश को और तबाही तथा बेकारी की ओर ले जा रही है। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी अपने को बहुत तजुर्बेकार समझते हैं, लेकिन मैं यह समझ रहा हूं कि इस समय उनका तजुर्बा फेल हो गया है। कल ही माननीय राजस्व मंत्री जी की तरफ से ओला गर्दी के संबंध में जो रिपोर्ट पेश हुई, इसमें करीब ३९ जिले हैं। अभी जो ओला पड़ा है, उसमें ३९ जिले प्रभावित हुए और उसमें करीब ४२ लाख एकड़ जमीन की फसल नुकसान हुआ। इतनी भूमि पर खड़ी फसल नष्ट हो गई।

माननीय राजस्व मंत्री जी जो सबसे ज्यादा बुड्ढे हैं—एक ओला गिर पड़े तो साफ हो जाएं, उन्होंने कहा कि ४ लाख रुपया उसके लिए दिया गया है। इस हिसाब से १ एकड़ की फसल नुकसान पर १० नया पैसा पड़ा। अब आप देखिए कि एक एकड़ जमीन की फसल की वैल्यू केवल १० पैसा सरकार ने आंकी है। यह सहायता अत्यन्त ही अल्प है और नगण्य है। यह सहायता तो उसी प्रकार की है जैसे कि कोई भूखे भिखारी को एक पैसा दे दे या जैसे पंडित को कोई दक्षिणा देता है। वैसे ही यह सरकार गरीबों को दक्षिणा बांट रही है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती और इस सरकार की नालायकी का नमूना इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। कल ही रिपोर्ट पेश हुई है, बजट के बारे में, मंत्री जी ने पेश तो कर दिया है, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि बजट के भीतर होता क्या है? आप देखें प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है —" १९६९–७० में लगभग ३० करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करने के प्राक्कलन प्रि–बजट–स्क्रूटनी के बिनाही बजट में सम्मिलित कर लिए गये थे, जिनकी स्क्रूटनी अधिकांशतः बजट पास होने के उपरान्त ही की गई होगी। यह एक प्रकार से सदन की जनकारी में सही स्थिति न लाकर सदन में बजट पास कराने का मामला है। जिसको समिति बहुत गम्भीर मानती है। तो मान्यवर, मैं समझता हूं इस बजट में ऐसी भी बहुत सी चीजें घुसी हुई होंगी। आगे प्राक्कलन समिति इसे देखेगी और वह फिर पाएगी कि इसे नौकरशाही ने मिलजुल कर पेश किया है और इसे पास कराने की नापाक साजिश की जा रही है। यह जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है यह उसी प्रकार की चीज है जैसे एक ऐसा आदमी हो तो पिछला कुछ भी न जानता हो और अनजाने में कोई चीज करने लगे और फिर कहे मैं तो बहुत बड़ा काबिल और जानकार आदमी हूं जैसे ये सब मंत्रीगण हैं।

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

स्वच्छ प्रशासन का नारा हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा लगाते हैं। और उन्होंने यह कहा है कि हम इस प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देंगे। किन्तु साफ बात यह है कि वह गरीबी नहीं मिटा सकते बेकारी नहीं मिटा सकते, गरीब इन्सान की भूख नहीं मिटा सकते, खाली इस प्रदेश की ९ करोड़ जनता को स्वच्छ प्रशासन देंगे। जो स्वच्छ प्रशासन का फारमूला उन्होंने इस बजट में पेश किया है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि स्वच्छ प्रशासन के लिये भ्रष्टाचार निवारण कार्यक्रम जो बनाया गया है और उसके जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के ऊपर जो इसका भार छोड़ दियागया है, वह बहुत ही हास्यास्पद और गलत बात है। इससे भ्रष्टाचार नहीं मिटने वाला है, बल्कि मंत्री जी अब आप सब साफ होने वाले हैं। कलेक्टर और पुलिस कप्तान भ्रष्टाचार मिटाएगा ऐसा करके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नौकरों के ऊपर लाद दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन पुलिस कप्तानों से और कलेक्टरों से भ्रष्टाचार मिट सकता है, जिसकी ही वजह से हमारे गांव आज भ्रष्टाचार के अड्डे हो गये हैं और गांव का आदमी अपनी जिन्दगी को असुरक्षित समझता है? वास्तविकता यह है कि इन पुलिस कप्तानों और कलेक्टरों के अत्याचार और भ्रष्टाचार ने रावण-राज्य को भी मात कर रखा है। ये भ्रष्टाचार दूर करेंगे? इसकी किसी को भी आशा नहीं है।

मान्यवर, तो मैं इस संबंध में एक ही बात कहूंगा जैसे कोई हलवाई हो और वह अपनी दुकान लगाए हुए हो, और वह सड़क पर से एक कुतिया पकड़ ले और यह कहे कि वह कुतिया हमारी दुकान की रखवाली करेगी। तो वह कुतिया रखवाली करेगी या दूकान की जलेबी, पूड़ी, हलुआ खा जायगी? आज जो यह सरकार जिलाधीशों को भ्रष्टाचार मिटाने का अधिकार दे रही इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार इस प्रदेश में बढ़ेगा। और यह सरकार भ्रष्टाचार को छः महीने के अन्दर दूर नहीं करती है, माननीय मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार को दूर नहीं करते तो इनको रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार को चलाने का कोई अधिकार नहीं है।

मान्यवर, गन्ना मिलों के सम्बन्ध में तीन आदमियों की कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के सामने नहीं आयी है। यह कमेटी गन्ना मिल मालिकों को प्रभावित करने के लिए बनायी गयी थी। इसलिए बनायी गयी थी कि गन्ना मिल मालिक घबड़ा जायं और इस सरकार से सांठगांठ करें, तब सरकार अपना उल्लू सीधा करे। गन्ने के मामले को किसान जानता है, विधायक जानते हैं, उन सबको एक जगह बैठा कर इसका समाधान दो दिन के अन्दर किया जा सकता था। लेकिन यह सरकार दो तीन महीने से गन्ना कमेटी को लटकाये हुए है, कोई रिपोर्ट सामने नहीं लाती। इसका नतीजा यह हो रहा है कि गन्ना इलाके का किसान और गन्ना इलाके का विधायक भी काफी भयभीत है क्योंकि वह चाहता है कि जितनी जल्दी इन गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण करे उतनी ही जल्दी उस गरीब जनता को राहत मिले। मुझे डर लगता है कि यह सरकार इस काम को करेगी या नहीं। करेगी तो गन्ना के मिल मालिकों को इतना लम्बा मुआविजा देगी जिससे हमारी इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति की कमर टूट जायगी। यही सांठगांठ चल रही है मिल मालिकों और कमेटी के बीच में। इन कमेटियों को बनाने का एकमात्र मंशा यही है कि इन कमेटियों के जरिये प्रदेश की सारी समस्याओं को ढील में डाला जाय। ये यह कहते रहें कि बड़ा क्रान्तिकारी काम करने जा रहे हैं। हम समाजवादी बजट पेश करना चाहते हैं।

क्या वित्त मंत्री समाजवाद की परिभाषा नहीं जानते। वह पुराने समाजवादी रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में जाकर आज समाजवाद के दुश्मन हैं। सारा का सारा पढ़ा पढ़ाया सबक भूल गये हैं। जब श्री बलबीर सिंह जी ने बजट पेश किया था मेरी उनके साथ बड़ी हमदर्दी थी कि यह नये-नये आये हैं, अभी-अभी सरकार संभाली है। लेकिन इनको दो चार महीने का वक्त भी मिल गया, पुराने आदमी भी हैं, तजुर्बेकार हैं लेकिन कहां गया उनका तजुरबा, कहां गया उनकी इस प्रदेश के प्रति हमदर्दी? एक करोड़ आदमियों की बेकारी दूर करने के लिए

एक करोड़ रुपया देंगे। तराई इलाके में एक लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों में बांटेंगे। राजस्व मंत्री ने ऐलान किया था कि जून के महीने तक दस लाख एकड़ भूमि भूमिहीनों को बांटी जायेगी। कहां गया मंत्री जी का वह ऐलान? मान्यवर, कहां बटी वह १० लाख एकड़ जमीन। मेरा दावा है कि वह जमीन सही मानी में तो १० हजार एकड़ भी भूमिहीनों को नहीं बंटी होगी। आज भी नारा लग रहा है कि १ लाख एकड़ बांटेंगे और इस तरह भूमिहीनों को सब्जबाग दिखाय जा रहे हैं।

क्रान्तिकारी कदम उठाने के लिये यह सरकार इस प्रदेश के ग्रामीण आदमियों के लिये ग्रामीण पेयजल स्कीम बनाने जा रही है। गांव में रहने वालों के लिये पानी की व्यवस्था नहीं है, कुवें नहीं हैं उसके लिये इस सरकार ने करोड़ों आदमियों तथा लाखों गांवों के लिये २ करोड़ रुपया मंजूर किया है और पिछले वर्ष भी साढ़े ४ करोड़ रुपया मंजूर हुआ था जिसमें ६९७ गांव के २ लाख ४० हजार आदमियों को पानी मिला था। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि २ करोड़ रुपये से ३०० गांवों के केवल १ लाख आदमियों को पानी मिलेगा। दूध तो दरकिनार रहा यह सरकार गांव के रहने वाले गरीब आदमी को पानी भी नहीं पिला सकती। इस प्रदेश में १ करोड़ आदमी ऐसे होंगे जिनके लिये पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है और इसी तरह यह सरकार अगर उनके पानी का इन्तजाम करती रही और १ लाख आदमियों को हर साल पानी पिलाती रही तो १ करोड़ आदमियों के लिये १०० वर्ष लग जायेंगे जब तक न इन मंत्रियों का पता होगा और न इनकी सरकार का पता होगा।

इस तरह एक शेखचिल्ली वाले स्वप्न को इन्हों ने इस बजट में रखा है जिससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इस तरह सभी बातों में धोखा धड़ी का मामला है और इसी तरह नाकाबिलियत इसमें दिखाई है। सभी इन्तजाम का दावा यह सरकार करती है जैसे पेयजल, बच्चों को स्कूलों में मुफ्त खाना मिलेगा, बेकारी दूर होगी लेकिन वह करेगी कितना इसका कोई हिसाब उसके पास नहीं है। अमेरिका में फी आदमी को एक गिलास सन्तरे का रस मिलता है, एक किलो दूध पीने को मिलता है लेकिन यहां गांवों में पीने का पानी तक नहीं मिलता। तो मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इन सारी समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करें और इस बजट को इस विधान सभा में पास न होने दें क्योंकि यह बजट ९ करोड़ जनता का बजट नहीं है, कुछ आई० सी० एस० आफिसर्स और कुछ मंत्रियों का बजट है। यह एक निकम्मा तथा बेकार बजट है।

मैं एक बात गांवों में सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में ४५ करोड़ रुपया इस प्रदेश में सड़कों के बनाने के लिये रखा गया है। इस वर्ष पीने के पानी के लिए इनके पास २ करोड़ रुपया था बेकारी मिटाने के लिए इनके पास केवल १ करोड़ रुपया था। ४५ करोड़ रुपया इस वर्ष सड़कों बनाने के काम में खर्च किया जायगा। यह सौभाग्य की बात है कि इस समय माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी भी यहां आ गये हैं, मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि यह जो सड़कों का मामला है उसे वे इंजीनियरों की अक्ल पर न छोड़ें, पुरानी मोहर जिन लोगों पर लगी है उनके ऊपर न छोड़ें उस पर गम्भीरता से स्वयं विचार करें। कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में नहर की पटरियां हैं वे सभी मिट्टी से भरी हुई हैं। कोई काम मिट्टी की भराई का वहां पर नहीं कराना पड़ेगा। इन पटरियों के ऊपर कंकड़ को डलवा कर पिटवा दिया जाय सड़क बन जायेगी। इस ४५ करोड़ रुपये से मेरा दावा है कि यहां इस तरह उत्तर प्रदेश में कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जहां पर सड़क की व्यवस्था न हो जाय। किन्तु अगर यह सारा ४५ करोड़ रुपया इंजीनियरों की काबलियत पर छोड़ा गया तो नई सड़कों पर केवल मिट्टी भरा दी जायेगी, सारा पैसा बरबाद हो जायेगा और बरसात में वह सारी मिट्टी बह जायगी और यह सड़कें भी बह जायेंगी। और ४५ करोड़ रु० पानी की तरह बह जायेगा।

मान्यवर, मैंने पंजाब में जाकर देखा। मैंने वहां देखा कि कोई नहर की पटरी और बंबे की पटरी ऐसी नहीं है जो कि सड़क के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती हो। यही वजह है कि आज पंजाब प्रदेश इतनी तरक्की कर रहा है। वहां पर प्रत्येक नहर की बम्बे की पटरी

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

सड़क बनी हुई है उसमें सीमेन्ट लगी है। लेकिन हमारे प्रदेश की जो पुरानी परम्परा रही है कि शहर को बनाओ गांवों को उजाड़ो वही अब तक चली आ रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश में नहर की जितनी भी पटरियां हैं उनमें सीमेन्ट कंकड़ लगाकर उसे सड़क के रूप में इस्तेमाल करें। इससे करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं इस बजट रूपी दानव का जो कि हमारे प्रदेश की ९ करोड़ जनता के ऊपर रावण की तरह मुंह बाये खड़ा हुआ है, घोर विरोध करता हूं और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस बजट को फेल करें और दूसरा बजट इसी सदन में इसी बीच की खाली जगह में यहां पर बैठकर बनाया जाय और उसके बनाने में हम सभी लोगों की भी राय ली जाय तभी वह समाजवादी बजट कहलायेगा और इस प्रदेश की ९ करोड़ जनता का भला होगा। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं और आपको पुनः विशेष धन्यवाद देता हूं।

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रयास किया है कि इस बजट से गरीबों के लिए कुछ राहत मिले। लेकिन मैं यह देखता हूं कि जो बजट १९६९–७० में पेश किया गया था और जो बजट १९७०–७१ के लिये प्रस्तुत किया गया है उसमें थोड़ा सा अकड़ों का ही हेर-फेर मालूम होता है। उनकी फीगर्स से ऐसा मालूम होता है कि इसमें हेर-फेर नाममात्र का ही किया गया है। कुछ विशेषतायें इस बजट के सम्बन्ध में हैं उन्होंने ३,१ ८ एकड़ तक जोत वालों को भू-राजस्व से छूट दी है। मैंने देखा है कि भू-राजस्व की आय केवल १६ करोड़ रुपया है और व्यय १२ करोड़ रुपये हैं तो इस प्रकार जो ४ करोड़ रुपये की शुद्ध आय रक्खी गई है उसे भी क्यों न समाप्त किया जाय। अतः इसको वापस लेना चाहिये। यदि कहीं ओले अथवा बाढ़ से क्षति होती है तो उसमें भी छूट देनी होगी इसमें यह भी शामिल है। दूसरे पंचायत मंत्रियों के वेतन-क्रम में भी परिवर्तन किया गया है। उनका वेतन-क्रम ७५–११५ कर दिया गया है और उनकी सेवाओं के लिये भी कहा गया है, राज्य की ओर से भी उनकी सेवाओं को लिया जायगा।

तीसरी बात मद्यनिषेध के बारे में है जो समाज के ऊपर राक्षस की भांति छाया हुआ है। मद्यनिषेध इस वर्ष मथुरा, वाराणसी और इलाहाबाद नगरों में लागू कर दिया गया है। अगर यह योजना बराबर चलती रही तो एक दिन उत्तर प्रदेश में ऐसा आयेगा कि पूर्ण मद्यनिषेध हो जायगा। और आज जो समाज में एक तरह की विभीषिका है वह एक दिन समाप्त हो जायगी। जहां तक वृत्तिकर की बात है, ४२०० रुपया तक छूट दी गयी है। यह वृत्तिकर सकल आय पर लगाया गया है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया है। वह तो शुद्ध आय पर लगाया जाना चाहिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें और उसको वास्तविक आय पर लगाने की कृपा करें। सकल आय पर लगाने का कोई औचित्य ही नहीं मालूम होता।

अनुसूचित जातियों के लिये यह प्राविधान किया गया है कि ३ और ४ श्रेणियों में उनको तरजीह दी जायगी और इस प्रकार से उनको संरक्षण के "एटपार" लाने का प्रयत्न किया जायगा। उनको यह सुविधा पहली और दूसरी श्रेणी की राज्य सेवाओं में भी मिलनी चाहिये टेकनीकल लोगों की बेरोजगारी को दूर करने के लिये प्राविधान किया गया है लेकिन उसमें ३५ लाख बिल्कुल ही कम है। जिस प्रदेश के इंजीनियर लोग दो-दो डेढ़-डेढ़ सौ रुपया पर ओवरसियर के स्थान पर नौकरी पाने के लिये दौड़ रहे हों उनके लिये ३५ लाख रुपया बहुत ही कम है। बालकों के न्यूट्रीशन के लिये भी ४ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। एक-एक जिले में अगर १–१ हजार स्कूलों की संख्या भी हो तो ५० हजार स्कूलों के लिये ४ करोड़ रुपये की धनराशि बहुत ही कम है। योजना ऐसी होनी चाहिये जिससे सब बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके।

इसके अलावा मुझे इस बजट के बारे में कुछ शंकायें भी हैं। मैंने बजट को भी देखा और बजट भाषण को भी देखा। सरकार ने पहले एक घोषणा की थी कि शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण

किया जायगा। लेकिन सारे भाषण में उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मिला। शुगर मिलों के राष्ट्रीयकरण कहीं भी कोई रूप रेखा नहीं दी है। मालूम ऐसा होता है कि इस बजट को प्रस्तुत करते समय सरकार ने इस योजना को ही समाप्त कर दिया।

इसके अलावा मुझे इस बजट के बारे में कुछ शंकायें भी हैं। मैंने बजट को भी देखा और बजट भाषण को भी देखा। सरकार ने पहले एक घोषणा की थी कि शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा। लेकिन सारे भाषण में उसके बारे मुझे कुछ नहीं मिला। शुगर मिलों के राष्ट्रीयकरण की कहीं भी कोई रूपरेखा नही दी हुई है। मालूम ऐसा होता है कि इस बजट को प्रस्तुत करते समय सरकार ने इस योजना को ही समाप्त कर दिया है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बार इसके लिये आश्वासन दिया था तो इस योजना का जिक्र माननीय वित्त मंत्री के भाषण में अवश्य ही होना चाहिये था।

कहा जाता है कि सरकार कृषि, सड़कों और बिजली को बहुत बढ़ावा देना चाहती है लेकिन १९६९–७० में जब कि ट्यूबवेल और पम्पिंग सेट्स के लिये ७४ हजार का टारगेट था लेकिन अब ७०–७१ में ७० हजार का ही टारगेट रखा गया है। और पिछले वर्ष जब कि ३ हजार गांवों में बिजली लगाने का लक्ष्य रखा गया था, इस वर्ष केवल २ हजार गांवों को ही बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों में पिछले साल २६० किलोमीटर नयी सड़क का प्राविधान था लेकिन इस वर्ष केवल २४८ किलोमीटर का प्राविधान किया गया है। प्राथमिक स्कूलों की बात की जाती है लेकिन उसी के अनुपात में जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिये अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही जूनियर हाई स्कूलों में या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये इस प्रकार का प्राविधान है कि जिस अनुपात में प्राथमिक स्कूल चल रहे हों उसी अनुपात में इनको चलाया जाय। बेकारी की समस्या का हल इस बजट में जिसे हम समाजवादी बजट कहते हैं मुझे नहीं दिखायी दिया कि बेकारी कैसे दूर होगी। अमीर-अमीर होता जायगा और गरीब-गरीब होता जायगा इसमें कोई परिवर्तन मुझे इस ढांचे में नहीं दिखायी दिया। थोड़ा हेरफेर कर देने से कोई खास परिवर्तन नहीं होगा।

जहां तक पिछड़ेपन की बात है, मैं हरदोई जिले का रहने वाला हूं जो इस प्रदेश का मध्यवर्ती क्षेत्र का जिला है। सदन के पटल पर इस बात का बड़ा शोर होता है कि पूर्वी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। एक पटेल कमीशन बना पूर्वी जिलों के लिये। पश्चिमी जिलों की एक कुछ ऐसी बात है कि शुरू से आखिर पर वहां के मंत्रिगण रहे। उन्होंने अपने जिलों में हर चीज की व्यवस्था की। अगर आप मध्यवर्ती क्षेत्र के जिलों में देखें तो यहां २५–२५ और ३०–३० हाई स्कूल हैं और इन्टरमीडिएट कालेजेज हैं जब कि पूर्वी जिलों में ८० और ८५ की संख्या है और मेरठ में १८६ की संख्या है। इस प्रकार से जो उपेक्षित मध्यवर्ती क्षेत्र है उसकी ओर भी मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। सड़कों के मामले में भी बम्बई प्लान के अन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्र को जितनी सड़कें मिलनी चाहिये उतनी का प्राविधान नहीं है। मैंने देखा कि बुलन्दशहर और मेरठ, इन दो जिलों के ऊपर बड़ी अनुकम्पा है इसमें लेकिन मध्यवर्ती क्षेत्रों की तरफ कोई निगाह नहीं है। मैं नहीं समझता कि सूबे में अगर केवल एक क्षेत्र की तरक्की होगी तो सारा सूबा जीता जागता कैसे हो जायगा। आवश्यकता इस बात की है कि सूबे का प्रत्येक अंग, चाहे वह मध्यवर्ती क्षेत्र हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो, सभी को समान दृष्टि से देखा जाय। मेरा तो यह भी कहना है कि इस सम्बन्ध में कोई कमीशन की नियुक्ति की जाय जिससे जो यह मालूम होता है कि एक के साथ पक्षपात किया गया है, वह दूर हो सके।

अब मैं, कुशल और स्वच्छ प्रशासन का जो बड़ा नारा है, उसके बारे में कुछ कहूंगा। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने आते ही एक सामाजिक क्रान्ति पैदा कर दी अधिकारियों का स्थानान्तरण कर के और कुछ ऐसा मालूम होता था कि प्रदेश में बड़ी हलचल आयेगी और जिलों में इतना परिवर्तन हो जायगा कि बिल्कुल स्वच्छ और कुशल प्रशासन दिखलाई देने लगेगा। लेकिन क्या वह कुशल और स्वच्छ प्राशासन केवल गुप्ता जी के कुछ चहीते अधिकारियों पर ही लागू होना था या सभी अधिकारियों पर ? मैं अपने जिले, हरदोई की बात कहूंगा कि हमारे

[श्री श्रीशचन्द्र]

जिले के जिला अधिकारी खुलेआम चन्दा वसूल करते हैं आर्म्स के लाइसेंस पर। हम विधायक उनके पास दस दफा डेपुटेशन लेकर गये कि यह चन्दा बन्द कर दीजिये, यह आचार संहिता के विरुद्ध है। वह एक नली बन्दूक पर १५० रुपये, दुनाली पर ३०० रुपये, रायफल पर ५०० रु० तथा पिस्तौल पर और रिवाल्वर पर १,००० रुपये चन्दा लेते हैं और करीब डेढ़, दो लाख रुपये के वसूल कर लिया है। जब मैंने विधान सभा के सम्मुख यह प्रश्न प्रस्तुत किया तो उसका जवाब यह आया कि आर्म्स के लाइसेन्स पर कोई चन्दा नहीं वसूल किया (शैम, शैम की आवाजें)। मैंने यह मांग की इसकी जांच विजिलेन्स कमीशन द्वारा कराई जाय। यह सवाल देने के बाद भी वह चन्दा वसूल करते रहे। इतना ही नहीं उस चन्दे को वह दूसरे एकाउन्ट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। यह रुपया राइफल क्लब के नाम पर स्टेट बैंक के एकाउन्ट नम्बर, ७३५ पर जमा है जिसको वह ट्रांसफर करना चाहते हैं।

यह बात जो है, जिला अधिकारियों को इस बात का बढ़ावा देना में कुशल एवं स्वच्छ प्रशासन नहीं मानता। मैं तो कहता हूं कि यह पक्षपात की बात है। अभी हाल की बात है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने अपने बंगले में कर्मचारियों के माध्यम से १४४ क्विंटल गेहूं आर० आर० २१ पैदा किया और वह अहरोरी, टंडयावा और कोथावां ब्लाक्स के बी० डी० ओज को दिया गया जिन्होंने विकास खंड में ३, ३ क्विंटल के हिसाब से प्रत्येक बी० एल० डब्ल्यू० को दिया है अगले साल बीज बांटने के लिये। श्रीमन्, इतना ही नहीं, यह रुपया उनकी (बी० एल० डब्लू०) तनख्वाह से १५० रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से काटा जा रहा है। यह है स्वच्छ प्रशासन। मैं तो कहूंगा कि स्वच्छ प्रशासन वह है कि जैसे न्याय वही है जो करने के साथ-साथ दूर से दिखाई दे कि न्याय हो रहा है और इसी तरह हम लोग समझें कि कुशल प्रशासन चल रहा है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं तो मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह देखें कि जो आई० सी० एस० और आई० ० एस० आफिसर्स हैं जो शासन चला रहे हैं वे निरंकुश न रहें। जहां तक पुलिस की बात है, मैं देखता हूं कि जिलों में सब-इन्सपेक्टर्स ८, ८ और १०, १० साल से मौजूद हैं। वे बराबर गुनाह करते जा रहे हैं और उनका ट्रान्सफर नहीं होता है। मैं तो कहता हूं कि इनके लिये नियम बन जाना चाहिये। यह गजेटेड आफिसर्स की भांति एक जिले में ३ साल से ज्यादा न रहने पावें। इनका भी ३ साल के अन्दर तबादला हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब बाद में आप अपना भाषण जारी रखें।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं। कल बहुत बहस हुई कि हम वक्तव्य के लिये नियम ५१ में स्वीकार करते हैं तो उनके लिये समय नियत नहीं किया जाता है। तो आज इसके लिये खास-तौर से कोशिश की गई है कि सब मंत्रियों से जवाब मंगा लिये जायें कि वह कब वक्तव्य दे सकते हैं।

५–५–७० की सूचना है श्री गणेश दत्त बाजपेई की अजन्ता फिल्म स्टूडियो को शासन द्वारा सस्ते दर पर भूमि देने के बारे में। इसमें १५ मई वक्तव्य के लिये निर्धारित की गई है। पुरानी बात बता रहा हूं। नई जो बातें हैं उनको बाद में कहूंगा। फिर ५ तारीख की चना सर्वश्री मंजूर अहमद और गोविन्द सिंह नेगी की है इसी के सम्बन्ध में। इसके लिये भी ५ तारीख रखी गई है। ७–५–७० की सूचना सर्वश्री मरहम सिंह तथा सुरेन्द्र विक्रम की है, र्रुखाबाद जिले में बाढ़ पीड़ितों से लगान की वसूली के सम्बन्ध में। संभवतः इसके बारे

में कल चर्चा करेंगे। फिर ७–५–७० की सर्वश्री, कृष्णकान्त अवस्थी, सुरेन्द्र विक्रम तथा भानु प्रताप सिंह जी की सूचना है श्री सीताराम अहीर की बहू को पुलिस द्वारा पकड़ना और गांव लूटना आदि के बारे में। इसके लिये १८–५–७० रखी गई है। ७–५–७० की सूचना श्री राम देव दुबे की है प्रतापगढ़ जिले में डकैतियों और हत्याओं के सम्बन्ध में। इसके लिये २०–५–७० रखी गई है। ८–५–७० की सूचना श्री रामधारी शास्त्री तथा अन्य सदस्यों की है गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री में यूनियन के नेता की हत्या के बारे में। इसके लिये १९–५–७० रखी गई है। ८–५–७० को सर्वश्री भानुप्रताप सिंह और सुरेन्द्र विक्रम ने सूचना दी है बरेली में एक रबर फैक्ट्री के लिये अधिगृहीत भूमि का किसानों को न लौटाये जाने के विषय में। इसमें १५–५–७० तिथि रखी गई है। ११–५–७० की सूचना श्री गिरधारी लाल, नेता विरोधी दल की है शामली में शुगर वर्क्स के सचिव, श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी पर हमला के सम्बन्ध में। इसमें १९–५–७० रखी गई है। ११–५–७० की सूचना है श्री राम कुमार शास्त्री, श्री कल्याण सिंह और श्री डूंगर सिंह विष्ट, बहेड़ी में बीज भंडार के चौकीदार की भातृ बधू का पुलिस द्वारा बलात्कार आदि के विषय में, इसमें २०–५–७० रखी गई है। फिर ११–५–७० की सूचना श्री राम चरण त्रिपाठी की, बांदा जिले के राजपुर कालेज के अध्यापकों और छात्रों पर पुलिस द्वारा अत्याचार के सम्बन्ध में है। इसके लिये २२–५–७० रखी गई है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मेरा प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, १५ तारीख को रख रहे हैं। मैं १५ तारीख को यहां नहीं रहूंगा। कृपया दूसरी कोई तारीख रख दें।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को मैं माननीय मंत्री के पास भेज दूंगा कि दूसरी तारीख रखें। श्री विक्रम सिंह ने थाना मोदी नगर, जिला मेरठ में पुलिस द्वारा पिटाई से श्री राजपाल के मृत्यु के संबंध में दिया है जिसे मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। मुख्य मंत्री जी कृपया १५ मई को वक्तव्य दे दें। वह चाहेंगे तो एकाध रोज ले लेंगे। आप लोग चाहते थे कि मैं पहले से फिक्स कर कर दिया करूं तो मैंने दो रोज का समय और दे दिया है। आज १२ है और शायद दो, तीन रोज मुख्य मंत्री जी यहां रहेंगे नहीं इसलिए १५ तारीख दिया है।

सर्वश्री सुखलाल पान्डे, राम करन सिंह एवं धनुषधारी पान्डेय ने फतेह मुहम्मद निवासी, जिला बस्ती की पिटाई द्वारा मृत्यु पर थानेदार द्वारा रिपोर्ट न लिखने के बारे में दिया है जिसे मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है १५ मई के लिए।

श्री राम गोपाल संड ने इलाहाबाद बिजलीघर के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल के संबंध में दिया है। १४ तारीख को हड़ताल होने की सम्भावना है। उन्होंने कहा है कि सभी बिजली बन्द करके हड़ताल पर चले जायेंगे तो ऐसी सूरत में मैंने कहा है कि दो रोज में वक्तव्य दे दें। माननीय मंत्री जी १४–५–७० को कृपया वक्तव्य दें।

सर्वश्री राम कुंवर सिंह, कृष्ण कान्त अवस्थी एवं शेष नारायण शुक्ल ने आजमगढ़ निवासी, श्री अब्दुल खैर द्वारा अनशन के बारे में दिया है, जिसे मैंने मुख्य मंत्री के पास भेज दिया है कि इसके बारे में जो आवश्यक कार्यवाही है उसको करना चाहिये। इसमें मरने वरने का कोई सवाल नहीं है सिर्फ अनशन है।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्री खैर, माननीय सदस्य, राम कुंवर जी के कमरे में अनशन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उसमें जल्दी करवा लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कार्यवाही करने के लिए भेजा है।

श्री राम कुंवर (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, अनशन से बढ़कर क्या होगा ? आपने कहा कि मरने वाले नहीं हैं। निर्णय जो आप देंगे वह मान्य है। वह मेरे कमरे में रहते हैं कल से बगैर अन्न पानी के हैं। मैंने पहले सोचा कि ऐसे ही खेल तमाशा होगा मगर कल दिन भर उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, रात भर नहीं खाया और आज दस बजे तक कुछ नहीं खाया। उसके बाद आपका खयाल है कि मरेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि एक-एक इनडिविजुअल अनशन करे और उसके लिए वक्तव्य के लिए कहें तो यह कोई महत्व की बात नहीं है। मंत्री जी के पास जाकर बातचीत करें और उनसे कुछ दर्द दूर कराने की कोशिश करें।

श्री राम कुंवर—

मंत्री जी कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे लेकिन वह तो मेरे कमरे में हैं और अगर उनकी मृत्यु हो गई तो किसकी जिम्मेदारी होगी ?

श्री अध्यक्ष—

आपके कमरे में हैं तो आपको वहां जाना चाहिए। आप मेरी मदद ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मुझे भी हमदर्दी है लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके कमरे मे अनशन कर रहे हैं तो आप उनके बारे में जानकारी करें कि वह क्यों कर रहे हैं और उसके बारे में जो मंत्री जी जिम्मेदार हैं उनको आप बतावें लेकिन सदन को पूरा घेरना चाहते हैं और वक्तव्य यहां पर दिलाना चाहते हैं तो वक्तव्य मिलेगा ८ रोज में तो उससे नतीजा क्या होगा ? तब तक उनको ज्यादा तकलीफ हो जायगी।

श्री राम कुंवर—

मान्यवर, इस परिस्थिति में मुझे सलाह दें कि मैं क्या करूं। मेरा क्या कर्तव्य है ? वह मेरे कमरे में अनशन कर रहे हैं और दो दिन हो गया खाना नहीं खाया। अगर वह मरते हैं तो किसकी जिम्मेदारी होगी ?

श्री अध्यक्ष—

देखिये वक्तव्यके लिए ३,४ हैं और मैं केवल एक ही सूचना को स्वीकार कर सकता हूं। अब आप चाहते हैं कि उन सबको स्वीकार कर लूं तो यह कैसे हो सकता है।

श्री राम विलास पान्डेय—

अध्यक्ष महोदय, उनके यहां एक आदमी अनशन कर रहा है तो क्या अध्यक्ष महोदय, यह चाहेंगे कि उस अनशन करने वाले सज्जन को आपके यहां भेज दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

अब आगे का काम लें। सर्वश्री छेदा लाल, माखन लाल एवं तेज नारायण द्विवेदी का यह प्रस्ताव है कि खीरी जिले में डालडा का अभाव पड़ गया है। उसके लिए प्रश्न पूछ लें। अगर डालडा नहीं मिलता है तो वह कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी हो। सर्वश्री मंजूर अहमद, हुकुम सिंह परिहार एवं प्यारे लाल का यह प्रस्ताव है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० को जमीन देने के बारे में है। इसके बारे में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री मोतीलाल बेहलवी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबेरे के समय आपके यहां की लाइट फेल हो गई थी और आपने उस समय विधान सभा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था। उस समय जो मंत्री जी का वक्तव्य हुआ उसको मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मुझको आने में थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि मैं यह सुन नहीं सका कि आपने कितनी देर के लिए सभा को स्थगित किया है। इसी समय नियम ५१ पर वक्तव्य हो गया वह था कानपुर जिले की बिल्हौर तहसील के बकोठी गांव में बिजली के तारों से आग लग जाने के बारे में।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भेज दें और इसको अलग से दे दें और लिख दें कि विधान सभा के स्थगित होने के कारण मैं सदन से चला गया था।

श्री मोतीलाल बेहलवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल ही गलत दिया है। उनका वक्तव्य बिलकुल ही गलत है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह जिम्मेवारी सरकार की थी और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ही बिजली के तारों से आग लगी है। कहा यह जा रहा है कि तारों से आग नहीं लगी है। मान्यवर, अगर यह बात सिद्ध न हो कि बिजली के तारों से आग लगी है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपनी सदस्यता से। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उनके दल का कोई भी सदस्य मेरे इस्तीफा देने के बाद मुझसे चुनाव लड़कर दिखला दें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आज सबेरे नियम ५१ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव आपके यहां भेजा है। उसके बच्चों को वहां पर पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और उसको गांव से निकाला जा रहा है। मैंने और हरवंश सहाय जी दोनों ने मिल कर इसको भेजा है। आज सबेरे ही उसको भेजा है।

श्री अध्यक्ष—

वह आज शाम को मेरे पास आयेगा तब मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक प्रस्ताव नियम ५२ में आपके पास भेजा है।

श्री अध्यक्ष—

आप इसके सम्बन्ध में मेरे कमरे में सूचना पूंछ लें।

श्री राम चरण (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम ५१ में मेरे प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है और मंत्री जी का स्टेटमेन्ट २२ तारीख को निश्चित कर दिया है। इस सम्बन्ध में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां के अध्यापकों और लड़को को पुलिस वालों ने मारा है और वह पुलिस वाले वहां विद्यमान हैं। आप उनको वहां से हटवा दें तो शान्ति हो जाय। २२ तारीख को तो अभी १० दिन पड़े हैं। या तो वह सस्पेंड कर दिये जांय या उनका स्थानान्तरण कर दिया जाय। ऐसा आदेश आप दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

कौन मंत्री जी वक्तव्य देंगे ?

श्री राम चरण—

गृह मंत्री जी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी यहां आ जायं उस समय आप प्रार्थना करें तो मैं उनसे बात कर लूंगा ।

१९७०–७१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस प्रशासन के बारे में कह रहा था । एक आदेश हो गया है कि हर एफ० आई० आर० लिखी जाय । उसका मतलब यह हो गया है कि जिसके यहां डकैती पड़ती है उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है और जो डकैती डालता है वह भी डकैती में रिपोर्ट लिखा देता है .....

श्री अध्यक्ष—

यह कैसे ?

श्री श्रीशचन्द्र—

यह इस तरह कि जहां पर राहजनी का सवाल होता है दफा ३९४ में, अगर किसी आदमी से मारपीट हुई और घड़ी तथा रुपए छीन लिए तो दूसरा आदमी भी रिपोर्ट लिखाता है कि हमारा रुपया छीन लिया, लिहाजा दोनों तरफ से राहजनी बन गयी । इसके बाद पुलिस को अधिकार हो जाता है कि कौन सी थ्योरी ठीक है और कौन सी गलत है । तो केवल आदेश दे देने से ही मामला हल नहीं हो जाता । आवश्यकता इस बात की है कि कोई कमीशन प्रान्त के स्तर पर बैठाया जाय और जो शिकायतें पुलिस के भ्रष्टाचार की आवें उसके माध्यम से जांच करायी जाय । अब नया गुन्डा ऐक्ट भी आने की बात है । उसको मैंने पढ़ा है । उसमें हैड कांस्टेबिल को अधिकार है कि चाहे जिसको गिरफ्तार कर ले यह कह कर कि गुन्डा है । इतना बड़ा अधिकार जहां देने की बात है, मैं नहीं समझता कि कोई भला आदमी खतरे से बाहर रह जाएगा । जिससे पुलिस वाले नाराज हो जाएंगे । उसे गुन्डा ऐक्ट में बन्द कर देंगे । इसलिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के स्तर पर एक शक्तिशाली कमीशन या समिति बैठायी जाय जो इस प्रकार की शिकायतों की जांच करे ।

मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं । पिछले अक्तूबर में एक मर्डर हुआ, एस० पी० के बंगले के बिल्कुल पिछवाड़े । नामजद रिपोर्ट की गयी और नामजद रिपोर्ट में मैं नहीं जानता कैसे मैनीपुलेशन हुआ । यदुबीर सिंह का मर्डर हुआ था । उसमें फायनल रिपोर्ट लगने जा रही थी । मैंने प्रश्न पूछ लिया तो एक आदमी के खिलाफ पुलिस वालों ने केस वायर कर दिया । लेकिन वास्तव में जिन लोगों के नाम रिपोर्ट थी उन लोगों को निकाल दिया, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, उनको बन्द भी नहीं किया गया, जमानत भी नहीं ली गयी ।

श्रीमन्, एस० ओ० का एप्वाइंमेन्ट डी० एम० की सलाह से होता है । डी० एम० एस० पी० के कहने के बावजूद भी गलत अफसर को एस० ओ० बनाकर भेज देते हैं । एक राम बहादुर सिंह, एस० ओ० हरदोई में है । पहले अतरौली थाने में थे । मैंने डी० आई० जी० से बहुत शिकायतें की हैं । ८–९ साल से वह हरदोई जिले में हैं । डी० आई० जी० ने मुझसे कहा कि जिले से हटा दिया जाएगा । ट्रेनिंग में चले गए । अब फिर जिलाधीश महोदय की कृपा से एस० ओ० बनाकर दूसरे थाने में भेज दिए गए हैं । तो पुलिस अधिकारी की चाहे जितनी रंगी हुई डायरी हो लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, यह स्वच्छ प्रशासन तभी होगा जब सब को मालूम भी हो कि स्वच्छ प्रशासन हो रहा है ।

एक बात मैं गन्ना विभाग के बारे में भी कहना चाहता हूं। ' सभी जिलों के लोग जानते हैं कि उनके यहां सभी जगह किसानों को तकलीफ इस विभाग से है। २०–२० और २५–२५ रुपए में गन्ने की पर्चियां बिकती हैं और किसानों को परेशान किया जाता है और अगर शिकायत की जाती है तो उस पर कोई इन्क्वायरी नहीं होती। मैंने भी अपने यहां की शिकायत केन कमिश्नर साहब से की कि एक गाड़ी की पर्चों के सट्टे पर तीन-तीन गाड़ियों की पर्चियां दी गई और जिनके २५–२५ और २६–२६ गाड़ियों के सट्टे थे उनको ६ मास में केवल ३ पर्चियां दी गईं। इस तरह के व्यवहार से इस विभाग में करप्शन फैला है और शिकायत का भी कोई नतीजा नहीं हुआ।

कहा जाता है कि प्रादेशिक लेविल के अधिकारीगण भी उनके मामलों में इन्टरफीयर नहीं कर सकते और इस वास्ते जो सुपरवाइजर लोग हैं वह मनमानी करते हैं। आज की सरकारी नीति सहकारिता के पक्ष में है और सरकार का सहकारिता में विश्वास है तो यह सुपरवाइजर्स व कामदार जो सहकारिता और केन यूनियन में हैं आवश्यकता है कि उनका सरकारीकरण किया जाये तथा ट्रांसफर दूर दूर किया जाय। सरकारी करण से ही उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकेगी और तभी सहकारिता विभाग में आप स्वच्छता ला सकते हैं वर्ना वह कभी नहीं आ सकती। जिस तरह से कहा जाता है उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके लिये मैं कहूंगा कि इस तरह की पूरी प्रणाली में ही आमूल परिवर्तन किया जाय तभी केन विभाग में शुद्धता आ सकती है और किसानों की शिकायतें मिट सकती हैं। केन विभाग एक आवश्यक मुहकमा है, हर किसान के यहां गन्ना होता है, उसको आज बड़ा कष्ट है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय।

कोआपरेटिव विभाग से हर आदमी परिचित है। मैंने सन् ६७ में ही उस समय के सहकारिता मंत्रीजी से कहा था कि इस विभाग में हमारे जिले मे बड़ा भ्रष्टाचार है और अगर आप आडिटिंग आरम्भ करायें तो यह काम हमारे जिले से ही आरम्भ करायें। उन्होंने वैसा ही किया और हमारे यहां से पिहानी विकास खंड लिया गया और वहां का आडिटिंग कराया गया। उसके फलस्वरूप ४६ व्यक्तियों के खिलाफ गबन के केसेज आये लेकिन सरकार की और विभाग की उदासीनता के कारण किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि उल्टे जिस अधिकारी ने आडिट किया उसके खिलाफ फर्जी शिकायत करा दी गई कि उसने ५००० रुपये घूस मांगी थी और उसके न मिलने पर उसने यह आरोप निकाल दिये। मैं चाहता हूं कि यदि मंत्री जी चाहते हैं कि इस विभाग में स्वच्छ प्रशासन प्रभावी हो तो वह इसकी जांच करायें कि आडिटर की रिपोर्ट पर क्या ऐक्शन हुआ और जो अभियुक्त हों या गबन के जिन पर आरोप हों उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

यहां कहा गया कि जिला परिषदों में भ्रष्टाचार बहुत है। इसी सदन ने अपनी एक नीति निर्धारित की है कि जिला परिषदों के अध्यक्षों को समाप्त किया जाय और उन के कार्यकाल की अवधि आगे न बढ़ाई जाय। लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं वे २०–२० साल से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। टैक्स आफिसर हैं, इंजीनियर हैं और कार्य अधिकारी हैं और दूसरे इसी केडर के लोग हैं जो बहुत समय से एक जगह पर काम कर रहे हैं इन सब का ट्रांसफरेबिल केडर बन गया है। जिनको बहुत दिन एक जगह पर हो गये हैं उन का तबादला जिला परिषदों में भ्रष्टाचार मिटाने हेतु फौरन किया जाय। इस में कोई पोलिटिकल प्रेशर की बात नहीं है और यह चीज होना भी नहीं चाहिये। ऐसे लोगों का केडर ट्रांन्सफरेबिल कर दिया गया है ताकि जिला परिषदों का प्रशासन स्वच्छ रह सके। इस तरह से काफी देर तक आप भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है इसके लिये वे इस लिये धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अबतक के तमाम बजटों के मुकाबले में तो रिकार्ड तोड़ दिया

[श्री डूंगर सिंह बिष्ट]

और इतनी बड़ी बजट भाषण की किताब सदन में रख दी और उन्होंने अपना सारा बुद्धि कौशल इस किताब के बनाने में रख दिया। हमारे वित्त मंत्री जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बचपन से वे मेरे दोस्त रह चुके हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं। मैं उनका आदर करता हूं लेकिन यह बात भी सही है कि उन की जो आत्मा है वह दब गई है, वह तो ऐसी दबी हुई हो गई है कि एक पुराना किस्सा हो गया कि "नन्द बाबा के ९ हल चले और उसमें से साढ़े ८ पराये। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि वित्त मंत्री बुद्धिमान होते हुये भी इन्होंने ९ हल में से ८ १/२ हल बी० के० डी० के लिये हैं और अपना १/२ ही हल इन्होंने इस्तेमाल किया यानी अपनी विचारधारा इस बजट में ९ हिस्से में से १/२ हिस्से में ही वित्त मंत्री ने व्यक्त कर सकी और ८ १/२ हिस्सा विचारधारा तो बी० के० डी० व इन्द्रा कांग्रेस की है।

वह इसलिये हो गया है कि व्यक्तिगत रूप से वह बड़े बुद्धिमान हैं और मैं यह भी मानता हूं कि वह समाजवादी दृष्टिकोण रखते हैं और उनका सार्वजनिक जीवन बदलता रहा है मगर वह इस तरह से बी० के० डी० सरकार के हाथ में आ गये हैं जिससे वह दब गये हैं। खासतौर से हमारे मुख्य मंत्री चौधरी चरणसिंह जी, जो अपने को शत प्रतिशत योग्य और हर चीज का एक्सपर्ट मानते हैं, वित्त मंत्री उनके प्रभाव में आ गये हैं। आप देख रहे थे कि चौधरी गिरधारी लाल जी जब विरोधी दल के नेता के रूप में कल बोले थे तो उनको मुख्य मंत्री बड़ी हिकारत की तरह से देख रहे थे और उनका जो व्यवहार था वह एक निम्न स्तर के व्यक्ति की तरह का था। तो इस तरह के आदमी जो बिलकुल अपने को शतप्रतिशत योग्य, काबिल और मास्टर औफ औल समझता है उनके नेतृत्व में जो वह वित्त मंत्री बने उनकी बड़ी भारी मजबूरी हो गई है वह अपनी तरफ से कोई बजट पेश कर दें। पिछले साल का जो बजट पेश हुआ उस पर तिवारी जी की स्पीच हुई, उसमें उन्होंने जो ३।। करोड़ की युवक कल्याण योजना थी जिसको उस समय के वित्त मंत्री जी ने रखा था उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन नेता विरोधीदल जो उस समय चरण सिंह जी थे उन्होंने उसका घोर विरोध किया था। आज हम देखते हैं उस विरोध के कारण वह युवक कल्याण योजना ३।। करोड़ रुपये की बजट से बिल्कुल ही साफ हो गई है। वह इस बजट से निकल चुकी है।

इसी तरह से मैं दूसरा भी उदाहरण आपके सामने रखता हूं। पिछले साल गुप्त सरकार ने एक ५ करोड़ की योजना भूमिहीन मजदूरों और बेरोजगारों के लिये रखी थी उसका भी चौधरी साहब ने विरोध किया था कि इससे कोई फायदा गरीबों का नहीं होगा। उस धनराशि के लिये भी उन्होंने विरोध किया था। आप देखेंगे कि एक करोड़ रुपये की एक योजना अलग से अस्पष्ट रूप से रखी गई है मगर अलग से वह बेरोजगारों की योजना जिसे तिवारी जी ने अच्छी योजना कहा है, प्रगतिशील योजना कहा है, भूमिहीन मजदूरों का इससे फायदा होगा, यह विश्वास नहीं हो रहा है। इसी तरह से अनेकों उदाहरण हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तिवारी जी को इसलिये मैंने कहा कि नन्द बाबा के ९ हल थे मगर वह ८।। ही रह गये हैं। वह इसलिये हुआ कि तिवारी जी ऐसे लोगों के बीच में बठ गये हैं कि उनके अन्दर अपनी बात रखने की गुंजायश नहीं रह गई है। जो उनके बी० के० डी० और दूसरे मित्र चाहते थे वह हो गया। इसलिये वित्त मंत्री जी अपना दृष्टिकोण रखने में बिलकुल असफल हो गये।

पिछले गुप्त मंत्रिमंडल में आचार्य जी वित्त मंत्री थे उन्होंने जो बजट पेश किया था उसमें उन्होंने ६। एकड़ के लिये अलाभकर जोत की बात रखी थी। उस अलाभकर जोत की बात का उस समय जो विरोधी दल था, उसके सब सदस्यों ने स्वागत किया था। जब लोग विरोधीदल में बैठा करते थे तब सदैव विरोधीदल ने लगातार इस बात को कहा था कि यह ६। एकड़ की जोत अलाभकर है और इस अलाभकर जोत का लगान माफ किया जाय। आज वही समाजवादी नारा लगाने वाले भाई एक साल के बाद बदल गये हैं। तिवारी जी ने भी उसका स्वागत किया था और वे एक साल तक गुप्ता मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। लेकिन जब वह इसके बाद वित्त मंत्री

हो गये तो जो समाजवादी नारा ६। एकड़ की जोत के लिये लगाया करते थे उसको भूल गये और इस बजट से वह लगान माफ करने की बात बिलकुल खतम कर दी और ताक में रख दी। इसलिये हम यह समझते हैं कि वह निश्चय ही दब गये हैं।

इसके अलावा हमारे बी० के० डी० के भाई और चौधरी साहब जब इधर बैठा करते थे तो इस बात पर बहुत आपत्ति किया करते थे कि यह गुप्ता सरकार बड़े-बड़े उद्योग-धंधों में बिजली और टैक्स की रियायत देकर पूंजीपतियों से सहारा लेती है अब आज वित्त मंत्री जी ने क्या पौलिसी प्रस्तुत की है। उन्होंने भी ठीक गुप्ता जी की नीति का प्रतिपादन उद्योगपतियों के लिये किया है। देर आये दुरुस्त आये नीति तो वही स्वीकार करनी पड़ी है फिर चाहे उसके कोई कारण हों।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस बजट में भी उन तमाम सारे पूंजीपतियों को बिजली में आसान शर्तों में ऋणों की और टैक्सों में राहत देने की कोशिश की गयी हैं और इस तरह से बड़े-बड़े बिड़ला और टाटा उद्योग वालों को ३० करोड़ से ५०० करोड़ रुपये तक का पूंजी बढ़ाने की योजना है। अन्तरात्मा की पुकार और समाजवाद के नारे के नाम पर हमारे इन्दिरा कांग्रेसी भाई हम लोगों से अलग हो गये और उस समाजवाद के नारे के नाम पर यह असमाजवादी बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री जी ने एक लाइन अन्त में जोड़ कर अपना सारा बोझ केंद्र पर इस आधार पर डालने की कोशिश की है "कि बहुत अंशों में आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन का बुनियादी काम, केंद्र का दायित्व है," यह भी हम सभी जानते हैं। केवल एक लाइन में उन्होंने कहा है कि हम एक साल में तमाम उलट-पलट नहीं कर सकते हैं। और यह बजट जैसा कि पिछले सालों में जिस लाइन पर बनता रहा है उसी लाइन में बना है।

जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि यह तो बड़े बड़े वित्त अधिकारियों और सचिवों द्वारा बनाया गया बजट है और इस तरह से निश्चित रूप से इस बजट से कोई समाजवाद आने वाला नहीं है, इससे कोई कल्याणकारी राज्य होने वाला नहीं है। इस लिये इसके समर्थन में वित्त मंत्री ने अन्त में इस लाइन को जोड़ दिया और इस बात को स्वीकार किया कि माननीय गुप्ता जी और उनकी सरकार पहले कहती थी कि इस उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा दायित्व केंद्र के नेता पर है। वित्त मंत्री ने भी अब स्वीकार किया है। जब आचार्य जी ने अपना बजट पिछले साल पेश किया था तो उस समय वर्तमान वित्त मंत्री तिवारी जी सहित उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र के सामने कहा था कि केंद्र ने तीन पंचवर्षीय योजनायों में उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति १४,१८ और ४६ रुपये का अनुदान दिया जब कि दूसरे प्रांतों को केंद्र ने ४०,५२ और ९२ रु० प्रति व्यक्ति अनुदान दिया था। इस तरह से माननीय वित्त मंत्री की आलोचना से यह सही साबित हो गया कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक विकास का दायित्व केंद्र का है और केंद्र ने उत्तर प्रदेश के साथ बराबर सौतेला व्यवहार किया है हर पंचवर्षीय योजना में। केंद्र ने उत्तर प्रदेश को सबसे कम रुपया दिया और इसके तमाम विकास के कामों में बाधा पहुंचायी एक भी उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं किया। हमारे वित्त मंत्री जी खुद अपने को एक घिरे हुए वातावरण में समझते हैं और उन्होंने इस बजट में किसानों के लिए कोई भी प्रगति का रास्ता नहीं दिखा रक्खा है।

पिछली गवर्नमेंट के समय में ही सीलिंग ऐक्ट लागू करने की बात थी और यह तय था कि जब सीलिंग ऐक्ट लागू होगा तो ढाई लाख एकड़ जमीन जो नैनीताल तराई क्षेत्र में निकलेगी वह हरिजन व खेतिहर मजदूरों और कुमायूं के भूमिहीनों को दी जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह ने अमीनुद्दौला पार्क की जन सभा में जब एक बार ३० एकड़ तक सीलिंग लागू करने की घोषणा कर दी थी लेकिन दूसरे ही दिन यहां आकर उस बात से इंकार क्यों कर दिया? इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ा जबरदस्त भ्रष्टाचार तराई क्षेत्र में हुआ और जमीन बेंचने के लिए इतनी तेजी से रजिस्ट्रेशन होने लगे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर सीलिंग ऐक्ट को लागू करने में एक महीना, १५ दिन का समय भी मिल गया तो मेरा ख्याल है कि जो जमीन सीलिंग से प्राप्त कर भूमिहीनों व खेतिहर मजदूरों को जमीन देने का जो उद्देश्य

[श्री डूंगर सिंह विष्ट]

व दृष्टिकोण है वह पूरा कभी नहीं हो सकेगा । जो निहित स्वार्थ वाले लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं वे लोग लड़के के नाम, अपनी बीबी के नाम, या रिश्तेदारों के नाम तमाम जमीन कागज पर बेंच देंगे । आज जिनके पास हजारों एकड़ जमीन बिना एलाटमेंट के, अनियमित रूप से है, वे पटवारियों से, तहसीलदारों व एस० डी० एम० अन्य अधिकारियों से मिल कर अपने नाम इन्दराज गलत रूप से करा रहे हैं चूंकि मेरठ तथा पश्चिमी जिलों के लोगों के पास बहुत जमीन है और मेरठ आदि के लोगों के पास नैनीताल की तराई आदि में एक के पास सैकड़ों से हजारों एकड़ तक भूमि है इन्दिरा कांग्रेस के राजे महाराजों और कई लोगों के पास सैकड़ों एकड़ भूमि है इसलिये चौधरी साहब की सरकार सीलिंग ऐक्ट लागू नहीं कर रही है ।

इतना भ्रष्टाचार जो हुआ, उस पर हमारे माननीय मंत्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला है । कौन नहीं जानता कि हमारे जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक हैं, उनके वेतन भुगतान में प्रबन्धक समितियों द्वारा भ्रष्टाचार हो नहीं रहा है । जहां पर भी प्राइवेट मैनेजमेंट हैं वे या तो आर्थिक कठिनाई के कारण ठीक समय से वेतन नहीं दे पाते हैं या वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण अध्यापकों को ठीक समय से वेतन नहीं मिल पाता है । पिछली सरकार द्वारा एक अध्यादेस निकाला गया था कि जहां पर प्राइवेट मैनेजमेंट है, उन स्कूलों के अध्यापकों को निहित रूप से सरकारी कोष से वेतन दिलाने की कोशिश की जायगी । इस अध्यादेश को इस सरकार ने उलट दिया और मैं नहीं समझ पाया कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इतने प्रगतिशील विचार वाले हैं, और प्रगतिशील कदम भी उठाने की सोचा करते हैं, किस प्रकार से माननीय चौधरी चरण सिंह की सरकार में चले गये हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने प्रगतिशील विचारों को दबाते चले जा रहे हैं ।

जहां तक कानून और पुलिस की व्यवस्था का प्रश्न है । सरकार में कानून की क्या व्यवस्था है और पुलिस का क्या रवैया है, वह इस बात से स्पष्ट हो गया होगा कि मैं स्वयं दफा ५१ और ५२ में ६ सूचनायें कत्ल व डकैतियों की नैनीताल की तराई की दे चुका हूं । रोज पढ़ने को मिलता है कि आदमी जला दिया गया है, वहां पर आदमी गोली से उड़ा दिया गया है । आज ही मैंने एक थानेदार के बारे में भेजा है कि उसने खटीमा में एक आदमी को मारा और पीटने के बाद थाने में बन्द कर दिया । जब उसकी औरत चम्पा देवी थाने में उसको छुड़ाने के लिये गयी तो उसे कहा गया कि तुम यहां से जावो वरना तुम्हारी बेइज्जती कर दी जायगी । इस पर उसने एक तार जिलाधीश, नैनीताल और एस० पी० को भी दिया । मुझे भी एक तार उसी आशय का भेजा है । लेकिन डी०एम० या पुलिस अधिकारियों ने कोई ऐक्शन नहीं लिया । उसके बाद जब यह थाने में गयी तो उसे कहा गया कि अब तो आपने डी०एम० वगैरह को लिख दिया है । कर लो तुम्हें जो करना है । तराई की इन घटनाओं के बाद भी वहां पर सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । जब मैंने यहां पर सुरक्षा की बात पूछना चाही तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि इसके बारे में आई० जी० जानें । उनके पास कोई सूचना नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि जिलाधिकारी ने नक्सलपंथी तथा असामाजिक तत्वों को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से सुझाव लिखें १ माह बाद भी मुख्य मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्रीमन्, उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र की बातें आती हैं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पूर्वी जिलों और बुन्देलखंड के जिलों की भी, जहां से श्रीमन्, आते हैं, वैसी ही दयनीय हालत है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र, सीमावर्तीय क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र की बड़ी दयनीय दशा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस २०-२२ वर्ष के समय में वहां पर विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अगर चीन वाले हमला न करते तो भारत सरकार का भी कोई ध्यान न जाता । २० करोड़ रुपया केवल वन विभाग से ही इस पर्वतीय क्षेत्र से उत्तर प्रदेश को आमदनी है लेकिन कुछ भी वहां के लिए विकास नहीं होता है । पिथौरागढ़ से धारचूला तक एक सड़क जाती है । अगर कहीं पर

भी एक पुल तोड़ दिया जाय तो २० दिन तक भी सामान बार्डर पर नहीं जा सकता है। जहां तक हमारे मंत्रियों का संबंध है उस पहाड़ी इलाके में, बीहड़ इलाके में कोई गया ही नहीं है। श्रीमन् दूसरी बात में यह निवेदन कर दूं कि पर्वतीय क्षेत्र में तीन लाख क्विंटल के अधिक लीसा होता है जिसको बरेली, लखनऊ आदि जगहों के उद्योगों को पनपाने के लिए दे दिया जाता है। कुमायूं उत्तराखंड में लीसा उद्योग को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है लीसा बहुत कम दामों में चला जाता है केवल ९४ क्विंटल में दिया जाता है जब कि उसका बाजार भाव २०० रु० से २२० रु० तक है इसी तरह करोड़ों मन टेढ़ी-मेढ़ी तथा अच्छी सी लकड़ी चालीस पैसा घनफुट पहाड़ों से सहारनपुर आदि को दे दी जाती है जबकि लकड़ी का बाजार भाव १० रु० से १५ रु० घनफुट है। इस तरह उत्तराखंड में जूट भी खूब होती है किन्तु उस सीमावर्ती इलाके का विकास नहीं के बराबर है।

इसी तरह से हमारे यहां ८२ हजार एकड़ में बागबानी होती है और इतनी ही हिमांचल प्रदेश में होती है। लेकिन वहां पर उनकी अपनी पर्वतीय प्रदेश सरकार ध्यान देती है। इसलिये वे जो कुमायूं से उद्यान में पीछे थे आगे निकल गये हैं। उत्तराखंड और कुमायूं में बागबानी का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है और न उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही कोई ध्यान दिया जाता है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार हिमांचल प्रदेश के बराबर भी यहां ध्यान दे तो हम सब का आर्थिक स्तर बहुत अच्छा होगा। श्रीमन्, मैं कल सुन रहा था कि हाईकोर्ट की बेंच मेरठ में खोलने के लिये मेरठ के हमारे दो साथियों ने बड़े जोश के साथ धौंस दिया और कहा कि अगर इस बेंच को खुलने का समर्थन नहीं किया गया तो इसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे। क्या मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि अंग्रेजों के जमाने से पचास साल तक नैनीताल में गर्मियों के दिनों दो महीने हाई कोर्ट का जज बैठता था क्या जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से उत्तरकाशी, धारचूला जगहों से आठ सौ और नौ सौ मील हाई कोर्ट में इलाहाबाद जाना पड़ता है।

कहा यह जाता है कि हाईकोर्ट की बेंच केवल मेरठ में ही खुले। ऐसा क्यों? पर्वतीय क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में भी एक बेंच खुले। पर्वतीय प्रदेश में आठ-दस सालों से भीतर ही भीतर आग सुलग रही है। सन् १९५७ में वर्तमान वित्त मंत्री पर्वतीय क्षेत्र के नैनीताल के प्रतिनिधि थे। उनका एक गैरसरकारी प्रस्ताव आया था। उस पर सदन में विचार हुआ और वह पास हुआ। यह निश्चय हुआ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुमायूं यूनिवर्सिटी, नैनीताल में खुलेगी। मेरठ और गोरखपुर में यूनिवर्सिटियां खुल गईं किन्तु आज वित्त मंत्री असहाय से हो गये हैं। एक लाख रुपये टोकन ग्रांट भी माननीय गुप्ता जी व उनकी सरकार ने इसके लिए रख दिये थे और पिछले साल विशेष अधिकारी की भी नियुक्ति हो गई थी किन्तु इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने कोई घोषणा ही नहीं की है। उत्तराखंड वि० वि० नैनीताल में तुरन्त खोला जाय।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह विधान भवन है। हमारे मंत्री जी क्या चैम्बर बनाये हुए हैं।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के लिये श्रीमन्, पिछले साल तय हो गया था कि एक लाख रुपये का टोकन ग्रांट दे दिया जाय। वहां के लिए ओ० एस० डी० नियुक्त हो गया था। यह भी तय हो गया था कि ओ० एस० डी० को एक सौ पचास रुपये वेतन मिलेगा और उसको आदेश चले गये थे। परन्तु विकास परिषद् की मीटिंग में उलझन पैदा हो गई। इसको गुप्ता जी ने मीटिंग के सामने रख दिया और कमेटी ने अपना फैसला दिया कि एक एक्सपर्ट

[श्री दूंगर सिंह बिष्ट]

कमेटी इसके स्थान और आकार निश्चित कर अब उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट कई माह पहिले दे दी है फिर क्यों पर्वतीय क्षेत्र के लिये यह उदासीनता विश्वविद्यालय खोलने में की जा रही है। जब प्रश्नोत्तर काल में इस फैसले के बारे में पूछा गया तो बतलाया गया कि यह बताना जनहित में नहीं होगा। इसके माने यह हैं कि हमें चौधरी सरकार नकारात्मक दृष्टि से देखना चाहती है। यह जो यूनिवर्सिटी का मामला है इसको लेकर तथा अन्य समस्याओं को लेकर जो बड़ी उभाड़ की भावनायें आ रही हैं। श्रीमन्, मैं आपसे भी इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी उत्तराखंड के लोगों को नकारात्मक दृष्टि से न देखिये आप भी सरकार से कहें। जब हम बोलते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र की बीहड़ समस्यायें आती हैं। आप भी नैनीताल अल्मोड़ा गये हैं। मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा-सा अन्दाजा है। एक प्रेरणा ऐसी होती चली जा रही है कि लोग मेघालय, तेलंगाना और हिमाचल और मनीपुर से प्रेरणा ले रहे हों। अगर पर्वतीय क्षेत्र के विकास को नकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश होगी तो हम झुकेंगे नहीं। पहाड़ का सोया हुआ शेर जागेगा तो सरकार या और कोई उसको दबा नहीं सकेगा। मैं निवेदन करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए चौधरी साहब और हमारे मंत्रीयों को बहुत अधिक ध्यान देना होगा।

श्री राजित राम पांडेय—

आदरणीय महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। इस बजट को देख कर मुझे वह समय याद आया जब कि अंग्रेजों के जमाने में ३७ करोड़ का इस प्रदेश का बजट था और आप यहां पर विधान सभा में इस कुर्सी पर विराजमान थे। यहां पर जब पंत जी की सरकार थी, तब भी जो बजट पेश हुआ करते थे वह मुझे याद है। हमारे वित्त मंत्री जी उस समय, इस समय यहां वे मौजूद नहीं हैं, सन् ४५-४६ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तालीम पाया करते थे और आचार्य नरेंद्र देव की रहनुमाई में समाजवाद का पाठ पढ़ा करते थे। जब यहां पर पंडित पंत मुख्य मंत्री थे तो उनकी रहनुमाई में समाजवाद का यह पाठ पढ़ा करते थे। सन् ५२ में वे भी यहां आये थे और समाजवाद का नारा लगाया करते थे। इस बजट में भी समाजवाद पर बड़ा जोर दिया गया है।

यूं तो समाजवाद का नारा ९ करोड़ इंसानों तक पहुंचाया गया है, उनके लिए ४०० करोड़ का बजट बनाया गया है, मगर क्या इससे समाजवाद आ सकेगा ? मैं आंकड़ों में नहीं जाता मैं यह कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं वे खलके खुदा व मुल्के खुदा हैं, इस प्रदेश के खुदा हैं, अगर यह खुदा चाहें तो इस प्रदेश को बना सकते हैं, वे चाहे तो प्रदेश को तबाह कर सकते हैं। वे अगर चाहें तो प्रदेश की बेरोजगारी दूर हो सकती है, नौजवान खुशहाल हो सकता है और गरीबी मिट सकती है। यह ४२५ खुदा लोग तो चुन कर आये हैं यह प्रदेश को खुशहाल बना सकते हैं। जब मैं आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले शचीन्द्र बख्शी और मदन मोहन मिश्र को देखता हूं, आपका भी श्रीमन्, आजादी में बहुत बड़ा हिस्सा रहा, उनकी कुरबानियों को देखता हूं। और इधर इस बजट को देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। आज यह ४०० करोड़ का बजट और घाटे का बजट पेश किया गया है। मैं इसे देख कर चौंक रहा हूं। मुझे यह घाटे का बजट देख कर खतरा दिखाई दे रहा है। नाव दान के रास्ते लोग आते हैं मैंने एक दिन उसका जिक्र किया था। आज भी उसके बारे में कह रहा हूं।

आखिर कैसे समाजवाद आयेगा ? हमारे वित्त मंत्री माननीय नारायण दत्त जी अपनी उस गरीबी को भूल गये जब वे यूनीवर्सिटी में पढ़ा करते थे। उस गरीबी को भूल कर आज वे ४०० करोड़ का बजट लाये ३७ करोड़ की जगह पर। हमारे यहां पर बहुत से माननीय सदस्य हरिजन भाई हैं, बहुत से पोलेटिकल भाई हैं, बहुत से शेर की खाल ओढ़कर पार्टी के नाम पर मौजूद हैं। यहां पर बहुत से हरिजन भाई हैं और आज वह हरिजनों की

बड़ी-बड़ी बात करते हैं । आज नारायण दत्त जी होते तो मैं उनसे पूंछता कि आप समाजवाद का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन क्या आप हृदय से ऐसा चाहते हैं ? अभी यहां पर हरिजन विभाग से संबंधित कई भाषण हुये तो उसमें हरिजन भाइयों ने बड़ी अपनी-अपनी डींग हांकी कि यह कम है वह कम है। लेकिन मैं आप से बताना चाहता हूं कि हरिजनों के नाम पर जो ग्रांट मंजूर की जाती है, वह गांव क आदमी के पास, हरिजन दुखिया के पास नहीं पहुंच पाती है । तो उस ग्रांट को कौन खाता है? उसे वही खाते हैं जो शेर की खाल पहने हुए हरिजन एम०एल० एज० यहां आये हैं । यह पैसा उनकी जेबों में जाता है ।

स्वच्छ प्रशासन की बड़ी डींग हांकी जाती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि---

एक सदस्य---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, हम लोग तो नये आये हैं, यह शेर की खाल वाली बात सबके लिये कह रहे हैं या हम नये लोगों के लिए ?

श्री राजितराम पांडेय---

अभी तो आप नये हैं, अभी तो आपका शुमार भी नहीं ह । आप तो सरकार में भी नहीं हैं । शायद आप सरकार में चले जायें और उस समय ऐसा करेंगे तो आपको भी कहा जायेगा ।

श्रीमन्, आप जिला कमेटियों में जाकर देखें, वहां पर एक जत्था बना हुआ है हरिजनों के नाम पर खाने का । इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा दयनीय दशा हरिजनों की है, लेकिन हरिजनों के नाम पर बजट लिया जाता है, लेकिन वह दूसरों की जेबों में चला जाता है। वह पैसा हरिजनों के नाम पर झूठे और बनावटी आंसू बहाने वाले लोगों के जेब में जाता है। आपने यह नियम बनाया है कि हरिजन कमेटी का मेम्बर हरिजन-मेम्बर ही होगा, इससे बड़ा ही भ्रष्टाचार पनपा है। मुझे तो इलाहाबाद का मामला मालूम है, और हंडिया तहसील का नक्शा हमारी आंख के सामने है, जहां से मैं चुनकर आया हूं, वहां पर हरिजनों के नामपर जितनी ग्रांट्स दी जाती हैं उसमें से ज्यादातर हरिजन मेम्बर्स खाते हैं और हरिजन सुपर-वाइजर खाता है। यदि ५०० रुपये किसी हरिजन का मंजूर होता है तो उनसे दस्तखत लेकर २०० रुपया ही मुश्किल से उसे दिया जाता है और बाकी धन इन नेताओं की जेब में चला जाता है । एम०एल०एज० साहबान खाते हैं और यहां पर हरिजनों की हमदर्दी में घड़ियाली आंसू बहाते हैं । २५ साल से यह सरकार बनी है, लेकिन आज हंडिया तहसील में कुछ नहीं मिला है और उसमें ऐसे-ऐसे गांव हैं जहां हरिजनों के लिए पानी पीने का एक कुंआ भी नहीं है (लाल बत्ती होने पर) थोड़ा सा समय और दे दें ।

श्री अध्यक्ष---

कितना समय आप चाहते हैं ?

श्री राजितराम पांडेय---

२५ मिनट, यदि आप मेरी इच्छानुसार समय देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

केवल ५ मिनट देता हूं ।

श्री राजितराम पांडेय---

हम आंकड़ों की बात नहीं करना चाहते। मैं एक क्रांतिकारी आदमी था। मैं पिस्तौल और बन्दूक चलाने में विश्वास रखता था । लेकिन डाक्टर लोहिया की देन है, जालिप्राव

[श्री राजित राम पान्डेय]

जायसवाल की देन है मुझे सोशलिस्ट पार्टी में ले आकर समाजवादी बनाया। लेकिन आज जो बजट देखता हूं तो फिर सचींद्र सान्याल याद आते हैं, भगतसिंह आजाद याद आते हैं, चन्द्रशेखर आजाद याद आते हैं। अगर देश इस तरह से बरबाद किया गया तो हो सकता है कि जिस तरह से भगतसिंह आजाद न बम बनाया था, चन्द्रशेखर ने बम बनाया था, उसी तरीके से इस मुल्म में क्रांति होगी।

आप नक्लपंथियों की बात करते हैं। नक्सलपंथी कहां से पैदा हुये। आपकी हुकूमत से पैदा किये जाते हैं। अब आप गरीबों को रोटी नहीं देते, काम नहीं देते आप रिक्शा चलाने वालों की तादाद देखिये। गांव का किसान आज भूखों मर रहा है। बिजली पर टैक्स बढ़ा दिया। जब चरण सिंह संविद में गये तो पानी का रेट बढ़ा दिया। आप किसानों की बात करते हैं। मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। जब इनकी सरकार बनी, इन्होंने यह कहा कि मैं किसानों को राहत दूंगा उनको पानी देंगे, खाद देंगे। अगर आप किसान को पानी दिये होते, खाद दिये होते तो शायद आज दूसरे देशों से भीख न मांगनी पड़ती। मद्रास में कितने पंपिंग सेट लगे। चरण सिंह के मेरठ में बर्तानिया के जमाने से ट्यूबवेल लगे थे। वहां के अंग्रेजों ने विकास किया था लेकिन मैं जहां से आया हूं, इलाहाबाद से आया हूं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी बात की जा रही है। इलाहाबाद वह शहर है जहां से सारे देश को रोशनी मिली, जहां मोतीलाल नेहरू पैदा हुए, जवाहरलाल नेहरू पैदा हुये टंडन जी पैदा हुए, बड़े-बड़े दिमाग के लोग पैदा हुए और वहां से इनकलाब शुरू हुआ। इलाहाबाद पालिटिकल शहर रहा है। सन् ५७ का गदर उठा कर देखिये। वहां से इनकलाब होते रहे। चूंकि मालिक मुतहद्दा आगरा व अवध सूबे की राजधानी इलाहाबाद थी, इसीलिये अंग्रेज नाराज हो कर लखनऊ में उठा लाये। इलाहाबाद का वही खून है जो मोतीलाल नेहरू का खून था, जवाहर लाल का खून था। मैं गंगा पार का रहने वाला हूं। गंगापार के साथ कितना पक्षपात किया गया है। गंगापार १८५७ से १९४२ तक आगे रहा। आज इस बजट को देखता हूं तो गंगा पार में एक सड़क नहीं है, एक अस्पताल नहीं है। कितना सौतेला व्यवहार किया गया है। यह वही इलाका है जहां से पंडित जवाहर लाल चुन कर वजीर आजम बने। आज हम पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। गंगापार जहां से जवाहरलाल चुने गये, लालबहादुर शास्त्री चुने गये, जहां से नौजवानों ने खून दिया। लेकिन यह बजट इतना गलत बनाया गया कि गंगा पार को एक भी सड़क नहीं दी गयी। आज गंगापार की जनता भूखों और प्यासों मर रही है।

यह चकबन्दी चक्करबन्दी है और किसानों को इससे खूब लूटा जा रहा है। इस बजट में चकबन्दी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। यह बजट बड़े आदमियों के लिए बनाया गया है और गरीबों पर नये टैक्स लगाये गये हैं। हमारे समाजवादी मंत्री श्री नारायण दत्त जी भूल गये जब वह स्वराज्य भवन में झाड़ू लगाया करते थे और आज ३२ करोड़ ७२ लाख का घाटा का बजट उन्होंने पेश किया है और इस प्रकार वह चोर दरवाजे से टैक्स गरीब जनता पर लगाना चाहते हैं। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं अहिंसावादी हूं लेकिन एक चेतावनी दे देना चाहता हूं कि अभी तो वह नक्सलपंथियों से ही घबराये हुए हैं लेकिन अगर यही बजट रहा तो उससे भी बदतर हालत यहां होगी। कोई चाहे गुप्ता जी के साथ हो या चरण सिंह जी के साथ लेकिन उत्तर प्रदेश में २५ साल तक जनता की जिन्दगी के साथ खूब खिलवाड़ किया गया है और मैं हरिजनों से कहना चाहता हूं कि वे लोग उनकी गोद में पड़े हुए हैं। अगर सचमुच समाजवाद लाना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं तो उनकी गोद को छोड़ना होगा और इस बजट को नामंजूर करना होगा।

७,५०० रु० तक की आमदनी वालों को पेशाकर से मुक्त करने के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब नित्यानन्द स्वामी जी का प्रश्न लिया जायगा। लेकिन वह यहां हैं नहीं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

उसे ले लीजिए। हम लोग उस पर बोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

हमको उन्होंने अधिकृत किया है।

श्री अध्यक्ष—

जिसने नोटिस दिया है नियम के अनुसार पहले वह संक्षिप्त वक्तव्य देता है, तो वक्तव्य कौन देगा ?

श्री रामगोपाल संड—

मैं वक्तव्य दूंगा। मुझे उन्होंने अथोराइज किया है अध्यक्ष महोदय, पेशा कर ऐसा कर है जो दोहरा कर है। अल्प आय वालों पर जहां एक इनकम टैक्स लगता है वहां यह टैक्स भी उनसे लिया जाता है चाहे वह अध्यापक हों, कर्मचारी हों अथवा छोटे तबके का दूकानदार हो। इलाहाबाद, आगरा, कानपुर तथा अन्य सभी बड़े नगरों के अन्दर इस पेशा कर का राज्य कर्मचारियों ने केन्द्रीय कर्मचारियों ने तथा अध्यापकों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने जूलूस निकाले हैं, हड़ताल की है। पिछले अक्तूबर तथा नवम्बर के महीनों में इलाहाबाद में जनसंघ की ओर से सारे प्रदेश में पेशा कर को हटाने के लिए एक अभियान भी चलाया गया था।

इलाहाबाद में एक कोआर्डिनेटिंग कमेटी है सेन्ट्रल तथा स्टेट इम्पलाइज नाम की संस्था है जो ५० हजार कर्मचारियों की एक संस्था है उसने एक प्रतिवेदन प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी को जनवरी के महीने में जब वह इलाहाबाद आई थीं तब दिया था और उसमें कहा गया था कि इस पेशा कर को समाप्त किया जाय। उन्होंने आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार से विचार विमर्श करेंगे। श्री नारायण दत्त तिवारी जो इस बार वित्त मंत्री हैं वे इन्दिरा गांधी के बड़े भक्त हैं और आनन्द भवन में रह चुके हैं। इस कर को गुप्ता जी की सरकार ने माधव बाबू, अनन्तराम जायसवाल, राज नारायण सिंह जी के अनुरोध को मान कर स्थगित भी कर दिया था। इस कर से बहुत कम उगाही होती है। लगभग १ करोड़ ५० लाख रुपया कुल मिलता है और ८० लाख रुपया उसके कलेक्शन में खर्च हो जाता है। अगर वह ८० लाख रुपया निकाल दिया जाय तो लगभग ५०,६० लाख रुपया प्रतिवर्ष इस कर से वसूल होता है।

एक तो इस कर को सरकार को अविलंब समाप्त कर देना चाहिये। इसलिए भी सरकार को इस कर को नहीं लगाना चाहिये कि बहुत से प्रदेशों की सरकार ने इसको समाप्त कर दिया है जैसे हिमांचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, और मध्य प्रदेश की सरकार इसको समाप्त कर चुकी हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ तो बड़ा भारी भेदभाव ही होता है। कोई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अगर दिल्ली में है जहां कि पेशा कर नहीं है उसको लाभ रहता है लेकिन अगर दूसरे ही दिन उसका ट्रान्सफर गाजीपुर, मुरादानगर या हापुड़ में कर दिया जाता है तो उसको इस कर को देना पड़ता है। इसलिये यह कर अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों और अध्यापकों के ऊपर बहुत ही बोझ है, उनकी कमर को तोड़ रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और उधर के समाजवादी भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि कम से

[श्री राम गोपाल संड]

कम ७,५०० रुपया वार्षिक तक पाने वाले कर्मचारियों पर इस टैक्स को नहीं लगना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस चर्चा को प्रारम्भ करता हूं।

बिक्रीकर मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, २८ अप्रैल को यह प्रश्न सदन के सम्मुख आया था जिसमें यह कहा गया था कि ७,५०० रुपया सालाना आमदनी वाले व्यक्तियों पर से यह टैक्स हटाया जायगा या नहीं। उसके सम्बन्ध में काफी प्रश्न पूंछे गये थे और उन प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये। लेकिन बिजली फेल हो जाने के कारण यह प्रश्न स्थगित हो गया और अब नियम ४९ के रूप में सदन के सामने आया है।

इसमें कोई दो रायें नहीं है कि यह कर मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ता है। जिनमें काफी गरीब लोग हैं और जिनके साथ मेरी पूरी-पूरी सहानुभूति है। लेकिन मान्यवर, देखने की बात यह है कि अगर इस कर को समाप्त कर दिया जायगा तो जैसा मैंने इस सदन में २८ अप्रैल को उत्तर दिया कि ६९–७० में इस कर के द्वारा १.९० करोड़ रुपये की आमदनी होने की आशा है और क्योंकि इसके कलेक्शन की मैशीनरी पूरे तौर से नहीं बन पायी है, इसलिये पूरा टैक्स भी इकट्ठा नहीं हो पाया। अगर पूरी मैशीनरी बन गयी तो और अधिक टैक्स वसूल होने की आशा है। ऐसी दशा में जब कि सदन के सामने घाटे का बजट आया हुआ है, अगर इसको समाप्त कर दिया जायगा तो यह रुपया भी उसमें कम हो जायगा और घाटा अधिक हो जायगा। इसके अलावा, ऐसे साधन और हैं नहीं जिसे घाटे को पूरा किया जा सके। इसलिये मान्यवर, इस बात को मानते हुये भी कि इस का बोझ गरीब व्यक्तियों पर ही पड़ता है, फिर भी मेरा यह निवेदन है कि इस समय हमें यह देखना होगा कि हमें अपने प्रदेश का विकास करना है और हर क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना है तो हमें टैक्स देना चाहिये। और यह तो लगाया हुआ टैक्स है इसको हम तब तक नहीं हटा सकते जब तक हम किसी दूसरे टैक्स के जरिये से इसकी पूर्ति न कर सकें।

मान्यवर, सरकार ने निम्नवर्ग के लोगों को राहत देने की बात भी सोची है, जिसको सब लोगों ने माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में सुना होगा। सरकार ने यह फैसला किया है कि यह टैक्स जो अब तक ३,६०० रुपया वार्षिक आय वालों पर लगता था, अब उसको बढ़ा कर ४,२०० रुपया कर दिया गया है। जो व्यक्ति ४,२०० रुपये वार्षिक कमाते हैं उन पर ही यह टैक्स लगेगा, इससे कम वालों पर नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, जो संयुक्त परिवार हैं उनके लिये ६ हजार से बढ़ा कर यह सीमा ७ हजार कर दी गयी है। ऐसी परिस्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस वक्त इस कर का हटाया जाना उचित नहीं है और यह मौका नहीं है कि इस कर को हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गोविन्द सिंह, आप स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूंछ सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह —

अभी माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि इस बजट के अन्दर उन्होंने कुछ सुविधायें दी हैं इस टैक्स के बारे में। तो क्या सुविधायें दी हैं ? अभी तक ३०० पर प्रोफेशन टैक्स पड़ता था और अब उन्होंने एग्जेम्पशन लिमिट ३५० कर दी है। मैं इस कर की मुखालिफत इसलिये करता हूं कि बुनियादी तरीके से जो हमारी कर प्रणाली होनी चाहिये यह सरकार उस प्रणाली पर नहीं चल रही है। कर किस से वसूल किया जाना चाहिये ? उन लोगों से वसूल किया जाना चाहिये जिनके पास देने की हैसियत हो।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ सकते हैं स्पष्टीकरण के लिये।

श्री गोविन्द सिंह—

३९ में तो डिस्कशन है।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं। मैं सुना दूं आपको। सम्बन्धित मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। उत्तर दे चुके वह। तत्पश्चात् अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा देंगे।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि ३५० रुपये से लेकर ७५० रुपये तक की आमदनी वालों से कितना यह टैक्स वसूल होता है साल में?

श्री बलवीर सिंह—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामगोपाल संड—

यह तो बड़ी आवश्यक सूचना है। यह तो देनी चाहिये थी मंत्री जी को।

श्री अध्यक्ष—

आप यों पूछिये कि ४,२०० रुपये सालाना से लेकर ७,५०० रुपये सालाना के बीच की आमदनी वालों से कितना रुपया इस कर में वसूल होता है।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, ऐसी सूचना इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

३५० रुपये से ७५० रुपये के बीच वाले वर्ग पर जो टैक्स लगेगा उसकी कुल लागत १ करोड़ रुपये से भी कम होगी तो राहत देने में क्या आपत्ति है सरकार को?

श्री बलवीर सिंह—

मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसकी सूचना ही नहीं है मेरे पास तो मैं जवाब क्या दूं।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

चूंकि मंहगाई इतनी अधिक बढ़ी हुई है और शहर में रहने वाले लोग मंहगाई से अधिक परेशान हैं जिनके ऊपर इसका अत्यधिक असर पड़ रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई उचित रास्ता निकाल कर ३५० और ७५० के बीच में कोई समझौता लाइन निकालेंगे और ६०० रुपये तक तनख्वाह पाने वाले लोगों को इस टैक्स से मुक्ति देंगे?

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वह मैंने आपके सामने रख दिया। इससे आगे नये निर्णय लेना जल्दी संभव नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

वेतन भोगियों को दो प्रकार का टैक्स देना पड़ता है । वह इनकम टैक्स भी देते हैं और प्रोफेशन टैक्स भी देते हैं । तो क्या मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे हमदर्दी है इन लोगों से लेकिन इस वक्त मौका नहीं है कि विचार किया जा सके ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

पृष्ठ संख्या ६ पर करों में राहत देने के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि उर्वरक पर बिक्री-कर माफ कर दिया गया है और ऐसे सभी व्यक्तियों को जिनकी वार्षिक आय ४,२०० रु० से अधिक नहीं है उन्हें प्रोफेशन टैक्स के भुगतान से मुक्त करने का निश्चय किया है इस संबंध में राजस्व की हानि की पूर्ति ९,००० रु० से उपर की आय वालों से किया जायगा । तो क्या आप इसकी मान्यता देंगे ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा इनकम टैक्स में डी० ए०, टी० ए० और हाउस एलाउन्स सबको छोड़कर इनकम टैक्स लिया जाता है उसी प्रकार डी०ए०, टी० ए० और हाउस रेन्ट वगैरह को छोड़कर प्रोफेशन टैक्स लिया जाता है ?

श्री बलवीर सिंह—

प्रश्न साफ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने पूछा है कि सब मिलाकर जो आमदनी होती है टी० ए०, डी० ए० वगैरह की उस पर कर लगता है या केवल तनख्वाह के उपर ?

श्री बलवीर सिंह—

जहां तक मेरा ख्याल है केवल तनख्वाह पर लगता है ।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, यह इस बात की घोषणा कर दें कि यह कर पे पर ही लिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय मंत्री ने कहा उसका स्पष्टीकरण दे दें । क्या आपको पूरी जानकारी है ?

श्री बलवीर सिंह—

मैंने पहले कह दिया कि जहां तक मुझे जानकारी है ।

श्री बसन्त लाल शर्मा—

मंत्री जी ने यह फरमाया कि जहां तक मेरी जानकारी है । सरकार का जवाब जो जाता है वह मान्य होता है और उसका कानून पर असर पड़ता है । तो श्रीमन्, यह कहना कि जहां तक मेरी जानकारी है यह दुविधा वाली बात ठीक नहीं है । इसको आप साफ करा दें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री बसन्त लाल शर्मा—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि टी० ए०, डी० ए० शामिल नहीं होगा तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर वह जोड़ा जाता होगा तो अपने उत्तर के आधार पर उसको वह निकलवाने के लिए क्या कोई प्रयास करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

अगर जोड़ा जाता होगा तो निकलवाने की व्यवस्था मैं नहीं करूंगा। इसकी जानकारी अवश्य करा दूंगा माननीय सदस्य को।

श्री रामधारी शास्त्री—

इतनी सूचना नहीं रखते माननीय मंत्री जी तो श्रीमन् एक स्कूल खुलवा दें ताकि जानकारी हो जाय।

श्री रामगोपाल संड—

मंत्री जी को किसी बात का ज्ञान नहीं है। मैं स्वयं पेशा कर देता हूं और डी० ए० है उस पर और एम० एल० ए० होने के कारण जो मुझे डेली एलाउन्स मिलता है सभी पर पेशा कर लगता है। मुझे आश्चर्य है कि आधे घंटे की चर्चा इस पर हुई और माननीय मंत्री जी को इसका ज्ञान नहीं है। मंत्री जी ने मुझे मार्च में लिखित उत्तर दिया था कि १६ करोड़ ५४ लाख रुपया बिक्री-कर का बकाया है।

श्री बलवीर सिंह—

इस समय बिक्री-कर की बात नहीं हो रही है।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को पेंशन मिलती है उन लोगों की यों ही बड़ी मुश्किल से गुजर होती है क्या उन लोगों पर भी यह टैक्स लगेगा या उनको छूट मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—

जिन लोगों की आमदानी ४,२०० से ज्यादा है उन लोगों पर यह टैक्स पड़ेगा।

श्री बलवीर सिंह—

अगर वह उस सीलिंग से बाहर हैं तो उन पर लगेगा।

श्री रामगोपाल सन्ड—

मंत्री जी की तरफ से कोई उत्तर सन्तोषजनक रूप से नहीं आया है। उनको यह भी पता नहीं है कि डी० ए० और टी० ए० आदि को भी इन्कम में मिलाकर टैक्स लगाया जाता है या नहीं उनके पास इस बात की भी सूचना होनी चाहिये और उनको पूरी तरह से तैयार होकर आना चाहिये। मंत्री जी जो कहते हैं कि मेरे पास सूचना नहीं है। यह बड़े ही खेद की बात है।

श्री जगदीश गान्धी—

माननीय मंत्री जी के प्रश्न से सम्बन्धित यह भी बात है कि जब उन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास कोई आय के श्रोत और नहीं हो जाते हैं उस समय तक इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब तक विधान परिषद् को समाप्त करने का निर्णय हो चुका है। इससे जो धन की बचत होगी क्या मंत्री जी उस पर विचार करेंगे कि जो इससे आय होगी वह प्रोफेशन टैक्स की समाप्ति के लिये प्रयोग में लाया जायगा। क्या वह इस बात के लिये आश्वासन दे सकते हैं कि इस टैक्स को समाप्त करने के लिये ही सबसे पहले वह प्राथमिकता देंगे।

श्री अध्यक्ष—

इस समय यह प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि अभी विधान परिषद् समाप्त नहीं हुई है।

श्री रामधारी शास्त्री—

मेरा तो यह विचार है कि मंत्री जी की जानकारी अभी पूरी नहीं है और अपरिपक्व हैं। मेरा यह अनुरोध है कि मंत्री जी पूरी तरह से तैयार होकर आयें और इसका उत्तर दूसरे दिन दें।

श्री बलवीर सिंह—

डी० ए० और टी० ए० के बारे में जो कहा गया उसके बारे में मैंने यह बात कही कि जो नियमानुसार है . . . .

श्री अध्यक्ष—

आपके जो अधिकारी हैं वे इसके डिटेल्स जानते हैं और शायद वे यहां पर बैठे भी होंगे। अगर किसी ऐसी बात की आपको कोई सूचना की आवश्यकता हो तो वह आपको भेज सकते हैं। इसी प्रकार से पहले होता था। आपको जो मालूम है उसको आप बता दें।

श्री बलवीर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उसका उत्तर दे दिया है। इसके अलावा श्री सन्ड ने सदन के सामने कोई नई बात नहीं कही। जहां तक कि इसका आश्वासन देने की बात कही गई है उसका उत्तर दे दिया जा चुका है। मैं फिर यही कहता हूं कि अभी सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इस टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल प्रातः ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१२ मई, १९७०।

उत्तर प्रदेश संसदीय

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८७ पर)

माह जून, १९६४ में सेवा समाप्त की गई क्षेत्र विकास अधिकारियों की सूची।

अधिकारियों का नाम	विकास क्षेत्र तथा जिले का नाम जहां पर कार्य कर रहे थे
सर्व श्री	
१—कन्हैयालाल दीक्षित	.. बिसलपुर, पीलीभीत
२—हरिवंश राम (अनुसूचित जाति)	.. धौलादेवी, अल्मोड़ा
३—गंगासागर राम (अनुसूचित जाति)	.. सुमेरपुर, उन्नाव
४—संत बिहारी शुक्ल	.. भरखानी, हरदोई
५—सुशील चन्द्र मिश्र	.. असोहा, उन्नाव
६—विद्या भूषण तिवारी	.. विशुनपुर, देवरिया
७—रामचरन (अनुसूचित जाति)	निन्दुरा, बाराबंकी
८—प्यारे मोहन (अनुसूचित जाति)	.. सकलडिहा, वाराणसी
९—श्याम सिंह वर्मा	.. थलीसेंण, गढ़वाल
१०—रमेश शंकर चौधरी	.. इस्लामनगर, बदायूं
११—बर्फीलाल (अनुसूचित जाति)	.. पहाड़ी, (बांदा)
१२—माल चन्द राय	.. बांसी, बस्ती
१३—बंशीधर (अनुसूचित जाति)	.. बार, झांसी
१४—सुरेश चन्द्र दीक्षित	.. मडावरा, झांसी
१५—गया प्रसाद वर्मा (अनुसूचित जाति)	.. हरपालपुर, हरदोई
१६—हरीश चन्द्र गुप्ता	.. काकोरी, लखनऊ
१७—रामनिहोरे राम (अनुसूचित जाति)	.. मोहम्मदाबाद, गाजीपुर
१८—मैकूलाल कुरील (अनुसूचित जाति)	.. सिरसिया, बहराइच

शिवराज सिंह,
कृषि एवं सामुदायिक मंत्री।

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८८ पर)

सूची

पद नाम	वर्ष ६७–६८	वर्ष ६८–६९	वर्ष ६९–७०
१—मैकेनिकल इन्सपेक्टर ..	३	—	१
२—सीनियर क्लर्क ..	१	—	१
३—जूनियर क्लर्क	—	१०	—
४—गोताखोर	—	४	१
५—चपरासी	—	१२	—
६—सीनियर मैकेनिकल इन्सपेक्टर ..	३	—	—
कुल ..	७	२६	३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६९६ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९६९) के दूसरे मंगलवार को श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या ९ तथा उसका उत्तर)

प्रश्न	उत्तर
९—क्या खाद्य मन्त्री जिला स्तर पर कार्य कर रही जिला खाद्य सलाहकार समितियों को भंग करने का कारण बताने का कष्ट करेंगे ?	९—जिला स्तर पर कार्य कर रही जिला खाद्य सलाहकार समितियों को भंग करने का मुख्य कारण यह है कि अब खाद्य समस्या में तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में काफी सुधार हो गया है ।

मंगला प्रसाद,
खाद्य मंत्री ।

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक ५ अगस्त, १९६९ को श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ के संबंध में श्री वैश्य ने निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछा था—

"सस्ती चीनी गल्ले की दुकानों पर मिलती है, मिट्टी का तेल मिलता है । इस कमेटी में स्थानीय विधायक भी सदस्य थे और वे अपने जिले की आवश्यकता जिलाधिकारी के सामने रखते थे और खाद्य मिट्टी के तेल, चीनी आदि की समस्याओं पर विचार करते थे । अब वह नहीं है तो यह कैसे सम्भव हो सकेगा । इसलिये क्या मन्त्री जी उन्हें पुनः स्थापित करने पर विचार करेंगे ।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "ये समितियां तमाम जिले की समस्याओं पर विचार करने के लिये नहीं थी । मकानों के एलाटमेंट के सिलसिले में बनायी गयी थीं । अब उस काम में कमी आ गयी है । जिला सलाहकार समिति और विजीलेंस कमेटी दोनों थी । हमारी कोशिश यह है कि आफिसर्स पर ही कन्ट्रोल रख कर उन चीजों को पूरा करें ।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है—

"ये समितियां तमाम जिले की समस्याओं पर विचार करने के लिये नहीं थी । मकानों के एलाटमेंट तथा खाद्यान्नों के सिलसिले में बनायी गयी थीं । अब उस काम में कमी आ गयी है । जिला व नगर सलाहकार समितियां और विजीलेंस कमेटियां थीं । हमारी कोशिश यह है कि आफिसर्स पर ही कन्ट्रोल रखकर उन चीजों को पूरा करें ।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

बलदेवसिंह आर्य,
खाद्य मन्त्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ८५ एल० ए—१९७०—८४५ ।